खण्ड-447, अंक-7
बुधवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(10 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रश्नोत्तर	1-45
विधान सभा के पूर्व सदस्य डा0 कटार सिंह तथा श्री दयाराम शाक्य के निधन पर शोकोद्‌गार	45-46
व्यपगत प्रश्नों को पुनर्जीवित किये जाने का अनुरोध	46
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	46-47
जनपद पीलीभीत में पूरनपुर सहकारी चीनी मिल के कतिपय क्रय केन्द्रों को बजाज सहकारी चीनी मिल अथवा गोला पूरनपुर सहकारी चीनी मिल से ही सम्बद्ध रखने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
लखनऊ की हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिलावाँ, आलमबाग में कतिपय अध्यापकों द्वारा फर्जी प्रामाण-पत्र लगाकर कार्यरत रहने की जाँच कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद हरदोई के मल्लावाँ में डिपरी तालाब तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत तथा तालाब पर पुल निर्माण कराने के लिए नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उ0 प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद आगरा में भारी गंदगी एवं जल भराव आदि की समस्याओं का निदान किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
उ0 प्र0 राज्य परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों की बाडी परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
ए0डी0ए0 इलाहाबाद की सुलेम सराय कालोनी के एल0आई0जी0 ब्लाक में अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
राजाजीपुरम कालोनी लखनऊ में पारा रोड पर शान्ति शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज की सड़क पर सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
आगरा महानगर में बढ़ी चोरी, डकैती, हत्याकाण्ड आदि घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की जांच में भेदभाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52-53

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की जाँच पर व्यवस्था का प्रश्न	53-54
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	54
अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के रिक्त पदों को भरने के विशेष अभियान पर वर्तमान सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	54-56
राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं को नियमित करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	56-57
विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न-106 के गलत एवं भ्रामक उत्तर पर औचित्य का प्रश्न	57
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि0-2-4380/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (11)/2000, दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 (सदन के पटल पर रखी गयी)	57
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि0-2-3840/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (27)/2003, दिनांक 14 अगस्त, 2003(सदन के पटल पर रखी गयी)	58
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि0-2-3839/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (26)/2003, दिनांक 14 अगस्त, 2003(सदन के पटल पर रखी गयी)	58
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	58
जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में महिला डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री शिव कुमार सैनी निवासीगण, जनपद बुलन्दशहर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गयी)	58-59
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-01 के उत्तर में संशोधन हेतु संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का शोधन वक्तव्य..	59-60
कुंवर रेवती रमण सिंह एवं डा0 अशोक बाजपेयी के दिनांक 20 अगस्त, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य...	60
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	60-65

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ महोत्सव में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	65-68
जनपद झांसी के मऊरानीपुर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने की सूचना ...	68-69
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग	69-97
प्रदेश में ऊर्जा नीति एवं चीनी मिलों की नीतियों के सम्बन्ध में एक घन्टे की चर्चा का समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	97
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (जारी)	97-99
प्रदेश की चीनी मिलों की नयी नीतियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा (जारी)	99-100

विषय				पृष्ठ-संख्या
अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के उपरान्त उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 को प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव..... (स्वीकृत)			...	100-101
प्रदेश की चीनी मिलों की नयी नीतियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा	...	...	...	101-104
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	...	...	104-114
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 (पारित)		...	...	114-122
मेरठ की घटना के सम्बन्ध में सदन को जानकारी दिये जाने का निर्देश			...	123
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	...	...	...	123-125
प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य			...	125-127
जनपद चन्दौली के खुरहट में प्रदूषित पानी से हुई मौत तथा परिवार को सहायता देने एवं स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य	...	...	...	127-128
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात में भितरी-सैदपुर के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराने के लिए श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य			...	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश की जल सम्पूर्ति एवं सीवर कार्य जल निगम से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	128-129
जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत अधूरे मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	129-130
शाहजहाँपुर में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू न होने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	130-131
मेरठ नगर निगम में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	131
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	131-132
जरौली पम्प नहर परियोजना के गलत निर्माण कार्य पर नये निर्माण कार्य कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	132
इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज की जमीन को दूसरे के नाम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	132
जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा औषधि खरीद में धांधली से उत्पन्न स्थिति पर श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	132-133
जनपद आगरा की मलिन बस्तियों को अवैध रूप से गिराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	133
'सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन' का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	134
राष्ट्रगान	134
नत्थी	135

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-349

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुरनगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाटक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	इटावा
काजिम अली खां	रामपुर
उर्फ नवेद मियां, नवाब	
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह	हरदोई
उर्फ सतीश वर्मा, श्री	
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल,श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल	गोरखपुर
उर्फ पप्पू भैया, श्री	
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद

धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनूबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं0	इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'', श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला ''भगत राजा'', श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंखलाल मांझी, श्री	सन्त कबीरनगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कु0	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली

हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी		

नोट :-श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्य मंत्री)
श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री)
श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री)
श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) एवं
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन के उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 10 दिसम्बर, 2003

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ना माफियाओं द्वारा प्रदेश के गन्ना किसानों का शोषण रोकने हेतु सरकार की योजना

**1-श्री मशहूद खां (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने, गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों का शोषण रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी हां।

प्रदेश में उत्पादित सम्पूर्ण गन्ने का लगभग 44 प्रतिशत गन्ना की पेराई चीनी मिलों द्वारा की जाती है। शेष गन्ना गुड़, खाण्डसारी, रस एवं बीज आदि में प्रयुक्त होता है।

गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों का शोषण रोकने के लिए विभाग द्वारा निम्न योजनायें बनाई गयी हैं :-

1-गन्ने के पड़ताल एवं कृषकों के सट्टे की जांच जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी, मण्डल स्तर पर उप गन्ना आयुक्त, राज्य स्तर पर संयुक्त/अपर गन्ना आयुक्त/अपर चीनी आयुक्त द्वारा कराया जाता है, ताकि वास्तविक गन्ना किसान ही गन्ना की आपूर्ति कर सकें।

2-मिल के तौल कांटों की जांच विभागीय अधिकारियों यथा-ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त एवं मुख्यालय के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा भी कराया जाना।

3-जन प्रतिनिधियों यथा-मा0 सदस्य लोक सभा/राज्य सभा, मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद्, अध्यक्ष, सहकारी गन्ना समितियों एवं उपाध्यक्ष, चीनी मिल समितियों को भी कांटा चेकिंग के अधिकार दिये गये हैं।

4-कृषकों की गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए केन इम्पलीमेन्टेशन कमेटी का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष, जिला गन्ना अधिकारी एवं सदस्य, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, प्रधान प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिल, अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति होते हैं। इस कमेटी की बैठक प्रत्येक माह की 3 एवं 17 तारीख को होती है। इस बैठक में गन्नापूर्ति से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण, गन्ना मूल्य भुगतान, तौल लिपिकों के पाक्षिक स्थानान्तरण एवं गन्ने की समानुपातिक खरीद की समीक्षा होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी-उपर्युक्त अ0 सू0 ता0 प्रश्न मा0 सदस्यों की रुचि पर तारांकित प्रश्न सं0-11 के उपरान्त अन्त में लिया गया है।

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पालिका पंचायतों में पिछली सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हुए बगैर हटाये जाने के संबंध में जानकारी

**2-श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पालिका पंचायतों में पिछली सरकार के द्वारा नामित किये गये सदस्यों को हटाने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो क्यों और उसका क्या औचित्य है ? कार्यकाल पूरा हुए बगैर नामांकन निरस्त किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार विधान परिषद् में स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले वर्तमान विधान परिषद् सदस्यों के चुनाव को देखते हुए पुराने नामित सदस्यों को ही बनाये रखने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9 तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-6 के अनुसार नाम-निर्दिष्ट सदस्य राज्य सरकार के प्रासाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सभी पात्र विधवाओं को विधवा पेंशन उपलब्ध कराये जाने की मांग

*1-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी पात्र विधवाओं को विधवा पेंशन उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

जी नहीं, राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथा-समय निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर जनपद में तमाम विधवाएं हैं और सरकार द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है क्या सरकार सभी विधवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी या नहीं करेगी। तमाम गांव में और क्षेत्र में माननीय सदस्य जाते हैं और वह भी ऐसी परिस्थिति से गुजरते होंगे अगर कोई महिला कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसको विधवा पेंशन का लाभ कैसे उपलब्ध कराएंगे ? इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री शाकिर अली-

मैं माननीय सदस्य की भावना से काफी हद तक सहमत हूं और अपने आपको उससे जोड़ता हूं। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि समस्त विधवाओं को हम उसका लाभ दे सकें। जहां तक सम्भव होता है जो कम उम्र की महिलाएं हैं उनको तत्काल देते हैं और यह ग्राम प्रधान के स्तर से होता है। जो विधवाएं मर जाती हैं उनके स्थान पर नई विधवाओं को पेंशन दी जाती है। अब निराश्रित महिला कहा जाता है विधवा शब्द हट गया है। निराश्रित महिलाओं को 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है।

श्री धनश्याम शुक्ला-

क्या केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि जितनी भी प्रदेश में निराश्रित महिलाएं हैं उनको पेंशन उपलब्ध करायी जाय ? क्या सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव बनाकर उसकी समीक्षा कराकर केन्द्र को प्रस्ताव भेजने पर विचार कर रही है ?

श्री शाकिर अली-

यह प्रदेश सरकार की योजना है, भारत सरकार की नहीं है। पूरा पैसा प्रदेश सरकार देती है। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि सम्पूर्ण निराश्रित महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनको पेंशन दे सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को यह संस्तुति करेगी कि जितनी निराश्रित महिलाएं हैं उन सबको पेंशन दी जाय ?

श्री शाकिर अली-

अगर केन्द्र सरकार हमको इसके लिये धन आवंटित करे तो इसमें हमको कोई हर्ज नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि प्रत्येक निराश्रित विधवा महिलाएं जो इसके लिये पात्र हैं और उनको 125 रुपये की दर से माहवारी पेंशन दी जाती है। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था जो मैंने पढ़ा था उसमें था कि वे कोई नई एक पेंशन योजना लागू करने वाले हैं और उसमें पात्र व्यक्ति को 150 रुपये प्रति माह देंगे। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार अभी वर्तमान में जितनी भी पेंशन योजनाएं लागू हैं उसमें 125 रुपये प्रतिमाह ही मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में मंहगाई आदि को देखते हुए यह 125 रुपये की धनराशि बहुत कम है, उससे किसी भी निराश्रित विधवा महिला का भरण-पोषण सम्भव नहीं है। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने 150 रुपये की घोषणा की है उसी तर्ज पर सभी पेंशनर्स को 150 रुपये प्रतिमाह देने का कष्ट करें।

श्री शाकिर अली-

150 रुपये जो आप बता रहे हैं वह किसान पेंशन योजना है। निराश्रित महिलाओं के बारे में जैसा हमने कहा कि जैसे संसाधन हैं उसके अनुसार हम देते हैं। हम सबको देना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, कोई आरोप लगाने की बात नहीं है। मेरा एक अनुरोध है कि समान परिस्थिति में सबको समान न्याय मिले। मंहगाई को देखते हुए जैसा किसान पेंशन योजना घोषित की है, जो पहले से चली आ रही योजनायें हैं, इस महंगाई के युग में उनको थोड़ा राहत मिल जाय। मेरा कहना है कि जैसा मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी और सभी लाभार्थियों को 150 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देगी ?

श्री शाकिर अली-

जैसे ही संसाधन होंगे हम विचार कर लेंगे।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

विधवा अपने में ही निराश्रित है और आपका कहना है कि वह प्रतीक्षा करेगी जब उसका नम्बर आयेगा यानि कि पहले से जिनको मिल रही है उसमें से कोई मर जाय तब उसको मिल पायेगी। क्या सरकार पात्रता की सूची में सुधार करेगी कि एक विधवा को दूसरी विधवा के मरने की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

श्री शाकिर अली-

माननीय सदस्य ने जो निराश्रित महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, हम उसके लिये उनको धन्यवाद देते हैं। अगर यही राय इन्होंने तीन महीने पहले दी होती तो शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं होती। हम पूरे प्रदेश की निराश्रित महिलाओं को पेंशन देना चाहते हैं। जैसे ही हमारे पास संसाधन होंगे हम दे देंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो देश की सरकार यदि पैसा आवंटित करती है तो देने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मैं जानना चाहता हूं पिछली सरकार ने बैन लगाया था, विधवा पेंशन जिस गांव में दी जा रही है अगर वहीं से उसी श्रेणी की कोई विधवा मरती है तो उसके बदले दूसरी विधवा को पेंशन दी जाएगी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मंत्री जी इस प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर दूसरे तरीके से आ चुका है।

श्री शाकिर अली-

संसाधनों की कमी है जैसे ही संसाधन होंगे उस प्रतिबन्ध को भी हटाने पर विचार किया जाएगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मैं जानना चाहता हूं कि विधवा पेंशन हेतु विधवाओं की पात्रता के चयन का आधार क्या है ? अगर उस चयन के आधार के विरुद्ध कहीं विधवाओं को पेंशन मिल रही होगी, तो क्या पूरे प्रदेश में जांच कराकर उसको निरस्त करायेंगे ? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब कोई विधवा मर जाएगी तब उसकी जगह दूसरी ली जाए, तो मृतक विधवा के स्थान पर चयन का आधार क्या होगा ? गलत पात्रता का चयन करके विधवाओं को पेंशन दी जा रही है इसकी पात्रता के चयन का आधार क्या है मंत्री जी बता दें ?

श्री शाकिर अली-

पति की मृत्यु हो गई हो 12 हजार रुपये से उसकी वार्षिक आय कम हो। उसका नाबालिग लड़का हो, यदि बालिग है तो भरण-पोषण लायक न हो निराश्रित महिलाओं को 125 रु0 मासिक पेंशन दी जा रही है। अपात्र व्यक्तियों की छानबीन हुई है 1,960 महिलायें अपात्र पाई गई हैं, जिनको विधवा पेंशन से वंचित किया गया है। जो विधवा पेंशन के लिए आई हैं इस वर्ष वह 14,905 हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

एक समस्या पूरे प्रदेश में है 12 हजार रुपये का जो मानक रखा गया है इस मानक पर आय प्रमाण-पत्र नहीं बन रहे हैं लेखपाल बना नहीं रहे हैं जिसके कारण विधवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलों में कम आय के मानक का आधार बना है राजस्व विभाग कहता है कम पर बनाने के आदेश नहीं हैं। इस तरह का विरोधाभास है 12 हजार से कम वालों के लिए भी आप निर्देश दे दें कि प्रमाण-पत्र बनाये जाएं।

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 12 हजार रुपये से कम का जो मानक है, उस पर आय प्रमाण-पत्र जारी होता है। माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, अगर कहीं ऐसा है तो बता दें, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमारी तहसील में ही ऐसा हो रहा है।

श्री शाकिर अली-

आप लिखकर भिजवा दें, हम दिखवा लेंगे।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश में ऐसी हजारों विधवा, निराश्रित गरीब महिलाओं के पेन्शन के फार्म जमा पड़े हैं लेकिन उनकी स्वीकृतियां नहीं आयी हैं। आपकी विवशता है कि 12 हजार रुपये से अधिक आय न हो, उनके बच्चे भी बालिग न हों। मान्यवर, हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है, वह भूमिहीन हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए और इस हेतु धनराशि बजट में बढ़ायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है।

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, जो स्वीकृति योग्य फार्म हैं, उनको स्वीकृत किया जा रहा है।

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, जो पात्रता यहां पर बताई गयी है उसके सम्बन्ध में एक अनुरोध है। जिस निराश्रित विधवा को यह कहकर अपात्र घोषित कर दिया जाता है कि इसके बालिग बच्चे हैं, इसलिए इसको पेन्शन नहीं मिल सकती। हम सारे लोग समाज में रहते हैं और अक्सर यह देखने को मिलता है कि किसी निराश्रित महिला के बच्चे 15 साल, 16 साल या 25 साल के हैं लेकिन तमाम परिस्थितियों में

वह लड़के अपनी मां का भरण-पोषण नहीं करते हैं और पेन्शन की पात्रता सूची से इसलिए उसका नाम काट दिया जाता है कि उसके ब्रालिग बच्चे हैं। मान्यवर, इन परिस्थितियों की भी आप जांच करा लें। दूसरा निवेदन है, निराश्रित महिलाओं को जो पेन्शन देने का काम किया जाता था पिछले दिनों तक उनके एकाउन्ट्स प्रोबेशन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से भेजकर उन्हें दौड़ाया जाता था, उन्हें 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रोबेशन अधिकारी कहते हैं कि हमें लाखों रुपया शासन में देना पड़ता है इसलिए हमें उनसे वसूलना है। इसकी भी आप जांच करा लें और जैसा कार्य हमारी सरकार ने किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रशंसा कर दी, अनुपूरक तो पूछा नहीं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, इसका उत्तर दिला दें कि क्या प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप पहले केन्द्र सरकार से पैसा दिलवायें फिर प्रस्ताव भेजेंगे, इसका उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश में पोलियो ग्रस्त मरीजों को चिन्हित कर उसकी वृद्धि रोकने की कार्य योजना

*2-श्री अजीम भाई-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में प्रदेश में कितने पोलियोग्रस्त मरीज चिन्हित किये गये ? क्या यह सही है कि वर्ष 2002-2003 में पोलियो मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो उक्त वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

2001-02	2002-03
(अप्रैल से मार्च)	(अप्रैल से मार्च)
237	1238

जी हां।

जी हां।

सघन पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन हेतु उ0 प्र0 सरकार ने निम्नलिखित रणनीति अपनाई है :-

1-प्रत्येक टीकाकरण दल में स्थानीय प्रभावशाली तीसरा सदस्य सम्मिलित किया गया है जो कि उसी समुदाय का होगा।

2-प्रत्येक टीकाकरण दल में महिला सदस्य रखी गयी है।

3-पर्यवेक्षण कार्य को सुदृढ़ किया गया है जिसके लिए तीन टीकाकरण दलों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है तथा एन0पी0एस0पी0 के मानीटर्स ब्लाक स्तर पर रखे गये हैं।

4-यूनिसेफ के सहयोग से सोशल मोबिलाइजेशन को सुदृढ़ किया गया है।

5-प्रचार-प्रसार को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ किया गया है।

6-प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठकें सुनिश्चित की गयी हैं।

7-उच्च स्तरीय राजनीतिक व प्रशासनिक कटिबद्धता सुनिश्चित की गई है।

8-नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिये अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण) प्रत्येक मण्डल पर नियुक्त किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

'नत्थी ग'

श्री अजीम भाई-

मान्यवर, सरकार ने यह खुद मान लिया है कि 2001-02 में पोलियो के मरीज 237 तथा 2002-03 में 1238 पाये गये। सरकार यह भी कह रही है कि हम इसका सफल संचालन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 8 बिन्दु भी दिये हैं। 8 स्तर पर उन्होंने कार्य-योजना बनायी है जिस पर वह पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। मान्यवर, पूरे देश में जितने भी पोलियो के मरीज मिले हैं उसमें आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। आर्थिक स्थिति के तौर पर हम बिहार से थोड़ा ऊपर हैं लेकिन पोलियो मरीज के मामले में बिहार से नीचे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद नगर में 7 मरीज पोलियो के निकले उसमें से 6 अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक समाज में यह बात तेजी से फैलती जा रही है कि पोलियो की दवा पीने से बच्चे नपुंसक हो जाते हैं। इसलिए पोलियो की दवा वह नहीं पिला रही हैं। यही भावना अन्य बुद्धिजीवियों के वर्ग में भी बलवती हो रही है।

सरकार ने मान लिया कि 2001-02 में 237 तथा 2002-03 में 1238 मरीज मिले इसका मतलब है कि सरकार ने मान लिया कि सरकार की योजना फ्लाप हो गयी। मेरा सवाल है कि क्या सरकार इन योजनाओं पर जो फ्लाप हो गयी है इनके अलावा और ठोस कार्य योजना बनायेगी जिससे पोलियो मरीज न मिलें ? दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज में यह अफवाह कि पोलियो की दवा पीने से बच्चों में नपुंसकता होती है इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है। मान्यवर, 2003-04 में अब तक कुल 75 केस पोलियो के हुए हैं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह पुराने आंकड़े हैं। हमारी सरकार को तीन महीने हुए हैं। 9 नवम्बर को पल्स पोलियो अभियान चला था उसमें 3 करोड़ 46 हजार बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी। यह सही है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है लेकिन यह जो बात है कि अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा हो गया है इसको दूर किया जाएगा। 9 नवम्बर

को लखनऊ की अल्पसंख्यक बस्तियों में सेंटरों पर पहले से 25 प्रतिशत ज्यादा पोलियो ड्राप पिलायी गयी जो आपके जिले का प्राब्लम है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सरकार जानती है कि यह गंभीर समस्या है।

चार जनवरी को फिर प्रोग्राम होगा। इस साल 75 केसेज हुए हैं 2003-2004 में। इसमें हमें आपका सहयोग और जनता का सहयोग चाहिए इस बीमारी को खत्म करने में। तभी हम सफल हो पायेंगे।

श्री अजीम भाई-

मान्यवर, अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा हुआ है यह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इसका इन्होंने खुलासा नहीं किया। बिहार में सात मरीज मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में 1238 मरीज मिलते हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। पूरी दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर शून्य की संख्या में है। पूरी दुनिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक नम्बर पर पहुंच गया है। मान्यवर, मैं उस जगह से चुनकर आता हूं जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। वहां पर भारी संख्या में अल्पसंख्यक निवास करते हैं। मैं स्वयं सबके दरवाजे पर गया हूं वे लोग किस तरह से यह साबित करना चाहते हैं कि यह स्कीम है और इससे पूरी दुनिया में लोग मुसलमानों को कम करना चाहते हैं। यह हमको खत्म करने की कोई योजना है और यह कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि कोई योजना बनायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं बता दूं। माननीय सदस्य की जिज्ञासा बिल्कुल सही है क्योंकि पिछले दिनों कई मौकों पर यह देखा गया है कि जब दवा पिलाने के लिए लोग गये तो उसके एक दो रोज पहले हैण्ड बिल वितरित किये जाते थे कि यह दवा नहीं पिलानी है। लेकिन अब यह व्यवस्था की गयी है कि इन इलाकों में जहां यह दवा पिलानी है वहां के सम्भ्रान्त लोगों, मस्जिद के मौलाना, मौलवियों इत्यादि लोगों से अपील करायी जायेगी। जातीय तौर पर दौरे भी किये जायेंगे उसके बाद दवा पिलाने का काम किया जायेगा ताकि उनमें भरोसा पैदा किया जा सके।

श्री लालजी टण्डन-

क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि इस तरह की बात फैला कौन रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले 2002-2003 में 1278 मिले फिर 2003-2004 केवल 75 मिले इसका मतलब यह है कि संख्या घट रही है।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, हमने दो बड़ी धार्मिक संस्थाएं जैसे नदवा और सुल्तानुल मदारिस से, वहां पर नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, इनसे अपील जारी करा दी है। मैंने सबकी अपील इकट्ठा कर ली है। अगले पल्स पोलियो में यह अपील जारी कर दी जायेगी। माननीय मुलायम सिंह जी ने भी खुद पत्र लिखा था और

उसका पोजिटिव रिसपोंस आया है। इससे बहुत बड़ा चेन्ज होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ी जागृति पैदा होगी।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस पूरे संसार के सभी देशों से पोलियो संक्रमण नष्ट करने की योजना चल रही है। जैसा कि हम पूर्व के आंकड़े देख रहे हैं कि 1238 हुए और बाद में फिर कुछ कम हुए इससे यह लगता है कि इस तंत्र में जो अधिकारी हैं या उनमें जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी कहीं न कहीं इसके प्रति जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उनका ठीक तरह से कार्य न करना, व्यवस्था को सुनिश्चित न करना, जहां विद्युत नहीं है वहां डीजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित न करना, यह सब कारण जिम्मेदार रहे हों तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही उन्होंने की है, जिन्होंने सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना को ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं किया, जिससे यह वैरियेसन पोलियो उन्मूलन में दिखाई पड़ रहा है और इसके टीके के लिए जो सुनिश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, उस तापमान पर इसे रखने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना सही है कि टीकों को रखने के लिए उचित तापमान का होना अति आवश्यक है और इसके लिए विगत दिनों में 07 सी0एम0ओ0 दोषी भी पाए गये हैं। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि पिछली सरकारों ने इसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया,

(इस समय 11 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

लेकिन हम इस बारे में सचेत हैं, पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, हम उनको दोहरायेंगे नहीं, हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं, हम इसे क्रियान्वित करेंगे और इसे अमल में लायेंगे। पहले की तुलना में अब आप बहुत बड़ा फर्क पायेंगे।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए दोषी कितने अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और अगर कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों नहीं की गयी है ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, आपको सारी बातें पता हैं कि पिछली सरकारों में इसके लिए क्या-क्या किया गया, हमारा तो यह पहला पल्स पोलियो अभियान 09 नवम्बर को हुआ था, हम आगे इसमें लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें उसके लिए पुरस्कृत भी किया जायेगा और जो गड़बड़ी करेंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा। हम पोलियो को खत्म करके ही दम लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि जब से वह आये हैं तब से उनका यह पहला पल्स पोलियो अभियान है और आगे से इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, वह करेंगे और इसके खात्मे के लिए हर आवश्यक कदम वह उठायेंगे।

डा0 अजय कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि दो बूंद जिन्दगी के जो यह नारा इसके सम्बन्ध में दिया जाता है उससे यह तो सुनिश्चित हुआ है कि दो बूंद की सफलता पूरे विश्व में सफल हुयी है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में विफल हुयी है नहीं तो जो 75 केस बतायें जा रहे हैं यह भी नहीं होने चाहिए थे, यह 75 की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह क्यों विफल हुआ है जो केस प्रकाश में आये हैं यह किन-किन जिलों में हुए हैं और समाज के किस वर्ग में ज्यादा हुए हैं ? शैक्षिक, अशैक्षिक, धार्मिक आदि किस आधार पर हुए हैं और जो समाज के वर्ग हैं, उनके अनुसार उनको चिन्हित किया गया है और विशेष रूप से यह बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण थे कि पूर्ण रूप से पोलियो खत्म करने की दिशा में पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकी ? बार-बार यह कह देना कि सरकार बदल गयी है, अब इसमें सुधार होगा, इसमें काम नहीं चलेगा। मैं आम तौर पर जानना चाहता हूं कि टारगेट फिक्स करने की दिशा में क्या किया गया है ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, इस दिशा में काफी कार्यवाही कर ली गयी है और इसके लिए जिलों को चिन्हित भी कर लिया गया है।

मान्यवर, इसमें एक तो बदायूं है दूसरा अलीगढ़ है और तीसरा फिरोजाबाद खुद है। मान्यवर, चन्द और जिले हैं। मान्यवर, इन जिलों पर जो 4 जनवरी, 2004 को हमारा पल्स पोलियो अभियान है, इस पर काफी तवज्जो दी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। मान्यवर, आपने अभी जो 75 केसेस बतायें हैं यह ज्यादा हैं, यह आप बता रहे हैं। हमारा अभियान सही चरण में है, मैं आपका सहयोग मानता हूं और उससे पहले एक मीटिंग में मैं आपको बुलाऊंगा भी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पोलियोग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ी है जो आपने पल्स पोलियो अभियान के संचालन के संबंध में 8 बिन्दुओं का जिक्र किया है उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने टीकाकरण दल प्रदेश के अन्दर बनाये गये हैं और पिछली बार पल्स पोलियो अभियान जो प्रदेश के अन्दर चला उसमें कितने मरीजों को पल्स पोलियों के ड्राप पिलाये गये।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, 9 नवम्बर, 2003 की फीगर हमारे पास है इसमें 3 करोड़ 46 लाख पल्स पोलियो के ड्राप पिलाये गये हैं। 94,556 सेन्टर खोले गये थे और वैक्सीनेटर 1,83,499 और 19,410 सुपरवाइजर लगाये गये। अब सरकार द्वारा इन जिलों में जहां लोग प्रभावित हुए हैं, इनकी संख्या बढ़ायी जायेगी। हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं जनता की हैं जनता तक पहुंच जांए। इसमें जो कुछ

कमियां हैं मैं इसमें पिछली सरकारों के काम के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, हम इसमें अच्छा करके दिखायेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपसे सहयोग मांगता हूं।

*3-श्री शाहिद मंजूर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

*4-श्री रामकरन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

*5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

*6-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

*7-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट, पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के समान सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को भी प्रवेश शुल्क समाज कल्याण विभाग से भुगतान कराये जाने की मांग

*8-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का प्रवेश शुल्क समाज कल्याण विभाग से भुगतान कराये जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को भी उक्त सुविधा दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

पिछड़े एवं सामान्य वर्गों के निर्धन छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा कोई योजना प्रचलित एवं वित्त पोषित न होने के कारण एवं उ0 प्र0 सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विचार नहीं किया जा रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आप कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। मैं इसके संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित एवं जनजाति के छात्रों को प्रवेश शुल्क भुगतान कराये जाने का निर्णय लिया है ? क्या यह निर्णय भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तहत लिया है ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जी हां। मान्यवर, यह सारी धनराशि भारत सरकार से ही मिलती है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारे यहां लागू लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर जाति, हर वर्ग के पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के और सामान्य वर्गों के निर्धन छात्रों की चिन्ता करने का दायित्व सरकार का है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यह सुविधा दी जाए और जो दूसरे जाति के निर्धन छात्र हैं उनको यह सुविधा न दी जाए तो यह क्या उचित है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आर्थिक आधार पर विचार कर निर्धन छात्रों को भी यह सुविधा देने पर विचार करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि यह जो योजना है, लाभप्रद है, भारत सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है उसी से हम सहायता देते हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, उस चिन्ता से हम सहमत हैं। हम भारत सरकार से सम्यक् रूप से इसका परीक्षण करके, प्रार्थना भी करेंगे और उनको प्रस्ताव भी भेजेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं ये लोग कम्पटीशन की परीक्षा उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग मैनेजमेन्ट में भाग लेते हैं क्या उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, इस दिशा में भी शासन की तरफ से कोचिंग में जो छात्र हैं उनके लिए हमारे छात्रावास हैं और उसकी व्यवस्था पहले से ही है।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की मांग

*9-श्री धनन्जय सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सचल चिकित्सा दल या कैम्प के आयोजनों पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जनपद लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किये जाते हैं।

जी नहीं।

उपरोक्त योजना में सचल चिकित्सा दल आयोजित करने का प्राविधान नहीं है।

श्री धनन्जय सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह स्वास्थ्य मेला का आयोजन होता है यह जिले में किन-किन स्तरों पर होता है ?

श्री अहमद हसन-

यह भारत सरकार की तरफ से है। अब तक कुल 6 स्थानों पर मेलों का आयोजन हुआ लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर, मथुरा, अलीगढ़ व गौतमबुद्ध नगर।

श्री धनन्जय सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूरे प्रदेश की स्थिति जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने 6 जिलों के संदर्भ में कहा है। मैंने पूछा था कि जिलों में किन-किन स्तर पर, ब्लाक स्तर पर न्याय पंचायत स्तर पर, किन स्तरों पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, मेले में दवा वितरण की जाती है गरीब आदमी मेलों में दवा लेने के लिए टूट पड़ता है। जहां भी मेले का आयोजन होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन स्तरों पर मेले का आयोजन होता है ? अभी माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा आयोजन नहीं है तो ब्लाक स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे मेलों का आयोजन किया जाय ताकि गरीब जनता को लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, उन स्थानों पर जहां नीति के अन्तर्गत मेले लगते हैं उसको बता दें।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, ब्लाक स्तर पर मेलों का आयोजन किया जाता है।

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने केन्द्र सरकार के संदर्भ में कह दिया इसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि ब्लाक स्तर पर मेले का आयोजन किया जा रहा है।

श्री धनन्जय सिंह-

मान्यवर, अगर इसको न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा तो इसके परिणाम लाभकारी होंगे। सचल चिकित्सा दल के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसकी कोई योजना नहीं है। सचल चिकित्सा दल का गठन ग्रामीण स्तर पर किया जाय तो इसके परिणाम लाभकारी होंगे।

श्री अहमद हसन-

हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या गरीबों को चिकित्सा सुविधा देने हेतु पूरे प्रदेश के हर जिले में या ब्लाक स्तर पर सरकार ऐसी योजना बनाकर उसमें तेजी से गति लाकर ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करेगी ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, जो आपने विचार व्यक्त किये हैं, वह स्वागत योग्य ही नहीं हैं बल्कि उसका कार्यान्वयन करने की पूरी कोशिश की जावेगी, क्योंकि यह स्वास्थ्य से संबंधित मामला है, गरीब लोगों में दूरदराज के लोगों में स्वास्थ्य जागृति का सवाल है, इसलिये इन मेलों के आयोजन के लिए मदद हेतु भारत सरकार को लिखा जा रहा है, उसकी योजना बनाई जा रही है, इन साढ़े 3 महीनों में जो अभी

तक हुये हैं, हमारी सरकार के, इसमें इसके लिए न तो कोई बजट था और न कोई मेला हुआ, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका सुझाव ठीक है। एक-एक मेला हर जगह जरूर करा दिया जायेगा, इसके लिये अगले साल हम पूरी कोशिश करेंगे, भारत सरकार से भी प्रयास करेंगे कि इस बात पर पूरा अमल हो जाय। लोगों को इससे फायदा पहुंचे। आपके सुझाव के लिये धन्यवाद।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, स्वास्थ्य मेलों की बात कही गयी और यह बताया गया कि 6 मेले आयोजित किये गये। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कितने स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया और इस वर्ष जो 6 स्वास्थ्य मेले आयोजित किये गये, वह किस महीने तक हुये हैं ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, मेले आयोजित किये गये, जिले दे, दिये गये हैं, यह बहुत बड़ा आयोजन होता है, अच्छा होता है और लोगों में इससे जागृति आती है, लोगों को दवाईयाँ भी दी जाती हैं। मुझे यह भी बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि इस पर 10 लाख का खर्च आता है, अगर हर जिले में इसे करा दिया जायेगा तो इससे ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा , फिलहाल इस मद में अभी कोई बजट नहीं है।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बता दिया कि अभी साढ़े 3 महीने हुये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अगले शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में हर ब्लाक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जायेगा, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे ?

श्री अहमद हसन-

मैंने बता दिया, अभी तो बहुत कम हुआ है, लेकिन हर जिले में करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को हो। यह सुझाव आपका अच्छा है, हम तो चाहेंगे कि पूरे का पूरा पालन करा दिया जाय। आप तो सरकार में रहे हैं, सब जानते हैं, इसे हम देख लेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा 6 स्थानों पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किये गये थे, मरीजों को रोगियों को इसका लाभ भी मिला था। मैं सुझाव भी देना चाहूंगा और प्रश्न भी करूंगा। इस तरह के स्वास्थ्य मेलों में हजारों लोग आते हैं और होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा सभी पद्धतियाँ इसमें मौजूद रहती हैं और लोगों का निशुल्क परीक्षण भी हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार से मिलकर ऐसे स्वास्थ्य मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में करें, इस संबंध में सरकार की क्या योजना है, यह बताने की कृपा करें।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, हमारी तो सरकार गरीबों के लिये है, हमारी तो यही पहली प्राथमिकता है। हम लोग इसका क्रियान्वयन करके एक मिसाल कायम करेंगे, थोड़ा समय दीजिये। हम लोग बहुत कुछ करेंगे, गरीबों के लिये, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी पूरी तरह आपके बताये रास्ते पर चलने को तैयार हैं।

श्री सतीश महाना-

मैं कहना चाहता हूं कि एक मेले के आयोजन पर 10 लाख रुपया खर्च किया जाता है तो माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि जो 10 लाख रुपया खर्च होता है वह जिला स्तर पर होने वाले मेलों के लिए या ब्लाक स्तर पर होने वाले मेलों के लिए या फिर जिला पंचायत स्तर पर होने वाले मेलों के लिए खर्च होता है और हमारा यदि कोई सुझाव हो तो उस पर कृपा पूर्वक ध्यान दें और यह बतायें कि इसमें विधायकों की भागीदारी किस प्रकार से हो सकती है ताकि हम लोग भी इसमें भागीदारी कर सकें ?

श्री अहमद हसन-

मैंने बताया कि मेलों का जो आयोजन होता था वह आप लोगों की सरकारों में हुआ था, मेरे पास कुछ तथ्य हैं, हम खामोश रहना चाहते हैं लेकिन कहना चाहते हैं कि हम आपको एक पारदर्शी सरकार देंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। जहां तक भागीदारी का सवाल है तो आप लोगों की भागीदारी अवश्य होगी। हम पिछली बातों में नहीं जाना चाहते हैं, आप हमारी सरकार को 6 महीने देख लीजिए, सब कुछ हो जायेगा और आप स्वयं प्रशंसा भी करेंगे।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, आपने अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं मेलों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन इसी सरकार द्वारा यह कहा गया है कि सचल चिकित्सा दल ग्रामों के आयोजन पर माननीय मंत्री जी तैयार करेंगे। इस सन्दर्भ में मुझे कहना है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां पर अस्पताल नहीं हैं और जहां पर अस्पताल हैं भी वहां पर चिकित्सकों का अभाव है तो क्या निश्चित दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रारम्भ करायी जायेगी ? और जहां पर चिकित्सकों की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, वहां पर निश्चित तौर पर सचल चिकित्सा दल भेजने के ऊपर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अहमद हसन-

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सतीश महाना-

अभी आपने कहा है कि सचल चिकित्सा दल पर विचार नहीं किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

मान्यवर, आप मंत्री भी रह चुके हैं, जब तक आपको अनुमति न मिले तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले तथा बहिरंग के मरीजों की चिकित्सा हेतु प्रति व्यक्ति अनुमन्य धनराशि की जानकारी

*10-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चिकित्सालय में भर्ती होने वाले तथा बहिरंग के मरीजों की चिकित्सा हेतु प्रति मरीज तथा प्रति बेड कितनी धनराशि सरकार द्वारा अनुमन्य है ? क्या वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इसमें वृद्धि करने और राजकीय चिकित्सालयों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री राजवीर सिंह)-

राजकीय चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीजों की चिकित्सा हेतु औषधि मद में मानक के अनुसार प्रति शैय्या प्रति वर्ष 10,000 रुपया (दस हजार रुपया) अनुमन्य है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं, एक भाग में मैंने कहा था कि राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने के लिए तथा बहिरंग के मरीजों की चिकित्सा हेतु, यह दो पार्ट हैं और जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है उसमें एक अंश का उत्तर है कि भर्ती होने वाले मरीजों की चिकित्सा पर 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति व्यय किया जाता है। जो मेरे प्रश्न का दूसरा अंश है कृपया उसका उत्तर दिलाने की कृपा करें। जो उत्तर आया भी है, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि आज के इस मंहगाई के युग में जब दवायें इतनी मंहगी हैं और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कोई भी सदस्य जो आलोचना करता रहता है चाहे वह बजट पर हो चाहे किसी चीज पर, वह यह स्वीकार करते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं रहते हैं और यदि डाक्टर रहते भी हैं तो दवायें नहीं रहती हैं और फिर अगर 10 हजार रुपये प्रति बेड प्रति वर्ष को विभाजित करें तो उपाध्यक्ष महोदय, प्रति बेड करीब 26-27 रुपये आ रहा है। प्रति बेड के हिसाब से जो 26-27 रुपया प्रति मरीज का आ रहा है, जो उन मरीजों के लिए निश्चित है, वह भी उन मरीजों पर व्यय नहीं किया जाता, उसका लाभ उन मरीजों को नहीं मिलता है। मेरा यह प्रश्न है कि मरीजों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये, जिनके लिए अस्पतालों का निर्माण हुआ है और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक कल्याणकारी सरकार की प्राथमिकतायें हैं तो जो 10 हजार रुपया प्रति बेड प्रति वर्ष का प्राविधान किया गया है, यह सुनिश्चित करें कि उसका लाभ मरीजों को हो। होता यह है कि मरीज को पर्ची लिखकर दे दी जाती है कि ये दवायें नहीं हैं, बाहर से खरीद कर लाईये। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, आप चिकित्सक हैं, आपको अनुभव है आज अस्पतालों में मरीजों को दवायें नहीं मिल पाती हैं और वह दवायें केमिस्टों-ड्रगिस्टों के यहां पहुंच जाती हैं। मान्यवर, यह उत्तर न आये कि मुझे तो अभी साढ़े तीन महीने हुये हैं। यह एक तकिया कलाम होता जा रहा है। मैं चाहुंगा कि संजीदगी से उत्तर दिया जाय। जो किसी ने नहीं किया उसे आप करने का दावा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मरीजों को दवायें उपलब्ध हों और जो 26-27 रुपया प्रति बेड प्रतिवर्ष आ रहा है, इसको बढ़ाने का सरकार

प्रयास करे। दूसरे मान्यवर, जो आउटडोर पेशेक्ट आते हैं उनको सरकार क्या दवायें देती है ? अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने की कार्यवाही करें। मान्यवर, आउटडोर पेशेन्ट पर कितना खर्च किया जा रहा है इसका उत्तर नहीं आया है। मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि आउट डोर पेशेन्ट पर कितना खर्च किया जा रहा है ?

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, प्रतिवर्ष प्रति बेड के हिसाब से धनराशि फिक्स है। जो पेशेन्ट भर्ती नहीं होते हैं और ओ0पी0डी0 में आकर चले जाते हैं उनको पूरी दवा उपलब्ध करायी जाती हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है। सम्मानित सदस्य लिखकर दे दें कि क्या भ्रष्टाचार है, हम उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। दूसरी जो भर्ती की बात है तो जो 10 हजार प्रतिवर्ष प्रति बेड रखा है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि बेड पूरे एक साल तक भरा रहता है। कभी 75, कभी 70 और कभी 50 प्रतिशत शैय्या भर जाते हैं और इससे धनराशि का औसत बढ़ जाता है। मान्यवर, मैं कल से देख रहा हूं स्वास्थ्य विभाग को बहुत जल्दी घेरा जा रहा है। यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग को घेरना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर एक गांव के गरीब व्यक्ति तक इसका संबंध है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे अभी साढ़े तीन महीने ही हुये हैं, मैं साढ़े तीन साल आगे भी इसी कुर्सी पर रहकर सेवा करूंगा। यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। पिछली सरकार ने मरीजों का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य बहुत खराब कर दिया था। मेरा उत्तरदायित्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते है सभी के स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास करना। जहां तक मरीजों की बात है तथा उनको सुविधा उपलब्ध कराने की बात है। मरीजों के प्रति अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी और निष्टा के साथ निभा रहा हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह इतनी बड़ी पंचायत है और जनता को जो होने वाली पीड़ा है, जो यथार्थ है उसका वर्णन नहीं किया जायेगा तो कहां किया जायेगा। आपको पीड़ा हो रही है कि स्वास्थ्य पर ज्यादा चिन्ता प्रकट कर रहे हैं इससे मुझे भी चिन्ता हो रही है कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र बनें, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने कुछ नया नहीं कहा। आपने इस पर कुछ नहीं कहा कि कहां भ्रष्टाचार है। आप भी मंत्री के अतिरिक्त एक सदस्य हैं। क्षेत्रीय जनता से शिकायतें मिलती हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि कहां भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है। यह पूछना कि कहां भ्रष्टाचार है तो बताना बड़ा कठिन कार्य हो जायेगा। मान्यवर, आपने इतने महत्वपूर्ण विभाग प्राप्त किया है इसके लिए तो लोग आपको घेरेंगे ही। मान्यवर, इसके लिए जनता को बहुत कष्ट है। हालांकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मैं आप के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिम्मेदारी मिली थी, इसका मुझे थोड़ा अनुभव है कि दवाईयाँ उपलब्ध नहीं है, जांच किया, रजिस्टर देखा और जो मरीज खड़े थे उनसे पूछा कि जो प्रेस क्राइब्ड दवाईयाँ हैं कितनी दवाईयाँ अस्पताल से मिलती हैं। लोगों ने बताया कि एक दवा अस्पताल से मिलती है और बाकी दवाईयाँ बाहर से मिलती हैं। मान्यवर, स्वास्थ्य केन्द्रों पर और डाक्टरों के अन्दर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने के प्रति आप कोई सकारात्मक कदम उठायेंगे ? यही मेरी इतनी सी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपने मूल प्रश्न से हटकर बात कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी भी एक जिज्ञासा है कि इस प्रश्न के संदर्भ में हमारे विद्वान दादा हैं उन्होंने कहा कि ईश्वर की तरह भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ईश्वर और भ्रष्टाचार लगभग बराबर है। मान्यवर, इनके ही लोगों का मानना है कि रुपया खुदा से कम नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि भगवान भारतीय जनता पार्टी पर इतने कृपालू क्यों हैं ? इनका भ्रष्टाचार सब को दिखाई पड़ जाता है। चाहे जोगी का मामला हो, चाहे तहलका का मामला हो। इनका ही सी0डी0 में आ जाता है, बाकी का आडियों में रह जाता है।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानने की जिज्ञासा रखता हूं कि जैसा उन्होंने कहा है, इस सदन में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए उन्हें घेरा जा रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मान्यवर, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मकान और अच्छे शहर की कामना तो हर एक व्यक्ति करता है तो अगर इसलिए माननीय सदस्य को घेरा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है ? मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि ओ0पी0डी0 मरीजों को दवाएं दी जाती हैं लेकिन जो बहिरंग मरीज आते हैं तो क्या उनको उन सभी को दवाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें हर प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, हर प्रकार की दवाएं मरीजों को उपलब्ध करा दी जाती हैं। चूंकि माननीय सदस्य स्वास्थ्य की बात को लेकर बहुत गम्भीर हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बजट आया है उसमें स्वास्थ्य विभाग के काम काज को सही तरीके से चलाने के लिए चालीस करोड़ रुपये बढ़ाये गये हैं, उसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई कमी है तो माननीय सदस्य हमें यह बता दें, लिखकर दे दें उस कमी को जरूर पूरा किया जाएगा।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो अस्पतालों में प्रति बेड दस हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है तो क्या उस धनराशि में कुछ बढ़ोत्तरी करने का कार्य इस सरकार द्वारा किया जाएगा ?

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, जिस हिसाब से मरीज बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से बेडों की व्यवस्था की जाएगी। अन्य साधनों को भी बढ़ाया जाएगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बलिया, गाजीपुर, मऊ में जिला अस्पताल हैं वहां जो न्यूरो सर्जरी के रोगी आते हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं और यह सदन भी इससे भली-भांति अवगत होगा।

मान्यवर, जो न्यूरो सर्जरी का काम है उसके लिए सीटी स्कैन मशीन की आवश्यकता होती है और इन जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है जो आज समय की मांग है और आवश्यकता है। मान्यवर, आज हमने आजादी के 56 साल तय कर लिए हैं लेकिन इन अस्पतालों में सीटी स्कैन की कोई व्यवस्था नहीं तो क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे कि जो जिला हेड-क्वार्टर्स हैं उनमें ऐसी कोई व्यवस्था की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय श्री राम इकबाल जी, अगर सीटी स्कैन की व्यवस्था सिर्फ जिला हेड-क्वार्टर्स में ही हो जाय तो बहुत है, यह व्यवस्था सिर्फ लखनऊ मेडिकल कालेज में ही है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, सीटी स्कैन की व्यवस्था न होने से अनेक जिलों में आज मरीज इस समस्या से जूझ रहे हैं, हजारों मरीज इसके, सीटी स्कैन मशीन के अभाव होने से मर रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हर जगह सीटी स्कैन की मशीन लगाई जा सके।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कहीं भी कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के मरीजों के उपचार के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। मान्यवर, इसके लिए रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होती है और मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रेडियोथेरेपी के अभाव में आज मरीजों की मृत्यु हो रही है तो कम से कम पांच मशीनों का प्राविधान लखनऊ और गोरखपुर के अस्पतालों में कर दिया जाय।

श्री राजवीर सिंह-

जब बजट आयेगा तो इसका प्राविधान रखेंगे।

प्रदेश के चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारम्भ करने की योजना

*प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार की कोई योजना नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चूंकि समय है इसलिए नत्थी क का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-1 एक ले लें। मेरी और मेरे दल की रुचि है।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है।

(प्रश्न का उत्तर आने में थोड़ा विलम्ब होने पर।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे खेद है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मूल प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने की बात कही है। मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 44 प्रतिशत गन्ना मिलों को जाता है जबकि बाकी गुड़, खांडसारी आदि को जाता है। 44 प्रतिशत मिलों को गया और बाकी 56 प्रतिशत जो रहा उसके दाम 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं सम्पूर्ण गन्ने की पेराई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अभी तो 44 प्रतिशत मान रहे हैं लेकिन सम्पूर्ण गन्ने की पेराई के लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सवाल यह है कि अभी जो 44 प्रतिशत ले रहे हैं इस पर पहले भी सवाल आ चुका है कि आपका बेसिक कोटा तय करने का आधार क्या है ? वह आधार बताने की कृपा करें। क्या आधार बेसिक कोटा के लिए तय किया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पर नेता सदन खुद सदन में घोषणा कर चुके हैं। किसानों के हित के लिए यह सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार ही नहीं बल्कि कटिबद्ध और वचनबद्ध है। गन्ना किसानों का बहुत अहित हुआ है। उनका गन्ना जलाया भी गया है। उन्हीं के द्वारा ऐसा दिन प्रदेश ने देखा है। उनके गन्ने का दाम नहीं मिला है यह भी पिछले सत्र तक होता रहा है लेकिन इस सत्र में गन्ना किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए एक भी गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहेगा। एक-एक गन्ने की पेराई होगी। अभी कुछ रोज पहले इस पर उत्तर आ चुका है। इस पर बहस भी हो चुकी है। पांच गुना पेराई अब तक हो चुकी है पिछले साल की तुलना में गन्ना हमारी वरीयता में है किसान हमारी वरीयता में है। यह सरकार किसानों और मेहनतकश की सरकार है। आप यूं ही चिन्तित हैं। यह चिन्ता पिछले साल के गन्ना किसानों की दुर्दशा के कारण है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं बल्कि 12.20 बजने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा है कि बेसिक कोटा का आधार क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी मैं बैठा नहीं हूं। अभी मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे जवाब पूरा करने दें।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह पीठ के आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मंत्री जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हुकुम सिंह जी मैं तो चाहता हूं कि आप यहां आकर काम करें। आप अकेले आयें। ज्यादा से ज्यादा बाजपेयी जी आ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सवाल का उत्तर दिलवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है। सट्टे का आधार क्या हैं। पिछले साल की अपेक्षा जो बेसिक सट्टा, बेसिक कोटा किसान का था उसको भी कम कर दिया। आज किसान की दुर्दशा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 95/100 रुपया प्रति कुन्तल किसानों को दिलाया गया।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को एक-एक पैसे का भुगतान कराया और आज आपकी सरकार में किसान का शोषण हो रहा है। गन्ना 44 रुपये क्विंटल पर खरीदा जा रहा है। हम प्रश्न कर रहे हैं और मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप में किसानों के लिये जरा भी हमदर्दी बची है कि नहीं ?

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, गन्ने के मूल्य के बारे में कहना है कि यह गन्ना मूल्य किसानों को कम दे रहें हैं। हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट ने गन्ने का मूल्य 95-100 रुपये मूल्य का फैसला होने तक देने के लिये निर्धारित कर दिया है। आप इस आदेश का पालन कराकर किसानों को उसके आधार पर गन्ना मूल्य दे रहे हैं कि नहीं ? आप इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। भुगतान हुआ है कि नहीं ? प्राइवेट मिलों के ऊपर भुगतान के लिये कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। किसानों का 40 प्रतिशत गन्ना पेराई हो रहा है और उस पर भी उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से तो वह मर जायेगा। आपके आंकड़ों के अनुसार मर जायेगा। जो हाई कोर्ट ने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है फैसला होने तक, आप उसके अनुसार किसानों को भुगतान दिलवायेंगे कि नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने सट्टे के बारे में और नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में पूछा है। मान्यवर, यह सूचना बिल्कुल सही नहीं है कि मानक बदल गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने प्रश्न क्या किया था और उत्तर क्या दे रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं एक-एक करके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अब आप ही तय कर लें कि पहले किसके प्रश्न का उत्तर दिया जाय। उपाध्यक्ष जी, मजबूरी में हुकुम सिंह जी ने अपना सवाल वापस ले लिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

वरीयता दे दी है, वापस नहीं लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह आपकी जिज्ञासा सही है कि किसानों का हित होना चाहिये। मैं यह बात नहीं दोहराना चाहता कि पिछली सरकारों ने किसानों के साथ क्या-क्या किया है ?

श्री लालजी टण्डन-

यह घुमाने की बात है। हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दिलवा रहे हैं कि नहीं और इस बार पर्ची में मूल्य लिखा जा रहा है कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब नही दिया जा रहा हैं किसानों का शोषण हो रहा है। यह सरकार किसान विरोधी है हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से चले गये।)

अतारांकित प्रश्न

1-डा0 वकार अहमद शाह-

[मा0 उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया।]

2-श्री विश्राम सिंह यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वर्ष 2001 तथा 2002 में उत्तरांचल राज्य से वापस आये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों की जानकारी

3-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2001 तथा वर्ष 2002 में उत्तरांचल राज्य से वापस आये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं , यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

टिप्पणी-अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0-1 के अनुपूरक प्रश्न के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

स्वास्थ्य विभाग में पुरुष एवं महिला चिकित्साधिकारियों के सृजित पद तथा महिलाओं के स्थान पर पुरुष चिकित्साधिकारी की तैनाती किये जाने की मांग

5-श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में पुरुष चिकित्साधिकारी एवं महिला चिकित्साधिकारी के पद अलग-अलग सृजित हैं। यदि हां, तो वर्तमान में लखनऊ शहर में कितने पुरुष एवं कितने महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार महिला चिकित्साधिकारियों के पदों पर पुरुष चिकित्साधिकारी की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

252 पुरुष एवं 122 महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। विशेष परिस्थितियों में महिला चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने पर एनेस्थेटिस्ट, पैथालोजिस्ट एवं बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर पुरुष चिकित्साधिकारी की तैनाती की जाती है।

6-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

7-श्री शाकिर अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

8-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बभनान, बस्ती के चिकित्साधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाये जाने की मांग

9-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बभनान, बस्ती के डाक्टरों द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण वहां की क्षेत्रीय जनता को उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है , यदि हां, तो क्या सरकार वहां की जनता को अस्पताल की सेवाओं का पूर्ण लाभ दिलाये जाने हेतु चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बभनान, बस्ती में डा0 जे0 पी0 पाण्डेय, चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर कार्यरत हैं, जो नियमित रूप से चिकित्सालय पर उपस्थित रहकर क्षेत्रीय जनता को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

उक्त केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) द्वारा क्षेत्रीय जनता को अस्पताल की सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है एवं चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में सीधी भर्ती में कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन में आरक्षण नियमों के उल्लंघन की जांच

10-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में सीधी भर्ती के कनिष्ठ लिपिक के पांच पदों में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दो पदों में से एक पद पर अनियमित रूप से सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मी को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 25-3-1992 व दिनांक 29-3-1994 के विरुद्ध विभागीय चयन समिति बनाकर माह अप्रैल, 2003 में प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक/टंकक के एक पद पर "उ0 प्र0 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992" एवं तदविषयक "उ0 प्र0 अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001" के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के सामान्य वर्ग के एक अभ्यर्थी की पदोन्नति की गई है। इस चयन में रिक्ति की गणना त्रुटिपूर्ण है और प्रश्नगत एक रिक्ति "उ0 प्र0 अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह "ग" के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001" के प्राविधान के अनुसार रिक्ति के 20% के आधार पर न होकर कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पदों को मिलाकर कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 20% के आधार पर की गई है। चयन समिति का गठन भी शासनादेश संख्या-13/19/91-का-1/1992 दिनांक 25-3-92 तथा शासनादेश संख्या-483/का-1/94-1/1/94 दिनांक 29-3-1994 के अनुसार नहीं है।

रिक्तियों की गणना त्रटिपूर्ण होने के कारण उक्त प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

प्रोन्नति की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करते हुये दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 10-9-2003 को जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के उचहुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

*11-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के उचहुआ में सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य शून्य है।

विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ में आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज स्थापित किये जाने की मांग

12-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद-आजमगढ़ में आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज स्थापित किये जाने हेतु जमीन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालेज की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

13-डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

15-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

16-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

17-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

18-श्री राकेश वर्मा-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

19-श्री राकेश वर्मा-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

20-श्री राकेश वर्मा-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

21-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

22-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ के महिला कल्याण निदेशालय के सम्बद्ध लिपिकों का तैनाती आदेश का पालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही

23-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के पहले बुध के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-98 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्बद्ध लिपिकों

को कब उनके कार्यालयों में तैनात किया गया है ? क्या यह सही है कि अभी तक सभी लिपिक निदेशालय में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

सम्बद्ध लिपिकों की तैनाती, कार्यभार ग्रहण करने एवं अब तक चार कर्मियों द्वारा तैनाती आदेश का पालन न करने का तथ्यात्मक विवरण संलग्न है।

उपरोक्त में से कोई भी कर्मचारी वर्तमान में निदेशालय में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 135 पर।)

प्रदेश के महिला कल्याण निदेशालय में शोध सहायक अधिकारी की नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

24-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय में लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पद पर निदेशक द्वारा शोध सहायक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कब से क्या उक्त नियुक्ति को निरस्त करते हुये निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

महिला कल्याण निदेशालय में शोध सहायक अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है। शोध सहायक का पद धारक एवं पद समाज कल्याण विभाग से स्थानान्तरित हुआ है जो लोक सेवा आयोग की परिधि का नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के पी0 जी0 आई0 में प्रभारी प्रशासक के पद पर नियुक्ति

25-श्री राम स्वरूप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी पी0 जी0 आई0 लखनऊ में प्रभारी प्रशासक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो रिक्त पद पर प्रभारी प्रशासक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

(क) जी नहीं। संस्थान में प्रभारी प्रशासक के नाम से कोई पद सृजित ही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के काकोरी शहीद इण्टर कालेज कटरा में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण

26-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-6-2002 जो काकोरी शहीद इण्टर कालेज कटरा, शाहजहांपुर के अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2000-01 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 1802 दिनांक 12-6-02 में जिला अल्पसंख्यक

कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब)-

पत्र दिनांक 21-6-2002 के बजाय पत्र दिनांक 21-5-2002 प्राप्त हुआ है।

जी हां।

उक्त विद्यालय की सूची कार्यालय को दिनांक 20-10-2000 को प्राप्त हुई थी तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय को छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड कटरा बाजार के ग्राम पूरे बहोरी के कोटेदार द्वारा की जा रही अनियमितता विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

27-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार के अन्तर्गत ग्राम पूरे बहोरी के कोटेदार द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 31-1-2003 पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री के आदेश संख्या-231/वी0आई0पी0 2003 दिनांक 3-2-2003 जिलाधिकारी, गोण्डा को कोटा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

जी हां।

जांच में शिकायत सही पाये जाने पर उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध पत्र निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अपर मण्डलीय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को राज्य कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्राप्त दावों के निस्तारण की जानकारी

28-श्री ओम प्रकाश-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2001-2002 व 2002-2003 में राज्य कर्मचारियों द्वारा कितने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे अपर मण्डलीय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने हेतु प्राप्त हुए हैं, प्राप्त दावों में से कितने मामले लम्बित हैं ? क्या सरकार शेष लम्बित दावों का निस्तारण शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

वर्ष 2001-2002 में कुल 1751 दावें प्राप्त हुए। सभी दावों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 2002-2003 में 2123 दावे प्राप्त हुए जिनमें से 1848 का निस्तारण किया जा चुका है तथा मात्र 275 दावे निस्तारण हेतु लम्बित हैं, जिनके निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

29-श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

30-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

31-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[आश्वासन समिति के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

32-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

33-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

34-श्री इकबाल महमूद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी लखनऊ में आडिट अनियमितताओं में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ की वर्ष 2001-2002 में महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा कराई गई आडिट में अनियमिततायें पाई गई हैं ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

उक्त का परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महिला कल्याण निदेशालय में शोध सहायक को कम्प्यूटर भत्ता दिये जाने की जांच

36-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय में शोध सहायक के पद पर तैनात कर्मचारी को सामान्य कार्य के अतिरिक्त कम्प्यूटर संचालित करने हेतु भत्ता 100/- रु0 प्रति माह की दर से निदेशक महिला कल्याण के पत्र संख्या-4276/म0क0नि0/स्था-कम्प्यूटर भत्ता/99, 5 नवम्बर, 1999 द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कर्मी को 100/- के स्थान पर रु0 300/- प्रतिमाह कम्प्यूटर भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शोध सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी को स्वीकृत रु0 100/. के स्थान पर रु0 300/- प्रतिमाह कम्प्यूटर भत्ता दिया गया है, जो अनुमन्य न होने के कारण निदेशालय आदेश सं0-1088-91/निदे0म0क0/स्था0/2003-04, दिनांक 6-8-2003 द्वारा निरस्त कर भुगतान की गई धनराशि के वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जांचोपरान्त उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

37-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

38-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

39-श्री राम किशुन-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद के लिए दिनांक 9-7-99 को सम्पन्न हुई लिखित परीक्षा व्यापक अनियमितता के कारण निरस्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा पुनः कब आयोजित की जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में कितने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

होम्योपैथिक विभाग में रिक्त फार्मेसिस्टों के पदों पर बैकलाग के रूप में 106 पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति की जा चुकी है। उक्त नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को भर्ती हेतु दिनांक 9-7-99 की आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षा में भाग लिया गया था। वर्तमान में फार्मेसिस्टों के 98 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरे जाने के संबंध में भर्ती पर रोक हटाये जाने के उपरान्त यथाशीघ्र चयन की कार्यवाही की जायेगी। प्रश्न नहीं उठता।

40-41-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद शाहजहांपुर को निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी हेतु प्रदान धनराशि के वितरण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

42-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के चौथे बुध के अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोषी पाये गये दो कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

दो कर्मचारियों श्री महेश प्रसाद क0नि0 तथा श्री आलोक शर्मा ग्रा0वि0अधि0 को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था। जांचोपरान्त कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहन, जिला मैनपुरी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम करने विषयक-पत्र

43-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहन, जिला मैनपुरी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर करने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी का पत्रांक सी0एम0ओ0/2000, दिनांक 18-11-2000 एवं पत्रांक सी0एम0ओ0/विविध/2002/825, दिनांक 3-10-2002 शासन एवं महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में सीधी भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

45-श्री घूरा राम-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित कनिष्ट लिपिक के सीधी भर्ती के पदों पर मात्र अनुसूचित जाति के ही चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नत किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में सीधी भर्ती के कनिष्ठ लिपिक के पांच पदों में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दो पदों में से एक पद पर सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मी को कार्मिक विभाग-1 के शासनादेश दिनांक 25-3-1992 व दिनांक 29-3-1994 के विरुद्ध अराजपत्रित व सेवानिवृत्त कार्मिकों की विभागीय चयन समिति बनाकर माह अप्रैल, 2003 में प्रोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध पदोन्नति नहीं की जा सकती है।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में टंकक के पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की पदोन्नति अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं वरन कनिष्ठ लिपिक/टंकक के अलग-अलग संवर्गों को एक में सम्मिलित कर समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नति हेतु रिक्ति की गणना त्रुटिपूर्ण ढंग से करके की गयी है।

चूंकि प्रश्नगत प्रोन्नति में आरक्षण नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः इसके लिये सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

रिक्तियों की गणना त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रदान की गयी उक्त प्रोन्नति को निरस्त करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 10-9-2003 को जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

46 से 48-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

49-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

50-51-श्री आर0 के0 चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालय सनौरा, रम्पुरा के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

52-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-2002 जो अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 2001-02 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या-1908, दिनांक 18-7-02 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब-

जी हां।

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय सनौरा रम्पुरा को वर्ष 2001-02 में मांग-पत्र दिनांक 3-10-2001 को प्राप्त हुआ था। धनाभाव के कारण वर्ष 2001-02 में उक्त विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। वर्ष 2002-03 में उक्त विद्यालय के 27 छात्रों हेतु रुपये 8100.00 की धनराशि दी जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

53-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

54-श्री आर0 के0 चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जैतीपुर में नियुक्त वन कर्मियों द्वारा अवैध कटान

55-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-2000 या इसके आस-पास जो जैतीपुर में नियुक्त वन कर्मियों द्वारा कराये जा रहे अवैध कटान के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, ने पत्रांक 178 दिनांक 9-8-2000 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्रांक 178/एस0टी0/2000, दिनांक 9-8-2000 द्वारा मा0 सदस्य का पत्र दिनांकित 27-7-2000 प्रभागीय निदेशक, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ था। उसमें उल्लिखित शिकायत की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, तिलहर से करायी गयी। चूंकि इस मामले में कोई दोषी नहीं पाया गया, अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

56-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां में यूजर चार्जेज मद में प्राप्त धनराशि व उसका व्यय का विवरण

57-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां में वित्तीय वर्ष 2002-03 में यूजर चार्जेज मद में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त धनराशि से उक्त अवधि में प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त मद में प्राप्त धनराशि का उक्त अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जनपद-हरदोई के प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां में वर्ष 2002-03 में यूजर चार्जेज के मद में कुल रु0 46,674/- प्राप्त हुआ है।

प्राप्त धनराशि से विभिन्न मदों में कुल रु0 22,413/- व्यय किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :--

(1) जनरेटर के पी0 ओ0 एल0 व आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था	1141.00

(2) रोगी वाहन पी0 ओ0 एल0 एवं आकस्मिक स्थिति में मरम्मत		2857.00
(3) सिविल कार्य		995.00
(4) वस्त्र, बिस्तर, सर्जिकल ड्रेसिंग डिस्पोजल आइटम		4765.00
(5) लेखन व मुद्रण सामग्री		1038.00
(6) डिस्प्ले बोर्ड व प्रचार सामग्री		1000.00
(7) कम्प्यूटर की व्यवस्था		2575.00
(8) संचार सिस्टम		3060.00
(9) विविध व्यय		4982.00
	योग रु0	22413.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज हेतु प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा कराने के निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

58-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि को आगामी कार्य दिवस में बैंक में जमा किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लावां में न करके यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा विलम्ब से जमा कर सरकारी धनराशि को निजी प्रयोग में लाया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2003 तक प्राप्त धनराशि को बैंक में किन तिथियों में जमा किया गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1716/15-1-2000-4(80)/95 टी0 सी0-1, दिनांक 6 जुलाई, 2000 द्वारा चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि को आगामी कार्य दिवस को राजकोष/बैंक खाते में जमा कराये जाने के निर्देश हैं। परन्तु विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अन्य राजकीय चिकित्सा इकाई, स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरी तथा ग्रामीण महिला चिकित्सालय इत्यादि में प्राप्त धनराशि को 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जमा कराये जाने के निर्देश हैं।

माह	राजकीय कोष में जमा करने की तिथि	चिकित्सा सुधार समिति के खाते में जमा करने की तिथि
जनवरी, 03	27-1-2003	31-1-2003
फरवरी, 03	24-2-2003	7-3-2003
मार्च; 03	27-3-2003	21-4-2003

धनराशि जमा किये जाने में विलम्ब अवश्य हुआ है, किन्तु उसी माह में धनराशि जमा कर दी गई है। शासकीय धन को निजी प्रयोग में लाये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी दोषी सम्बन्धित कर्मचारी को शासनादेश का अनुपालन न किये जाने हेतु चेतावनी के साथ भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न किये जाने हेतु सचेत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

59-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद मैनपुरी में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन

60-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2002-2003 में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वर्ष 2002-2003 में जनपद मैनपुरी में 180 नवीन आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

61-डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर के गांव डभौरा सिमरा में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन न मिलने विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच

62-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0 63696, दिनांक 4-8-02 जो अम्बेडकर गांव डभौरा सिमरा विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद-शाहजहांपुर में लाभार्थियों को स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की जांच कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

माननीय विधायक द्वारा संबंधित ग्राम डभौरा सिमरा से वृद्धावस्था पेंशन के 30 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 27 लाभार्थियो के आवेदन-पत्र पूर्ण पाये गये, उन्हें पेंशन का भुगतान कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

63-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-1 नं0 174443 तथा पत्र सं0-क-1-236611, दिनांक 19-3-02 जो जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में थे, जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

मा0 सदस्य का पत्र सं0-क-नं0 236611, दिनांक 19-03-2002 जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ जो कि तृतीय संशोधित कुष्ठ निवारण अभियान दि0 2-10-2001 से 8-10-2001 में खोजे गये रोगियों की संख्या अभियान के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि तथा व्यय की गयी धनराशि के विवरण से संबंधित था। पत्र संख्या-क-1 नं0-174443, दिनांक 19-03-2002 जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त नहीं हुआ।

मा0 सदस्य द्वारा वांछित सूचना जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 24-06-2002 द्वारा उनको उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में स्थानान्तरित चिकित्सकों के आवास खाली कराने की मांग

64-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में वर्ष 2002 में स्थानान्तरित किये गये चिकित्सकों द्वारा आवास खाली नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो उनके आवंटित आवासों को कब तक खाली करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

वर्ष 2002 में स्थानान्तरित सरकारी चिकित्सकों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला, हरदोई के सरकारी आवास खाली कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आरक्षण कोटा (बैकलाग) पूरा किये जाने की मांग

66-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा (बैकलाग) पूरा है ? यदि नहीं, तो उक्त कोटा (बैकलाग) कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)-

जी नहीं।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के रिक्त दो पदों पर पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिनांक 9-6-2003 को विशेष अधियाचन लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को भेजा गया है जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

67-डा0 वकार अहमद शाह-

[मा0 उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद शाहजहांपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को राशन दिलवाये जाने सम्बन्धी पत्र

68-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को राशन दिलवाने विषयक पत्र दि0 5-3-03 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने सम्बन्धी पत्र

69-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कार्ड धारकों को राशन आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 4-3-03 को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 13481 (बी0 पी0 एल0) राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराने हेतु विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 178 उचित दर की दुकानें संचालित हैं, जिनके द्वारा बी0 पी0 एल0 लाभार्थियों को आवंटित खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी के तेल का समुचित वितरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

70-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय मैनपुरी में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों का स्थानान्तरण/समायोजन अन्य जनपद में किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 5-3-03 को प्रमुख सचिव. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण/समायोजन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

जी नहीं। जनपद मैनपुरी में कनिष्ठ लिपिकों के कुल 18 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध 18 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं। मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित अधिसंख्य पदों के विरुद्ध कार्यरत लिपिकों को नियमानुसार समायोजित किये जाने के निर्देश निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

71-डा0 शिव प्रताप यादव-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश में सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिये जाने की मांग

72-श्री अजीम भाई-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब-

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1998) के द्वितीय प्रतिवेदन (आंशिक)/छठे प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों को दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निरीक्षक अरबी फारसी मद्रसा के पद पर नियुक्ति की मांग

73-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्णकालीन रजिस्ट्रार/निरीक्षक मदरसा की नियुक्ति करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब-

जी नहीं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वर्ष 1995 में गठन के उपरान्त शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-1772/15-1-97-30(1)/96, दिनांक 27-10-97 द्वारा निरीक्षक, अरबी-फारसी मदरसा का पद शिक्षा विभाग से इस विभाग को हस्तान्तरित हुआ है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 के प्रस्तर-18, 19 सपठित परिशिष्ट दो के पैरा-19 के प्राविधानों के अनुसार निरीक्षक, अरबी, फारसी मदरसा के पद पर शिक्षा संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण के आधार पर भरे जाने का प्राविधान है। चूंकि निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप शिक्षा सेवा से सम्बन्धित योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण उक्त पद पर किसी की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। निर्धारित अर्हता रखने वाले शिक्षा सेवा नियमावली में उल्लिखित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही पूर्णकालिक नियुक्ति की जानी सम्भव हो सकेगी। इसी कारण वर्तमान में निरीक्षक, अरबी-फारसी मदरसा के पद का कार्य अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक आदि से अतिरिक्त कार्य के रूप में कार्य लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

कन्या शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश का स्थान व इसे कम करने की योजना

74-श्री अजीम भाई-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या शिशु मृत्यु दर में देश स्तर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ? क्या यह सही है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्ष 2002-2003 में कन्या शिशु मृत्यु दर बढ़ी है ? यदि हां, तो कन्या शिशु मृत्यु दर कम करने के लिये कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

कन्या शिशु मृत्यु दर में देश स्तर पर उत्तर प्रदेश का 15 बड़े राज्यों की तुलनात्मक सूची में 12वां स्थान है।

वर्ष 2002-2003 के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। यह आंकड़े सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत सरकार द्वारा प्राप्त कराये जाते हैं। वर्ष 1999 के आंकड़े के आधार पर कन्या शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये टीकाकरण, आर0 सी0 एच0 कार्यक्रम पूर्व से ही संचालित हैं।

जनपद रामपुर के राजकीय अरबी कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग

75-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय अरबी कालेज, रामपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यदि नहीं, तो उक्त कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाजी याकूब-

जी नहीं ।

प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजकीय अरबी कालेज, रामपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लावां के श्री राम स्वरूप वर्मा आई0 ओ0 के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच

76-श्री बादशाह सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लावां में कार्यरत श्री राम स्वरूप वर्मा आई0 ओ0 (एस0 पी0 एस0) द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध मा0 विधायक श्री अब्दुल मन्नान का शिकायती-पत्र मई, 2003 के प्रथम सप्ताह में मा0 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? क्या यह सही है कि मा0 विधायक द्वारा जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जांच न कराकर इसकी जांच जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा की जाने की मांग की है ? क्या उक्त जांच करा ली गई है ? यदि हां,तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

मा0 विधायक के उक्त शिकायती-पत्र दिनांक 7-5-2003 में श्री राम स्वरूप वर्मा आई0 ओ0 के विरुद्ध मुख्यतः ड्यूटी न करने, प्राथमिक चिकित्साधिकारी, मल्लावां, हरदोई के द्वारा श्री राम स्वरूप वर्मा का कूट हस्ताक्षर स्वयं व अन्य कर्मचारियों से बनवाकर वेतन आहरित करा देने, डी फ्रीजर व एल0 ओ0 का कार्य अन्य व्यक्तियों से लिये जाने, समय की लाग बुक अन्य व्यक्तियों से भरवाकर श्री वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर करवाने, पल्स पोलियो अभियान के दौरान दिनांक 5 व 6 अप्रैल, 2003 का मेडिकल ग्राउन्ड पर आकस्मिक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत करने, श्री वर्मा के प्रति कई आपराधिक मुकदमें पंजीकृत होने एवं अनुपस्थित रहकर सरकारी आवास भत्ता लेने आदि शिकायतें की गई हैं।

जी हां।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा उक्त शिकायत की जांच उप जिलाधिकारी, बिलग्राम से करायी गयी। जांच आख्या से संतुष्ट न होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं।

77-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

78-श्री विशम्भर प्रसाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश के अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा गत वर्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु व्यय धनराशि का विवरण

79-श्री अजीम भाई-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रान्तीय सेवा के चयन हेतु कितने-कितने लाभार्थियों को कोचिंग हेतु चयनित किया गया तथा उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री हाजी याकूब-

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रान्तीय सेवा के नाम से कोई योजना संचालित नहीं की जाती है।

निगम द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कम्प्यूटर व्यवसाय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 304 प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित कराया गया जिसमें कुल रु0 10,49,500/- की धनराशि व्यय की गयी।

प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले एवं उसके रोकथाम के उपाय

80-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार को जानकारी है कि महिला आयोग भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित उपाय किये गये हैं :--

(1) महिला उत्पीड़न के प्रकरणों पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

(2) महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित है।

(3) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु शासन द्वारा समस्त कार्यालयों/संस्थानों(निजी/सरकारी/अर्द्धसरकारी) को निर्देश दिये गये हैं।

(4) स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को पी0 सी0 एस0 कोचिंग हेतु चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाना

81-श्री अजीम भाई-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम उ0 प्र0 द्वारा गत तीन वर्षों में कितने अल्पसंख्यक छात्रों को पी0 सी0 एस0 कोचिंग हेतु चयनित कर प्रशिक्षण दिया गया है ? क्या उक्त वर्षों में उक्त कोचिंग प्राप्त कोई अल्पसंख्यक छात्र पी0 सी0 एस0 में चयनित हो पाया है ? यदि नहीं, तो कोचिंग दिये जाने का औचित्य क्या है ?

हाजी याकूब-

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा गत तीन वर्षों में मात्र 2001-2002 में 6 अल्पसंख्यक छात्रों को पी0 सी0 एस0 कोचिंग हेतु चयनित कर कोचिंग प्रदान किया गया।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम परिणाम घोषित न हो सकने के कारण चयनित छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के करहल क्षेत्र में झोला छाप डाक्टरों के विरुद्ध अभियान एवं कार्यवाही की मांग

82-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के करहल क्षेत्र में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री जे0 एल0 सिंह द्वारा झोला छाप डाक्टरों के विरुद्ध दिनांक 19/20-5-03 को आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाया गया था ? क्या उक्त अभियान में डा0 नदीम इलाही की दुकान से तमाम दवाइयां व उससे सम्बन्धित उपकरण भी बरामद किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त डाक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

आकस्मिक निरीक्षण के समय डा0 इलाही मौजूद नहीं थे। डा0 इलाही को चिकित्सा संबंधी प्रमाण-पत्रों के साथ बुलाया गया। उपस्थित न होने पर डा0 इलाही को नोटिस दिया गया है तथा चिकित्साधिकारी, करहल को डा0 नदीम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेश दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के बी0 एच0 डब्लू0 सी0 डास बुजुर्ग श्री राम लोटन पुत्र श्री अंजनी कुमार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान की मांग

83-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-87 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रश्नगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। भुगतान न होने के बारे में रिपोर्ट तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को वर्ष 2002-2003 में सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं उसका विवरण

84-श्री अजीम भाई-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा उक्त धनराशि से अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कौन-कोन सी योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि ऋण/अनुदान के रूप में वितरित की गई ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि जरूरतमंद व्यक्तियों को न देकर मनमाने ढंग से अनियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ऐसी उपयुक्त व्यवस्था बनायेगी जिससे लाभार्थियों को उसका लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब-

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रदेश सरकार द्वारा रु0 50.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त धनराशि में से "विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना" के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख अनुदान के रूप में वितरित की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

85-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

86-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

87-डा0 वकार अहमद शाह-

[मा0 उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया।]

88-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ऊंची दरों पर दवाइयां खरीदने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

89-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक राजेन्द्र सिंह चौहान, पटियाली, एटा के पत्र दिनांक 23-10-02 जो मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा मई, 2002 से अब तक निर्धारित मानक के विपरीत ऊंची दरों पर अधोमानक दवाइयों की खरीद की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है जांच कराने हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से

पत्रावली पर आख्या की अपेक्षा दिनांक 24-10-02 को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच आख्या प्रेषित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी नहीं। अपितु प्रश्न में इंगित मा0 विधायक का इस सम्बन्ध में दिनांक रहित एक पत्र प्राप्त हुआ हैं

जी हां।

जी हां, प्राप्त आख्या पर निर्णय लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता

91-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ में कुल कितने अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? क्या उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको उनके पैतृक विभाग वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

मुख्यालय पर एक अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

विकलांग व्यक्तियों को असुविधाओं से मुक्ति दिलाये जाने हेतु जारी किये गये बहुउद्देशीय परिचय-पत्र

93-श्री आनन्द सेन-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि विकलांग व्यक्तियों को असुविधाओं से मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार ने माह जनवरी, 2001 में पूरे देश में बहुउद्देशीय परिचय-पत्र जारी करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में विकलांगों को उक्त परिचय-पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में विकलांगों को जनपद स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से बहुउद्देशीय परिचय-पत्र प्राप्त कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 जी0 आर0 एस0 वर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल प्रभारी पल्स पोलियो कार्यक्रम जनपद मैनपुरी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान हेतु आवंटित बजट के दुरुपयोग एवं गबन की जांच सम्बन्धी शिकायती-पत्र

94-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जी0 आर0 एस0 वर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल (प्रभारी) अधि0 पल्स पोलियो कार्यक्रम जनपद मैनपुरी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो विशेष अभियान 2001-2002 हेतु आवंटित बजट का दुरुपयोग एवं गबन किये जाने की शिकायत मा0 मुख्य मंत्री को विधायक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, पटियाली, जनपद एटा द्वारा दिनांक 01-10-02 को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रकरण की जांच तत्कालीन अपर निदेशक (यू0 आई0 पी0) से करवाई गई और दोषी पाये गये चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-3217/5-11-02-ई-3/02, दिनांक 06-1-03 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा को जांच अधिकारी नामित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 एस0 दिवाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में दवाइयों की खरीद में वित्तीय अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र

95-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, विधायक-पटियाली, एटा का पत्र दिनांक 6-9-2002 जो डा0 आर0 एस0 दिवाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में दवाइयों की खरीद में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजवीर सिंह-

जी हां।

पत्र में इंगित शिकायतों की जांच हेतु निर्देशित किये जाने पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। प्राप्त जांच आख्या पर निर्णय लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में गत वर्ष यूजर चार्जेज मद में प्राप्त धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

96-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में वर्ष 2002-03 में यूजर चार्जेज मद में कुल कितनी धनराशि जमा हुई तथा उसमें से मुख्य चिकित्सा

अधीक्षक द्वारा कितना-कितना धन किस-किस मद में व्यय किया गया है ? क्या सरकार यूजर चार्जेज मद में जमा धन के खर्च की मदवार सूची पटल पर रखेगी ?

श्री राजवीर सिंह-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में वर्ष 2002-03 में यूजर चार्जेज मद में कुल धनराशि रु0 55,61,707/- जमा हुई। कुल जमा धनराशि का 50% अंश राजकीय कोषागार एवं 50% चिकित्सा सुधार समिति में जमा की गयीं मदवार व्यय विवरण निम्नवत् है :--

मद का नाम	धनराशि (रु0 में)
1-जनरेटर के पी0 ओ0 एल0 एवं आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था।	9,821.00
2-एम्बुलेंस पी0 ओ0 एल0 एवं आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था।	4,390.00
3-जीवन रक्षक एवं महत्वपूर्ण उपकरणों की आकस्मिक मरम्मत व्यवस्था तथा विद्युत मरम्मत व्यवस्था।	41,725.00
4-सिविल कार्य	6,22,433.00
5-एक्सरे प्लेट, रसायन सामग्री, आक्सीजन रिफिलिंग, रोल्स आदि।	3,70,123.00
6-वस्त्र, बिस्तर, सर्जिकल ड्रेसिंग, डिस्पोजबल आइटम।	5,69,169.00
7-डिस्प्ले बोर्ड तथा प्रचार सामग्री।	11,820.00
8-संचार सिस्टम	44,657.00
9-नगर निगम को भुगतान	2,20,000.00
10-कन्टीजेन्सी	3,11,483.00

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य डा0 कटार सिंह तथा श्री दया राम शाक्य के निधन पर शोकोद्गार

श्री उपाध्यक्ष-

निधन के निर्देश अथवा निधन की सूचना-उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 को सदन में शोक सम्वेदना प्रकट किये जाने हेतु उनका संक्षिप्त जीवन-परिचय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 कटार सिंह का 8/9 नवम्बर, 2003 की मध्य रात्रि में मेरठ में निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। डा0 कटार सिंह का जन्म 1 जनवरी, 1921 को तत्कालीन मेरठ जिला के ग्राम रन्छाड़ में हुआ था। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की थी। डा0 कटार सिंह वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र बरनावा, तत्कालीन जिला मेरठ से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। डा0 कटार सिंह ने विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे। वे

वर्ष 1955 में कन्या हाईस्कूल दाहा, मेरठ के सदस्य, वर्ष 1964-65 में जवाहर हाईस्कूल, बामनौली, मेरठ के कोषाध्यक्ष तथा वर्ष 1968 में आर्य जूनियर हाईस्कूल रन्छाड़, मेरठ के प्रबन्धक रहे थे। वे वर्ष 1980 मे मेरठ, लोकदल के अध्यक्ष भी रहे थे। राजनीति के माध्यम से पिछड़े व गरीब वर्ग के उत्थान, आर्थिक और सामाजिक कुरीतियों में सुधार तथा जन चेतना लाने में उनकी विशेष रुचि थीं डा0 कटार सिंह के निधन से जिला बागपत ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद दयाराम शाक्य का दिनांक 04-12-2003 को प्रातः 5.00 बजे बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री दयाराम शाक्य का जन्म 1925 में ग्राम सातनपुर, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0. एल्0 एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थीं श्री दयाराम शाक्य वर्ष 1962 में जनसंघ के टिकट पर फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य चुने गये थे। वर्ष 1977 तथा 1980 में वह फर्रुखाबाद से लोक सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। श्री दयाराम शाक्य भारतीय जनसंघ के मंत्री तथा भारतीय विद्यालय व गांधी विद्यालय के मैनेजर भी रहे। इसके अतिरिक्त श्री शाक्य आल इण्डिया भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, आल इण्डिया एयर लाइन्स वर्कर्स एसोसियेशन, आल इण्डिया शाक्य मौर्य महासभा आदि कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। स्काउटिंग, गायन, फोटोग्राफी नर्सिंग व औषधि वितरण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दयाराम शाक्य के निधन से जनपद फर्रुखाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अब हम मृतक आत्माओं की शान्ति के लिये 2 मिनट का मौन रखते हैं।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

व्यपगत प्रश्नों को पुनर्जीवित किये जाने का अनुरोध

*श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, हम लोगों ने जो प्रश्न लगाये थे आज सत्र समाप्त होने के बाद वह मर जायेंगे। वह प्रश्न अगले सत्र तक जीवित रहें इसके निर्देश आपकी पीठ से हो जाय। इस बजट सत्र में बहुत सारे प्रश्न लगे हैं। बजट सत्र छोटा होने के कारण वह आ नहीं सके। उनको पुनर्जीवित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इस पर विचार कर लिया जायेगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सूचनाएं सवीकार की गयीं।

पहली सूचना डा0 विनोद तिवारी की, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी सूचना श्री विद्या सागर गुप्त की, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

तीसरी सूचना श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा की है, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

चौथी सूचना डा0 कौशल किशोर की है, अनुपस्थित हैं।

पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है। उपस्थित हैं।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर सहकारी चीनी मिल के कतिपय क्रय केन्द्रों को बजाज सहकारी चीनी मिल अथवा गोला पूरनपुर सहकारी चीनी मिल से ही सम्बद्ध रखने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लाना चाहता हूं। श्रीमान जी पूरनपुर सहकारी चीनी मिल के क्रय केन्द्र कुरइया, रायपुर, जुगराजपुर, गढवाखेड़ा, नजीरगंज, सुल्तानपुर/मुरादपुर के गोला चीनी मिल से सम्बद्ध करने हेतु सहमति दी गयी थी लेकिन इन्हें बजाज सहकारी चीनी मिल से सम्बद्ध न करके पलिया चीनी मिल से सम्बद्ध कर दिया गया है, जिससे वहां के कृषकों को करीब रु0 7/- प्रति कुन्तल की आर्थिक क्षति हो रही है जिससे किसानों में काफी रोष है। किसान इतना धनी नहीं होता है वह 7/- रुपये प्रति कुन्तल का नुकसान सहन कर ले। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये इन क्रय केन्द्रों को बजाज सहकारी चीनी मिल अथवा गोला पूरनपुर सहकारी चीनी मिल से ही सम्बद्ध रहने की सदन से अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।]

लखनऊ की हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिलावां, आलमबाग में कतिपय अध्यापकों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर कार्यरत रहने की जांच कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर गुप्ता-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी विषय सदन की जानकारी में नियम-301 के अन्तर्गत लाना चाहता हूं। श्रीमान् जी हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिलावां, आलमबाग, लखनऊ को वर्ष 1987 में प्रथम अस्थाई मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदान की गई थी जिसका उल्लेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 1975-80/2003-04, दिनांक 23/25-06-2003 में किया है। उक्त विद्यालय के तीन शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर 1986 में कार्यरत बी0 टी0 सी0 पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुये और उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र विद्यालय में प्रेषित किया था। जबकि उक्त परीक्षा केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु शासनादेश संख्या 2186/15-(13)-1499(8)/77 दिनांक 20 जुलाई, 1979 आयोजित की गई थी। उक्त शासनादेश में 30 जून, 1978 तक जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें 10 वर्ष या 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी हों, उन्हें बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में छूट दे दी जाए तथा जिनकी सेवायें पांच वर्ष से ऊपर परन्तु 10 वर्ष से कम है, उनके लिये कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा की व्यवस्था की जाए। परन्तु विद्यालय में कार्यरत श्री सतीश कुमार नियुक्ति तिथि 26-10-1977, अब्दुल कय्यूम अब्बासी की नियुक्ति तिथि 16-10-1975, श्री गजराज प्रसाद भारतीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की नियुक्ति तिथि 14-04-1977 है यह तीनों अध्यापक इस परीक्षा हेतु अर्ह नहीं थे परन्तु गलत दस्तावेजों के सहारे परीक्षा में सम्मिलित हुये और अपने को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना दिखाया। जबकि उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दो अध्यापकों श्री सतीश कमार व अब्दुल कय्यूम अब्बासी की जांच कराई गई तो रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा दोनों के अंकपत्रों को अपने पत्र सं0-13374-91-92 दिनांक 16-8-91 में फर्जी घोषित किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरि सन्दर्भित ज्वलन्त विषय पर तत्काल चर्चा से निर्णय दिलाने हेतु सदन की अनुज्ञा दिलाने की कृपा करें।]

जनपद हरदोई के मल्लावां में डिपरी तालाब तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत तथा तालाब पर पुल निर्माण कराने के लिये नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

[महोदय, जनपद हरदोई के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र-75 मल्लावां में सीतापुर कन्नौज मार्ग वाया प्रतापनगर, बघौली, माधौगंज, मटियामऊ होते हुये कन्नौज तक यह मार्ग मेरे क्षेत्र व कन्नौज तथा सीतापुर जनपद के नागरिकों के लिये अति महत्वपूर्ण है। यह मार्ग जनपद कन्नौज हरदोई, सीतापुर को सीधा आपस में जोड़ता है। सम्पूर्ण मार्ग लगभग एक सौ पचीस किलोमीटर लम्बा है, जिसका लगभग एक सौ अट्ठारह कि0 मीटर भाग पूर्ण रूप से आवागमन के लिये ठीक है। परन्तु हरदोई जनपद के इसी मार्ग पर स्थित सरफुद्दीनपुर ग्राम से आगे डिपरी तालाब तक लगभग सात किलोमीटर सड़क खराब है तथा इसी मार्ग पर एक डिपरी तालाब पड़ता है। इस तालाब पर पुल न होने के कारण यह मार्ग दो हिस्सों में बंटा हुआ है जिससे समस्त जनमानस को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है, जो बहुत ही कष्टदायक है। अतः जनकल्याण के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस मार्ग के टूटे हुये सात किलोमीटर मार्ग की मरम्मत कराकर डिपरी तालाब पर पुल का निर्माण अति शीघ्र कराने का कष्ट करें।]

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, हम अपनी सूचना को पढ़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

पढ़िये।

लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से यह सूचना प्रसारित की है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे योजित याचिका सं0 2435/2001 एवं याचिका सं0 34957/2003 पर पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्नांकित श्रेणी में आने वाले अतिक्रमण/निर्माण को तत्काल हटा लिया जाय अथवा अतिक्रमण/निर्माण करने वाले के हर्जे खर्चे पर उसे हटा दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी होगी। इसी सन्दर्भ में यह भी कहा गया है कि आवासीय भवनों में स्वीकृति के विपरीत व्यवसायिक प्रयोग जैसे मुख्यतः दुकान, गेस्ट हाउस, मैरिज हाल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान एवं कार्यालय आदि पर भी यह आदेश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लागू होगा। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त याचिकाओं पर पारित आदेश में गेस्ट हाउस, मैरिज हाल आदि का कोई जिक्र तक नहीं है। उ0 प्र0 अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट ऐक्ट 1983 के अन्तर्गत आवासीय भवनों की परिभाषा के अन्तर्गत हास्टल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और मुसाफिर खाना इत्यादि को आवासीय भवन माना गया है।

शासनादेश संख्या 1240, दिनांक 8 फरवरी, 2001 के अन्तर्गत गेस्ट हाउस और बारात घर को अर्द्धव्यवसायिक कहा गया है और उसे "कम्युनिटी सर्विस" की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान समय में ल0 वि0 प्रा0 एवं उ0 प्र0 आ0 वि0 परिषद् लखनऊ के सभी गेस्ट हाउस और बारात घर के स्वामियों का ही उत्पीड़न नहीं कर रहा है बल्कि आम नागरिकों को जिन्होंने गेस्ट हाउसों और बारात घरों को अपने बेटे और बेटियों की शादियों तथा अन्य उत्सवों के लिये न्यायालय के आदेश के काफी पहले से बुक कर रखा है उनका भी उत्पीड़न इन गेस्ट हाउसों और बारात घरों को सील करके और सील करने की चेतावनी देकर कर रहा है। ल0 वि0 प्रा0 एवं उ0 प्र0 आ0 वि0 परि0 ने 19 दिसम्बर, 2003 की अन्तिम तिथि निश्चित कर गेस्ट हाउस और बारात घरों के मालिकों को उसे बन्द करने के लिये नागरिकों को बुकिंग निरस्त कराकर अन्यत्र व्यवस्था कराने के लिये अपील की है। इस समस्या का समाधान उ0 प्र0 सरकार शमन की प्रक्रिया अपनाने के लिये कानून में संशोधन करके भी कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सांसद निधि और विधायक निधि से अनेकों पार्कों में बिना भू-उपयोग को बदले हुये कल्याण मण्डप बनवाकर उपरोक्त विभाग उससे पैसा कमा रहे हैं। राजाजीपुरम् में तो मिनी इण्डोर स्टेडियम को बारात घर के रूप में प्रयोग कर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् पैसा कमा रहा है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि वह आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुये इस समस्या का समाधान निकालने हेतु लोकहित के इस अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करें और सरकार को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करें।

श्री उपाध्यक्ष-

छठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र तिवारियां की है, अनुपस्थित हैं।

सातवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रकाश अग्रवाल की है, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

नवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की है, अनुपस्थित हैं।

दसवीं सूचना श्री राम कृपाल की है, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती माया प्रसाद की है, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

बारहवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की है, उपस्थित हैं।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद आगरा में भारी गन्दगी एवं जल भराव आदि की समस्याओं का निदान किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। भारत के ऐतिहासिक नगर आगरा में व्याप्त भारी गन्दगी, जल भराव, उफनते हुये नाले, खुले हुये मेनहोल, पड़े हुये कूड़े और गन्दगी के ढेर और उनको कुरेदते हुये सुअर, गड्ढायुक्त सड़के, बल्ब रहित खम्बे इस ऐतिहासिक नगर की शान को धूमिल कर रहे हैं। रोशन मोहल्ला नुनहाई, बल्केश्वर, नूरी दरवाजा, कमलानगर, न्यूआगरा आदि क्षेत्र उपरोक्त समस्याओं से ग्रस्त हैं। कमला नगर में आज तक नई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। उफनते नाले और कूड़े के ढेर को कुरेदते सुअर की वजह से बहुत से लोग मलेरिया एवं डेंगू जैसी महामारी का शिकार भी हो चुके हैं। खुले पड़े हुये मेनहोलों से कई दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। उपरोक्त समस्याओं का अविलम्ब निदान कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त समस्याओं का निराकरण कराने की माँग करता हूँ।]

उ0 प्र0 राज्य परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों की बाडी परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[उ0 प्र0 राज्य में परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों के पंजीयन में यह व्यवस्था थी कि ट्रक, बस, टैंकर आदि की बाडी कभी भी बदली जा सकती थी लेकिन कुछ दिनों से परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था बन्द कर दी है। भार लादने वाले वाहन को भार लादने में ही परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। ट्रक बाडी से टैंकर बाडी में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। जबकि अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हैं। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। व्यापारियों को भी भयंकर नुकसान हो रहा है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कृपाल-

[पूर्व उ0 प्र0 की सरकार में उ0 प्र0 में निवास करने वाली कोल जाति को जनजाति का दर्जा वर्ष 1980 में दिया गया था। जिसकी प्रति सं0 2296 दिनांक 26-3-1980 था। जिसमें कोल जाति को शासन से मिलने वाली जनजाति की सभी सुविधायें प्राप्त होती थी। इसके द्वारा नौकरियों आदि में कई सुविधायें शासन से मिला करती थी। लेकिन 1986 में सचिव समाज कल्याण के द्वारा यह निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को हुआ कि कोल जाति को जो जनजाति की सुविधा समान दी जा रही है, जनजाति की सूची से निकाल दिया जाये। उ0 प्र0 की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के अन्दर निवास करने वाली कोल जाति को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश की सीमा के अन्दर जनपद रीवां जो उ0 प्र0 की सीमा से लगा हुआ है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, चन्दौली, ललितपुर, झांसी उपरोक्त जिलों में कोलों की लगभग एक करोड़ आबादी के लोग निवास करते हैं जिनकी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रिश्तेदारियां मध्य प्रदेश और उ0 प्र0 में हैं। मध्य प्रदेश की लड़की अगर उ0 प्र0 में शादी होगी तो अनुसूचित जाति में आयेगी। उनको अनुसूचित जाति माना जायेगा और यहां की लड़की अगर मध्य प्रदेश में शादी होगी तो उसको अनुसूचित जनजाति की मान ली जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वर्ष 1980 में जो निर्देश हुआ था कि कोल जाति को जनजाति के समान दर्जा दिया जाये। जो 1986 में निरस्त किया गया है। इस आदेश को निरस्त करते हुये 1980 में जो कोल जाति को दर्जा प्राप्त था पुनः वहीं निर्देश जारी करने का कष्ट करें।]

ए0 डी0 ए0, इलाहाबाद की सुलेम सराय कालोनी के एल0 आई0 जी0 ब्लाक में अवैध कब्जों को हटवाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद-

[महोदय, मैं आपका ध्यान ए0 डी0 ए0, इलाहाबाद की कालोनी सुलेमसराय की एल0 आई0 जी0 ब्लाक में पी0 डब्लू0 डी0 की दीवार के किनारे अपराधियों द्वारा अवैध रूप से झुग्गी, झोपड़ी व दुकानें लगाकर स्मैक, चरस, गांजा व नशीले पदार्थ की स्मगलिंग की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। सुलेमसराय के वासियों द्वारा इसकी शिकायत पूर्व में की गई थी जिसके आधार पर उस समय अवैध कब्जों को ए0 डी0 ए0 द्वारा हटवा दिया गया था लेकिन वर्तमान समय में पुलिस व ए0 डी0 ए0 के कर्मचारियों की मिली भगत से यह धन्धा पुनः शुरू हो गया है और इसमें लिप्त कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थ रात्रि के समय बेचते हैं। इसमें लिप्त अपराधी बच्चों को नशा करने हेतु प्रेरित करते हैं और आये दिन एक नये अपराध को जन्म देते हैं। अतः मैं माननीय सदन के माध्यम से अपील करती हूँ, कि अवैध कब्जे को शीघ्र हटाया जाय, एवं इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, जिससे एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण हो सके।]

राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ में पारा रोड पर शान्ति शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज की सड़क पर सीवर लाइन डालने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[महोदय, मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ में पारा रोड पर उतरेठिया रेलवे क्रासिंग के पहले कुछ भाग में सीवर लाइन वर्ष 2002 में डाली जा चुकी है। पारा रोड के कतिपय हिस्से में सीवर लाइन डालने का कार्य शासन द्वारा कराया गया है परन्तु उतरेठिया रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा मंदिर स्थित मुख्य सड़क पर जल भराव की समस्या होने तथा प्रदूषित जल की समुचित निकासी न होने के कारण मुख्य सड़क पर सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु शासन का ध्यान कई बार आकृष्ट किया जा चुका है। परन्तु शासन द्वारा अभी तक उक्त निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि पारा रोड पर उतरेठिया रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज स्थित मुख्य सड़क पर सीवर लाइन डाले जाने हेतु शासन को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।]

श्री उपाध्यक्ष-

तेरहवीं सूचना डा0 राम बाबू हरित की है, उपस्थित हैं।

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, हम अपनी सूचना को पढ़ना चाहते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उपाध्यक्ष-

पढ़िये।

आगरा महानगर में बढ़ी चोरी, डकैती, हत्याकाण्ड आदि घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राम बाबू हरित-

महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद आगरा महानगर में आजकल चोरी, डकैती, हत्याकाण्ड, चेन स्नैचिंग की घटनायें तेजी से बढ़ रही है। थाना शाहगंज रुई की मण्डी (ठाकुर गोरखनाथ जी महाराज) चौराहा पर श्री धनराज की साड़ियों की दुकान की छत काटकर लाखों की चोरी हो गयी, एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई परन्तु अब तक चोरी की जांच नहीं हो पायी है तथा चोर खुलेआम घूम रहे हैं। थाना जगदीशपुरा प्रतापनगर कालोनी में भी कई दुकानों, मकानों में छत काट कर चोरी हो चुकी है इसी प्रकार थाना हरीपर्वत में बी0 आई0 पी0 कालोनी संजय प्लेस में भी तमाम चोरियां हो चुकी हैं परन्तु अभी तक मामला उलझा पड़ा हुआ है। अतः जनहित की इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष-

चौदहवीं सूचना श्री काशीराम की है, अनुपस्थित हैं।

पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की है, अनुपस्थित हैं।

सोलहवीं सूचना श्री आनन्द प्रकाश लोधी की है, अनुपस्थित है।

सत्रहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की है, अनुपस्थित हैं।

अठारहवीं सूचना श्री भरत सिंह की है, उपस्थित हैं।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

पढ़िये।

जनपद बलिया द्वाबा क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की जांच में भेद-भाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भरत सिंह-

महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में 1998 से विधायक निधि के द्वारा मैं अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा रहा हूं , सभी कार्य विधिवत आगणन तैयार करने के बाद स्वीकृत हुये। सभी कार्यों की गुणवत्ता कायम रखने के लिये मैं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता रहा हूं। वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से राजनीतिक लोगों का दबाव स्थानीय अधिकारियों पर पड़ता रहा है कि जिससे मेरे क्षेत्र में विकास कार्य न हो सके। मेरे कार्यों मे बाधा डालने के लिये और मेरी छवि धूमिल करने के लिये हाल ही में मुख्य मंत्री के कार्यालय से विशेष सचिव द्वारा ओदश दिया गया है कि केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की जांच की जाय। जनपद में 8 माननीय विधायक हैं, दुराग्रह से ग्रस्त होकर भेदभाव पूर्ण तरीके से केवल मेरे क्षेत्र की जांच कराना मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का षडयन्त्र है। मैं विशेष उल्लेख के रूप में इस प्रश्न को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृपया अनुमति देने का कष्ट करें।

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने अपनी सूचना को पढ़ा, उसमें आप भाषण न करें, इसकी अनुमति नहीं है।

जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की जाँच पर व्यवस्था का प्रश्न

†श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने विधायक होने के नाते एक प्रश्न को रखा अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। इसलिए व्यक्त की क्योंकि एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखे कि उनके विकास कार्यों की जाँच करायी जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

यह सदन नियमों से चलता है। अगर नियमों से अलग होगा तो नहीं सुना जाएगा।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी पीठासीन हुए)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, श्री भरत सिंह ने एक विधायक होने के नाते अपनी पीड़ा को रखा कि एक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए विकास कार्यों की जाँच कराने के लिए पत्र लिखा है। क्या केवल भरत सिंह की जांच होगी। यहां पर 400 विधायक बैठे हैं। अगर विधायकों की छवि धूमिल करने के लिए विकास कार्यों की जाँच करायी जाएगी तो किसी भी सदस्य के लिए विकास कार्य कराना कठिन हो जाएगा। चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी की भी सरकार हो अगर उसने यह आदेश दिया है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह तो देखना पड़ेगा कि किसी विधायक के विकास कार्यों की जांच हुयी है। लेकिन मान्यवर, अगर ऐसा होता है तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष होते हुए मैंने सरकार को बार-बार लिखा कि मेरे द्वारा कराये गये विकास कार्यों की टी0ए0सी0 से जांच करायी जाये। जांच तो दूर एक विभाग के अधिकारियों ने अपनी मीटिंग की और रेजोल्यूशन पास किया कि नेता विरोधी दल क्योंकि अच्छा काम करना चाहते हैं इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। तो जांच से कोई सदस्य नहीं घबरा रहा है और न ही इसमें किसी सदस्य को परेशानी होनी चाहिए। बल्कि यह कहें कि जांच के बारे में हम यह कहें कि जांच हो रही है और हम जांच में बाधक हैं तो शूबा होता है। कार्य की क्वालिटी न खराब हो इसका सरकार ध्यान रखे तो इसमें जांच से किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं। माननीय विधायक से उसका कोई लेना देना नहीं है। विधायक का काम केवल यह है कि किसी कार्य के लिए वह धन आवंटित कर दें। इसके लिए वह जिम्मेदार होगा जो वह कार्य करायेगा। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि माननीय सदस्यों को सदन में इस तरह का प्रश्न नहीं लेना चाहिए जो विधायकों से सम्बन्धित है ही नहीं। हमारी परेशानी का यह विषय

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। इससे अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान होना चाहिए उनको जवाबदेह होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी माननीय सदस्य के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, हम जाँच से भागना नहीं चाहते हैं। लेकिन केवल हमारे विकास कार्यों को ठप्प करने और हमारी छवि को धूमिल करने का यह षडयंत्र है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद के आठ विधायक हैं लेकिन केवल मेरी जाँच सरकारी एजेन्सी से कराना यह उचित नहीं है। हमारे यहां के चार मंत्री भी हैं अगर आप सभी लोगों के विकास कार्यों की जाँच करायें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। 402 विधायकों में से केवल मेरी जाँच कराना यह उचित नहीं है। कम्प्लेन्ट करने वाले वहां के माफिया हैं, हमारे क्षेत्र रानीगंज के हैं.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसमें हमें किसी माननीय सदस्य को अपमानित करने की मंशा नहीं है। मेरा यह कहना है कि किसी माननीय सदस्य की जाँच नहीं होगी लेकिन अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी गुणवत्ता के लिए दोषी पाया जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है उनके नाम हैं-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह', श्री राजेश कुमार, श्रीमती विद्या चौधरी तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं नियम-300 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 10-12-2003 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से डा0 विनोद तिवारी तथा श्री प्रागी लाल अहिरवार की सूचनाओं को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की सूचना को निरस्त कर दिया गया है। इसमें पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय व श्री सुखदेव राजभर की, पूर्वधर्ती सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के रिक्त पदों को भरने के लिए चलाये गये विशेष अभियान पर वर्तमान सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है। लेकिन इसमें कोई एक माननीय सदस्य बोल लें।

अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के रिक्त पदों को भरने के विशेष अभियान पर वर्तमान सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, वैसे तो प्रदेश की सरकार को सेवाओं में भर्ती करने का पूरा अधिकार है और यह संविधान में प्रदत्त अधिकार है। उस अधिकार के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों को नौकरी दिये जाने का उद्धरण भी दिया है। मान्यवर, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। जहां विभागों में रिक्ति रही एक विशेष भर्ती अभियान के तहत उन्हें नौकरी दिये जाने का प्राविधान किया गया और इसमें विज्ञापन के बाद लोगों के आवेदन पत्र आमंत्रित हुए और विज्ञापन के बाद कुछ में लिखित परीक्षा हुई, कुछ में इण्टरव्यू हुआ और कुछ में अधिकारियों ने उनका चयन करके नियुक्ति पत्र भी अभ्यर्थियों को दे दिया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों को नौकरी उपलब्ध कराने की बात कही है और संविधान में भी इसे उल्लिखित किया गया है, मैं इतना ही कहूंगा कि जब पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की बडे पैमाने पर नियुक्तियां करने का पिछली सरकार ने कार्यक्रम चलाया था कि जहां-जहां इन वर्गों के पद रिक्त हैं उन पदों को भरा जाय, उन रिक्त पदो को भरने के लिए संविधान के नियमों के अनुरूप विज्ञापन हुआ और विज्ञापन के आधार पर कुछ में लिखित परीक्षा हुयी, कुछ में इण्टरव्यू हुआ या जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, इस सरकार ने उन भर्तियों पर रोक लगा दिया। जो सरकार की मंशा थी पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को रोजगार देने की मंशा थी, उस पर रोक लगा दी गयी।

मान्यवर, जो इस तरह के पद रिक्त हैं उनको भरा जाना चाहिए यह संवैधानिक भी है। अगर सरकार उन भर्तियों पर से रोक नहीं हटाती है, उन रिक्तियों को नहीं भरती है तो इसका मतलब है कि यह सरकार पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आरक्षण विरोधी है, इसलिए मान्यवर यह औचित्य का प्रश्न है और आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें। इस सरकार ने उन भर्तियों को रोक करके घृणित कार्य किया है और आरक्षित वर्गों के हितों पर कुठाराघात किया है। मान्यवर, यह सूचना नियमावली से सम्बन्धित है, यह लोक हित का प्रश्न है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस पर से रोक हटा कर उनकी भर्ती की जाये। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। मान्यवर, मैं फिर यही कहूँगा कि यह सरकार, उन भर्तियों पर से लगी रोक को हटा करके, बैकलाग को भरने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

सुखदेव राजभर जी आप स्वयं संसदीय कार्य मंत्री रहे है। कृपया आप स्वयं चयन कर लें कि यह सूचना नियम 300 में कहाँ से आती है ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, भर्तियों के सिलसिले में आपने जो रफ्तार रखी थी, वह रफ्तार जरा तेज हो गयी थी और जो समाज चल रहा था वह उसमें कुचल रहा था। मान लीजिए कोई मोटर चल रही है और उसमें 120 किमी0/घण्टे की स्पीड है और अगर हम भीड़ में उस स्पीड से उसे चला दें तो लोग कुचल जायेंगे। मान्यवर, ऐसी कोई मन्शा हमारी नहीं है कि भर्तियाँ नहीं की जायेंगी। कुछ शिकायतें थीं, उनको दिखाया जा रहा है। कुछ लोग शिकायत करने लगे थे-"जो दे गए वह पा गए, जिनको देना था वह पा न सके, जिनको मिलना था वह मिल न सका" तो मान्यवर, इससे विधायकों के सम्मान में कमी हो रही थी और इस सरकार ने उन्हें इस तरह की बदनामी से बचाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा बचाने

के लिए और यह भर्तियां सही की जा रही थीं या गलत थीं, इस सबको जानने के लिए थोड़ा सा परीक्षण कराया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[× × ×]

(व्यवधान)

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठता-

माननीय मौर्या जी ने जो कुछ बोला है वह लिखा नहीं जायेगा। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं को नियमित करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में मैंने 4 दिसम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसको स्वीकार किया गया। मान्यवर, पहले उस पर दिनांक 8-12-2003 को वक्तव्य निर्धारित किया गया था। इस दिनांक पर मैं उपस्थित नहीं था अतः मेरे अनुरोध पर वक्तव्य हेतु दिनांक 9-12-2003 को तिथि निर्धारित की गयी। कल दिनांक 9-12-2003 को कार्यसूची के क्रम संख्या-17 पर सरकार से वक्तव्य देना निर्धारित था। चूंकि वह केवल वक्तव्य के लिए निर्धारित था, मैं माननीय मंत्री जी से उस पर कुछ क्वेरीज करना चाहता था लेकिन उस समय सदन अव्यवस्थित था। इसलिए मैंने इसे नियम 300 के माध्यम से इस पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर राजकीय महाविद्यालयों में, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या प्रबन्धन समिति के अन्तर्गत, वहां पठन-पाठन भली प्रकार हों, यह सरकार का दायित्व है। मान्यवर, वर्ष 1997-98 में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण से प्रदेश के पर्वतीय सम्वर्ग हेतु कुल 89 तदर्थ प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति की गयी तथा मैदानी सम्वर्ग हेतु 176 तदर्थ प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गयी थी। मान्यवर, प्रशासन के कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना/प्रकीर्ण दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 प्रख्यापित की गयी जिसके द्वारा उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 में व्यवस्था की गयी थी कि (एक) जो सेवा में 30 जून, 1998 को या इसके पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत रहा हो,

---

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो और (तीन) जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो या निर्धारित पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

मान्यवर, उक्त नियमावली के आलोक में दिनांक 25-6-2002 को उक्त तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण हेतु बैठक आहूत की गयी जिसमें कतिपय तदर्थ प्रवक्ताओं के अभिलेखों आदि के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गयी। मान्यवर, इस तरीके से आप देखें एक हाई लेविल कमेटी बिठाई गयी और उसमें यह कन्सीडर किया गया लेकिन डेढ़ दर्ष हो गये हैं इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन लोगों का विनियमितीकरण तत्काल किया जाए जिससे उनके अन्दर जो अनिश्चितता व्याप्त है, वह दूर हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी यह सूचना नियम-51 में थी और उस पर कल वक्तव्य निर्धारित था। जिसमें आप स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते थे परन्तु नहीं कर सके क्योंकि उस समय सदन अव्यवथित था, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य डा0 गौर अपने इन दोनों प्रश्नों के संबंध में लिख कर के दे देंगे और आप उनका स्पष्टीकरण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से दिलवा देंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ठीक है दिलवा देंगे।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न-106 के गलत एवं भ्रामक उत्तर पर औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम-311 में श्री रमापति उर्फ रमाकान्त की प्राप्त सूचना नियम-300 में परिवर्तित की गयी जो विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-106 का गलत एवं भ्रामक उत्तर देने के संबंध में है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत अथवा भ्रामक दिया गया है तो उस विषय को निदेश सं0-165/166 के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं इसे निस्तारित करता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि-2-4380/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (11)/2000 दिनांक 7 अक्टूबर, 2002[1]

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि0-2-4380/11-9(81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (11)/2000, दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 को, शोधन वक्तव्य के साथ उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा-4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-[1] छापी नहीं गयी।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि-2-3840/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (27)/2003 दिनांक 14 अगस्त, 2003 *

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि-2-3840/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (27)/2003 दिनाक 14 अगस्त, 2003 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2000 की धारा-4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि-2-3839/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (26)/2003, दिनांक 14 अगस्त, 2003 *

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क-नि-2-3839/11-9 (81)/91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000-आदेश (26)/2003 दिनांक 14 अगस्त, 2003 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2000 की धारा-4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003*

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2003 को पारित किया गया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 06 दिसम्बर, 2003 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 09 दिसम्बर, 2003 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में महिला डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री शिव कुमार सैनी निवासीगण जनपद बुलन्दशहर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत तहसील शिकारपुर में महिला डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री शिव कुमार सैनी तथा श्री प्रमोद कुमार निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-10 में कुछ नहीं है।

नोट :-* छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में संशोधन हेतु संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1999 को डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-01, के उत्तर के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवाँ संस्करण) के निदेश संख्या-166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं।

मान्यवर, मैं नत्थी (ङ) पढ़े देता हूं।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा ....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

[संलग्न वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।]

प्रश्न-

19 क्या मंत्री को यह जानकारी है कि मुंशीपुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित प्रयाग मार्केट के पीछे रिक्त भूमि पर 20-25 वर्षों से नाई, कहार तथा पान का व्यवसाय करके अपने परिवार की जीविका चलाने वाले गुमटी दुकानदारों को प्रश्नगत व्यावसायिक भूमि प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित दर पर आवंटित करने के बजाय आवास विभाग द्वारा प्रयाग मार्केट के केवल एक ही दुकानदार को आवंटित की गयी दुकानें बनायी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सबको आवास एवं सबको व्यवसाय नीति का उल्लंघन कर गुमटी दुकानदारों को व्यवसाय से वंचित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? क्या सरकार उक्त आवंटन निरस्त करते हुये इन गुमटी दुकानदारों को व्यवसाय हेतु भूमि आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पूर्व में दिया गया उत्तर-

जी हां। संबंधित रिक्त भूमि परिषद् के लिये निष्प्रयोज्य होने एवं कियोस्क संख्या-के0 एस0-2 से लगी होने के कारण संबंधित कियोस्क के आवंटी को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के दिनांक पर प्रभावी भूमि के आवंटन के दिनांक पर प्रभावी भूमि दर पर नकद मूल्य लेकर आवंटित किया गया है।
जी नहीं। आवंटन नियमानुसार किया गया है।

शोधित उत्तर-

मुंशी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ स्थित कियोस्क संख्या-के0एस0-2 से लगी परिषद् की अतिरिक्त निष्प्रयोज्य भूमि के आवंटन में हुई अनियमितताओं की जाँच कराई गयी। जाँच के उपरान्त संबंधित कियोस्क संख्या-के0 एस0-2 की आवंटी को 2 फेजेज में 35.51 एवं 41.70 वर्गमीटर भूमि संबंधित अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर तत्कालीन उप आवास आयक्त के द्वारा आवंटित की गयी

थी, जिसमें से द्वितीय फेज में आवंटित 41.70 वर्गमीटर भूमि का आवंटन दिनांक 8-5-97 को निरस्त कर दिया गया था। संस्तुतिकर्ता अधिशासी अभियन्ता श्री एम0 के0 गोयल दिनांक 30-11-96 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उक्त आवंटन में हुई अनियमितताओं के लिए तत्कालीन उप आवास आयुक्त भी प्रथम दृष्टया दोषी हैं जो प्रादेशिक सिविल सेवा (पी0सी0एस0) संवर्ग के अधिकारी हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप-पत्र नियुक्ति विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।]

कुंवर रेवती रमण सिंह एवं डा0 अशोक बाजपेयी के दि0 20 अगस्त, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

*श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

अधिष्ठाता महोदय, दिनांक 20 अगस्त, 2002 को कुँवर रेवती रमण सिंह एवं डा0 अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता था कि प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र को बढ़ाने की कोई कार्य योजना है ? मैं जानना चाहता हूँ कि इससे कितना वन क्षेत्र आच्छादित हो जायेगा और विश्व बैंक द्वारा जो पिछले कई वर्षों से वन विभाग को धनराशि मिली है, उससे कितने वृक्ष लगाये गये हैं। कितना क्षेत्र आच्छादित हो गया है। ''क्या सरकार इसको अपनी प्राथमिकता बनाते हुये प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर गांव सभाओं में जो पट्टे किये जा रहे हैं, ग्रामीण जनजीवन के सुधार के लिये उस क्षेत्र में वनों को लगाने का काम करेगी।''

2-सदन में उत्तर दिया गया था कि ''हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि वनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन के बारे में पूरा ध्यान रखा जायेगा और दूसरा बहन मायावती जी ने सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि सभी विभाग अपने बजट में से 5 प्रतिशत पैसा वृक्षारोपण में लगायेंगे।''

3-उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। इसका उत्तर इस प्रकार है :-

''सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि वनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन के बारे में पूरा ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए सरकार ने भूमि उपयोग वाले सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि अपने बजट में से 0.5 प्रतिशत पैसा वृक्षारोपण में लगायेंगे।''

4-मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियाँ संलग्न हैं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 10-12-2003 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री आर0 एस0 कुशवाहा की प्रदेश के किसानों को रबी की बुआई के समय खाद, बीज एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दिल्ली नगर निगम द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यरत लोगों के दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत प्रवेश पर कर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री देवकी नन्दन कोरी की जिला समाज कल्याण कार्यालय, अलीगढ़ में व्याप्त घोर अनियमितता के सम्बन्ध में तथा पांचवी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश की नई ऊर्जा एवं आवास नीति से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की दिनांक 9-12-2003 को लखनऊ महोत्सव में शाम को प्रशासन की लापरवाही के कारण महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के संबंध में तथा दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की जनपद झांसी के विद्युत उपकेन्द्र मऊरानीपुर में 5 एम0बी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रासंफारमर लगाये जाने के संबंध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं, उनके नाम इस प्रकार हैं :- श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री घनश्याम शुक्ला, श्री अनिल पासवान तथा श्री आर0 एस0 कुशवाहा।

श्री घनश्याम शुक्ला-

कल माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आपकी सूचना कल ले ली जायेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं निर्णय लिया है, आपकी सूचना शलाका में नहीं आयी।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। उसमें उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि करती है और वही उनका मुख्य सहारा होती है।

(इस समय 1 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज रबी फसल की बुवाई का समय है और ऐसे समय पर जो सहकारी केन्द्र हैं, कृषि केन्द्र हैं, वहां पर जो बीज उपलब्ध होना चाहिये, खाद उपलब्ध होनी चाहिये, वह सब नदारद है और नदारद होने के नाते आज पूरा किसान परेशान है और बीजों के लिये, अच्छी खाद के लिये सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज उसको बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बीज और खाद उपलब्ध न होने के कारण उसे बिचौलियों के हाथ में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, खुले बाजार में जाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। इस समय बाजार में जो खाद और बीज मिल रहा है, वह मानक के अनुरूप नहीं मिल रहा है, इस कारण किसान को घटिया बीज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मिलावटी खाद लेने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। यह सरकार अपने को किसानों का मसीहा होने का दंभ भरती है, किसानों का मसीहा होने का ढोंग करती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। रबी की फसल की बुवाई का समय आ गया है और खाद, बीज तथा पानी का अभाव है। आज किसान को बिचौलिये के माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाजारों में खुले मार्केट में खाद और बीज खरीदना पड़ रहा है, इससे पूरे प्रदेश का किसान परेशान है और जनाक्रोश है। इसी के साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था आज ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर परेशानी हो रही है। आज नहरों में पानी नहीं जा रहा है जिससे किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है और बुवाई बाधित हो रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस लोक महत्व के और अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करा दी जाय। क्योंकि कुछ निश्चित समय ही ऐसे होते हैं जब कृषि के कार्य किये जाते हैं और यह रबी की बुवाई का समय है यदि समय निकल गया तो कुछ नहीं हो पायेगा। आज बिजली, खाद बीज के अभाव में बुवाई नहीं हो पा रही है इसलिए बुवाई न हो पाने के नाते आज किसानों में जनाक्रोश है उसको देखते हुए मैं पूरे सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री सुखदेव राजभर जी आप बोलेंगे। इसमें 4 लोगों के नाम हैं इसमें से केवल 2 लोग ही बोलेंगे इसलिए कम शब्दों में अपनी बात रखिये। हमें 2.00 बजे तक नियम-56 समाप्त कर देना है इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरा सहयोग करें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जल्दी बोलने पर यह लोग विरोध करते हैं। यह किसानों के हित का मामला है, इस पर हर सदस्य को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं उनकी चिन्ता है कि मौजूदा परिस्थितियों में किसान परेशानी झेल रहा है। समितियों पर एक बार दो बार कुछ खाद मिली उसके बाद से कुछ नहीं मिल रहा है। बीजों की जांच होनी चाहिए क्योंकि बिचौलिये खरीद के गेहूं को रंग करके मार्केटों में बेच रहे हैं। समिति पर शुद्ध बीज मिल जाता था, उस पर भरोसा था लेकिन आज बाजारों में किसानों की लूट हो रही है। बीजों को रंग करके उस पर लेबलिंग करके किसानों को धोखा दिया जा रहा है। आप पता लगा लें कि समितियों पर ठीक व्यवस्था न होने के कारण कई प्रकरण हैं जहां पर सिलाई की मशीनें पकड़ी गयी हैं। जो उर्वरक खेतों में डाली जा रही है वह लाभ नहीं दे रही है। अभी संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर देंगे और आंकड़े पेश करेंगे कि समितियों पर खाद उपलब्ध है। मैं विश्वास के साथ इस सदन में कह रहा हूं कि समितियों पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं है, नहरों की सफाई नहीं हुई है। सिंचाई मंत्री ने पत्र भेजा है कि पलाव का समय है। सिंचाई के लिए मानक निर्धारित किये जायं। निवेदन के साथ कहूंगा कि पूरा प्रदेश खेती पर जिन्दा है इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर आधे घण्टे, एक घण्टे की चर्चा करा ली जाय। मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग कह रहे हैं कि मिल रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है तो इस पर आधे घण्टे या एक घण्टे की चर्चा करा लें। यह किसानों से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है इसलिए मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इस प्रदेश में वर्ष 1958-59 के दशक में हरित क्रांति का नारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। उस समय किसानों में एक जागरूकता आयी और उत्पादिकता बढ़ाने की एक होड़ मची। उस समय सरकार के द्वारा उन्नत किस्म के बीज व खादों की

व्यवस्था की गयी। आज हम खेती के मामले में काफी आगे आये हैं। अब हर किसान चाहता है कि वह उन्नत बीज बोये। अब जब हमारी उत्सुकता बढ़ी तो खाद,बीज सही नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, जनपद-जौनपुर में एक भी सोसाइटी पर एक-एक बोरा भी डाई, यूरिया या पोटाश की खाद नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्री जी या कृषि मंत्री जी जाँच करा लें। सोसाइटियों में बहुत भ्रष्टाचार है। इस प्रदेश में किसान को तभी आगे ला सकते हैं जब आप सही खाद व बीज, किसानों को उपलब्ध कराये। डी0 ए0 पी0 जो हम विदेश से आयात करते हैं। एक बोरा खाद 400 रु0 की खरीदते हैं वह खेतों में पहुंचते-पहुंचते सही रूप में मात्र 75 रुपये का डाई खाद यूज कर पाते हैं बाकी तत्व मर जाता है। आज किसान फाउण्डेशन बीज चाहता है, अब प्रसार की कोई जरूरत नहीं है। सारा किसान उत्साहित है कि अच्छा बीज मिले, मंहगा भले ही मिले। लेकिन होता क्या है फाउण्डेशन बीज की कमी रहती है और जो 10-5 बड़े किसान हैं उन्हीं को मिल पाती है। बाकी बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में दुगने दामों पर बेच दिया जाता है। मान्यवर, आज बहुत विषम स्थिति पैदा हो गयी है। यह किसानों के हित से जुड़ा हुआ बहुत ही गम्भीर मसला है इसलिए मैं इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने जिज्ञासा जतायी है। यह विभाग मेरे पास रहा भी है इसलिए मैं इसकी कमियों और खूबियों को अच्छी तरह से जानता हूं। जो कमी है उसे दिखवा लूंगा और कोशिश करूंगा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। खाद और बीज समय से अच्छी क्वालिटी में व पर्याप्त मात्रा में मिले। इसमें आपसे केवल इतना ही कहना है। वैसे माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि स्वयं जवाब दे दें।

* सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है और जो खाद व बीज की कमियाँ दिखायी हैं। माननीय सदस्यगण ने अपने जमाने की कमियों को छिपाने के लिए यह सूचना दी है। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय रबी अभियान में 5 लाख 9 हजार मीट्रिक टन से कुछ ज्यादा खाद बाँटी गयी थी जबकि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में किसानों के हित में 6 लाख, 28 हजार, 321 मीट्रिक टन खाद अब तक बाँटी जा चुकी है। इस प्रकार 1 लाख, 18 हजार, 417 मीट्रिक टन खाद अधिक बाँटी गयी है वह भी इतने कम दिनों में। खाद की इतनी अधिकता को देखते हुये अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस प्रकार की सूचना दिये हैं इसलिए यह ग्राह्य करने योग्य नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद, बटी है, कहीं भी सहकारी गोदामों में न खाद उपलब्ध है, न बीज उपलब्ध है। बिचौलियों के पास पहुंच गयी है। मान्यवर, यह सरकार किसानों को खाद, बीज पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। यह सरकार निकम्मी है। ऐसी सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिष्कार करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने सूचना दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों के लोग जो प्रतिदिन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली ज. करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। चाहे वह प्राइवेट बस या सरकारी सेवा से जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ से लोग जीवकोपाजन के लिए जो जाते हैं उनसे प्रवेश कर लिया जा रहा है। मान्यवर दिल्ली नगर निगम ने प्रवेश कर लगाने का निर्णय लिया है। मान्यवर, दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गरीब लोग जाते हैं उनको प्रवेश कर देना पड़ेगा। मान्यवर, जो गरीब लोग हैं अपने बच्चों के जीवकोपार्जन के लिए, उनको रोटी के लिए रोज लगभग 70-80 रूपय कमाकर लाते हैं। मेरा आग्रह है कि इस प्रकार से प्रवेश कर न लिया जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारत का देश है इसकी भावनाओं पर चोट पहुंचेगी। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार दिल्ली सरकार से वार्ता करके दिल्ली में जो कर लिया जा रहा है ऐसे लोगों पर प्रवेश कर न लगाया जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश से जो लोग जाते हैं उनकी जीवन प्रक्रिया को बाधित न किया जाए। यह उत्तर प्रदेश के गरीब निवासियों का संकट है इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, संसाधनों की कमी है, इसको बढ़ाना भी है, लेकिन संसाधन बढ़े और आम आदमी के जीवन पर इसका असर न पड़े इसका ख्याल सरकार रखेगी।

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 सदस्य की चिन्ता है कि दिल्ली सरकार ने वहां टैक्स लगा दिया है इस विषय पर आप आयें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा हो रहा है टैक्सेस के बारे में, कुछ केन्द्र सरकार के हैं, कुछ प्रदेश सरकार के। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए इस तरह का विचार कर रही है। मान्यवर, ऐसे टैक्सेस जो केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों से संबंधित होगा इस पर विचार होगा। जहां तक केन्द्र सरकार के टैक्सेस का मामला है उसकी जानकारी ले ली जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार से वार्ता करके जो संकट उत्तर प्रदेश के निवासियों के ऊपर आ रहा है उसको रोकने का प्रयास सरकार करे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम बात कर लेंगे जो आवश्यक कार्यवाही होगी किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री देवकी नन्दन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जिला समाज कल्याण कार्यालय, अलीगढ़ में व्याप्त घोर अनियमितता के सम्बन्ध में तथा पांचवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश की नई ऊर्जा एवं आवास नीति से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है। इन पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लखनऊ महोत्सव में महिलाओं के साथ हुयी अभद्रता विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत अगली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की दिनांक 9-12-2003 को लखनऊ महोत्सव में शाम को प्रशासन की लापरवाही के कारण महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के सम्बन्ध में है।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, कल लखनऊ महोत्सव में जहां आयोजन लखनऊ का अन्यान्य जो साहित्यकार होता है उनको याद करने...

मान्यवर, उनको सम्मान देने की थीम पर यह आयोजन किया गया था। इस आयोजन को और अच्छा बनाने के लिए आयोजकों ने आज के बहुत ही चर्चित फिल्म स्टार ऋतिक रोशन जी को उस आयोजन में बुलाया था। ऋतिक रोशन जी का आज के समय में युवाओं में बड़ा क्रेज है, आकर्षण है उन्हें बुला लिया गया। मान्यवर, यह स्वाभाविक है कि जहां पर ऐसे लोग आयेंगे वहां पर युवाओं की, बच्चों की, महिलाओं की भीड़ आवश्यक रूप से होगी तो जब ऐसे आयोजन होंगे तो उसमें भीड़ होना स्वाभाविक ही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसे फिल्म स्टार लोग आयोजनों में आयेंगे तो प्रशासन के लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के लिए वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करे। मान्यवर, लेकिन कल लखनऊ महोत्सव में आने वाले बाहरी प्रदेशों के लोगों के साथ, महिलाओं और बच्चों के साथ जो अभद्रता की गयी, महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया इससे लखनऊ जो तमीज और तहजीब के लिए मशहूर है, उस पर एक ऐसा बदनुमा धब्बा लगा है जिसे शायद कभी धुला नहीं जा सकेगा।

मान्यवर, इस महोत्सव में महिलाओं के शरीर के साथ जो खिलवाड़ किया गया वह कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया गया और उन्हें वहां पर कोई भी बचाने वाला नहीं था। पुलिस प्रशासन जो वहां पर सुरक्षा के लिए मौजूद था, मूकदर्शक बना रहा। जो मां-बाप अपने बच्चों के साथ वहां पर आए थे वह अपने बच्चों के साथ होने वाली हरकतों को देखते रहे। मान्यवर, इस महोत्सव में जो व्यापारी थे उनको लूट लिया गया जो अपने बच्चों की रोजी-रोटी के लिए इस महोत्सव में शामिल हुए थे उन्हें लूटा जाता रहा और पुलिस वहां पर मूकदर्शक बनी रही। मान्यवर, यह सब कहकर मेरा सरकार की निन्दा करने का कोई विचार नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी चिन्ता प्रकट कर रहा हूं कि जब कभी और कोई ऐसे आयोजन आयोजित किए जायें तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा ऐसे इन्तजाम किए जाएं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, इस महोत्सव में अराजक तत्वों द्वारा महान साहित्यकर श्री अमृत लाल नागर जी जैसे महान व्यक्तियों के स्टेचू तोड़ दिए गए, जला दिए गए। मान्यवर, मुझे दुःख इस बात का है कि जब ऐसे आयोजन होंगे तो उसमें भीड़ होना तो स्वाभाविक है फिर भी उसको नियंत्रित करने के लिए वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे फिल्म स्टारों को ऐसे आयोजनों में न बुलाया जाय और गृह सचिव से यह कहा गया था ऐसे आयोजन में फिल्म स्टारों को बुलाया न जाय इसके बावजूद गृह सचिव ने यह अनुमति दे दी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन जब वहां पर फिल्म स्टारों को बुलाया गया था तो स्वाभाविक रूप से वहां पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों की भीड़ तो होनी ही थी पर प्रशासन की कार्यशैली के चलते वहां पर यह जो घटना हुई है, महिलाओं के शरीर के साथ छेड़-छाड़ की गयी है इस पर मैंने सरकार का, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए नियम-56 में सूचना दी थी, अच्छा होता कि इसे नियम-56 में ही सुन लिया जाता। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे लखनऊ वासियों की भावनायें आहत हुई हैं, उन्हें टेस पहुंची है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज इस घटना को लेकर लोगों में जो आक्रोश है जो उनकी भावनाओं को टेस लगी है उसे कम करने के लिए भविष्य में ऐसे हादसे न होने देने के लिए, भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सरकार कुछ आश्वासन देगी।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मा0 मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लखनऊ की राजधानी में बहुत गलत घटना हो गयी। सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराये, जो दोषी हैं, उनको दण्डित किया जाए और जिन दुकानदारों आदि का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए ताकि यह जो बदनुमा दाग लगा है उसका कुछ समाधान हो सके और मेरा यह भी निवेदन है कि आगे के लिए सावधानी बरती जाए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, भा0ज0पा0 ने एक-दो शब्दों को दोहराया है कि बेइज्जत किया है, लखनऊ वाले बेइज्जत हुए हैं औरतों को बार-बार आपने बेइज्जत करने का शब्द सदन में इस्तेमाल किया है। मान्यवर, इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए उन लोगों के लिए जो बड़े क्लब, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब आदि के मेम्बर नहीं रहे हैं और बड़े होटल्स में जाने के लिए जिनके पास धन नहीं हैं सरकार उनकी जिज्ञासा जो उनके मन में दबी हुई है उसको पूरा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करवाती है। बड़े कलाकारों से, फिल्म स्टारों से बड़े लोग जाकर कभी मिल सकते हैं लेकिन गरीब आदमी उनसे नहीं मिल सकता। सरकार ऐसे मौके उनको फराहम् करा सकती है। इतने बड़े फिल्म स्टार को बुलाया गया तो उस वक्त यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहां पर्याप्त जगह है या नहीं। उसको जरूर देखा जायेगा लेकिन कोई कलंकित नहीं हुआ, बोई बेइज्जत नहीं हुआ है। जैसा आपने कहा महिलाओं के कपड़े फाड़े गये, महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ तो समाज की बहन-बेटियों के लिए सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ऐसा कपड़े फाड़ने का एक भी वाक्या नहीं है। ऐसा इल्जाम सरकार पर लगाना उचित नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, अखबारों में वहां पर जो वाक्या हुआ है उसके बारे में ख़बरें छपी हैं। आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते जिनकी बेइज्जती हुई है जिन लोगों ने वहां पर दुर्व्यवहार झेला है आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरी सरकार की निन्दा करने की कोई मंशा नहीं हैं लेकिन वहां जो हुआ उस पर मैंने ध्यान आकर्षित किया इसके बावजूद आपने मेरे शब्दों के बारे में कहा। आपने ऐसा कह कर जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनको राहत देने के बजाय उनकी चोटों पर नमक छिड़कने का काम किया है जिनकी मैं घोर निन्दा करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सरकार की कुछ भी छिपाने की मंशा नहीं है। माननीय सदस्य भाजपा अगर यह चाहते हैं कि जनता के बीच इस प्रकार के कार्यक्रम न हो तो यह एक अलग सोच है। अगर माननीय सदस्य भाजपा चाहते हैं कि इस तरह के फिल्म स्टार सरकार आम जनता के लिए न बुलाये तो अलग बात है।

श्री राम इकबाल सिंह-

अखबारों में सारी बातें छपी हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है प्रोसीडिंग्स उसकी गवाही दे रही है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ला-

अखबारों में फोटों छपी है। शासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। अधिकारियों का यह निन्दनीय काम है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं तो सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जो घटना हुई है वह शर्मनाक घटना हुई है। यह सही है कि जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी थी इन्तजाम करने की बजाय जिम्मेदारी के निर्वहन के वह अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाते रहे। जनता के साथ इस तरह का कृत्य होता रहा दुकानें लुटती रहीं लेकिन अधिकारी खड़े होकर फोटो खिंचवाते रहे। अधिकारियों का यह व्यवहार होगा तो कैसे काम चलेगा। इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी यह मंशा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद ही स्वीकार किया है कि यह देखना पड़ेगा कि इस तरह के स्टार को बुलाया जाए तो वहां पर्याप्त जगह है कि नहीं यह सब देखने की चीजें हैं। कितनी भीड़ वहां आने वाली है उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है यह कुछ बिन्दु हैं जिनको देखना पड़ेगा।

श्री हुकुम सिंह-

जो बिन्दु मैंने बताये हैं उनकी जांच करवा लें। जिनके ऊपर इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी बजाय ऐसे अधिकारी इंतजाम करने के फोटो खिंचवाते रहे।

श्री उपाध्यक्ष-

यह भी देख लिया जाएगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन न करने से जनता के बीच भय व्याप्त हो गया है।

श्री वसीम अहमद-

अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष-

इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

वी0डी0ओ0 कैमरे इस बात के गवाह हैं कि अधिकारी व्यवस्था देखने के बजाय अपने-अपने परिवार के साथ फोटो खिचवाते रहे। यह गम्भीर विषय है इससे लखनऊ वालों के साथ-साथ पूरे प्रदेश में गलत संदेश गया है। अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो जनता में भय व्याप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। मैंने प्रागीलाल अहिरवार को बुला लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के बीच कोई गलत संदेश नहीं गया है। प्रदेश की जनता के बीच कोई भय व्याप्त नहीं है। आप अपने तरह कमजोर न समझें। जनता बहादुर है आप भी अगर भयभीत हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप यहां से दारुलशफा पूरी शानोशौकत से जाएं। जो हुआ है उसको देखा जाएगा।

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने की सूचना

*श्री प्रागीलाल अहिरवार-

मान्यवर, आपने लोक महत्व के विषय पर मुझे सरकार से निवेदन करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने यहां मऊरानीपुर जनपद झांसी में पांच एम0बी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने की सरकार से मांग करता हूं। जिससे विद्युत की समस्या का हल हो सके। महोदय, मेरा निवदेन है कि विधान सभा मऊरानीपुर जनपद झांसी में विद्युत व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण है। आये दिन विद्युत की समस्या बनी रहती है जिसके सम्बन्ध में मैंने पिछले वर्ष विधान सभा सत्र के दौरान नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 28-8-2002 को जल विहार मेले में विद्युत व्यवस्था सुधारने का अनुरोध किया था। जिस पर दिनांक 3-9-2002 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी का वक्तव्य आया था कि उपकेन्द्र पर कुल स्थापित क्षमता 5+8 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 8+8 एम0वी0ए0 हो जायेगी जिससे विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान हो जायेगा। मुझे खेद है कि 1 वर्ष 6 माह का समय होने जा रहा है परन्तु आज तक उपरोक्त समस्या का निराकरण नहीं किया गया जिससे क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है, बिजली की समस्या को लेकर नगरवासियों ने दिनांक 25 जुलाई को पूरा बाजार बन्द रखा एवं जुलूस निकालकर क्षेत्रीय अधिकारियों व मेरा घेराव भी किया जिसमें मेरे व अधिकारियों द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि एक माह के अन्दर 5 एम0वी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने में 26.76 लाख का खर्च आयेगा जिसका प्राक्कलन भी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस पर विभागीय शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्या को ध्यान में रखते हुए 5 एम0वी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लाखों लोगों के जनहित में स्थापित कराकर विद्युत समस्या का निदान एक माह के अन्दर कराया जाये। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार से यह आश्वासन मिल जाय कि एक महीने के अन्दर जब स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त है तो यह कार्य शुरू करा दिया जाय, यह जनहित में होगा।

(किसी सदस्य के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना पर सिर्फ एक ही माननीय सदस्य को बोलना था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपको इस पर कुछ कहना है।

नोट :-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

देख लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री घनश्याम शुक्ला, श्री अनिल पासवान और श्री आर0एस0 कुशवाहा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग जो बोल रहे हैं। लिखा नहीं जायेगा।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैंने सूचना दी है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मेरी सूचना नियम-56 में स्वीकृत है आपने कहा था कि इनके बाद मुझको सुन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने सूचना दे दी है कि जिन माननीय सदस्यों की सूचना स्वीकृत नहीं हुई है वे अस्वीकृत कर दी गई है। मैं अगली मद ले रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल•की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,13,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(विपक्ष के किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कटौती का प्रस्ताव नहीं है तो आगे चलें।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,18,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,22,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,93,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,75,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,90,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान

एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,54,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,64,94,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,44,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,68,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,97,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

ग्राम्य विकास, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,52,45,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,05,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,25,41,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री उपाध्यक्ष-

जिस प्रकार से कल चर्चा हो रही थी उसी प्रकार से चर्चा जारी रहेगी जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहें वह अपने नाम दे दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चर्चा यहीं से शुरू करा दें।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे यह मामला 1938 से चल रहा है। इसमें कुछ जातियां सम्मिलित होती रहती हैं और कुछ निकलती रही हैं। 1930 में गोल मेज कान्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि वहां गये और अपनी-अपनी मांग रखी। क्योंकि वह शासन करना चाहते हैं। वहां पर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी भी मौजूद थे उन्होंने कहा था कि जो 6 करोड़ पद दलित हैं, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। प्रश्न पूछा क्यों वह अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोग हैं। समाजसेवी हैं, आदिवासी, कठोर करमा राष्ट्र निर्माता राष्ट्रवादी हैं, मानवता वादी हैं। ड्रग माफिया व भू-माफिया नहीं हैं, हत्यारे नहीं हैं, आतंकवादी अलगाववादी अपराधी नहीं हैं तथा विदेशों से सांठ-गांठ नहीं, भीख नहीं मांगते। मान्यवर, 1935 में संविधान में एक भारत अधिनियम बना और उसमें हमें न्याय मिला। संविधान में शैक्षिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, रिजर्वेशन मिला। आज रिजर्वेशन कोटा खत्म होता जा रहा है। क्योंकि स्कूलों का निजीकरण हो रहा है। जिन लोगों को रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, दवा नहीं है, सम्मान नहीं होता और छुआछूत उनके लिए यह व्यवस्था की गयी थी। लेकिन सभी राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल है। विकास की मुख्यधारा से यह अलग हैं। पिछले दिनों जो भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 रामबाबू हरित पीठासीन हुए)

इसमें इतना सरकारों का दोष है, जितना कि राजनीतिक दलों के नेताओं का है। हमारे जो दलित नेता हैं उनका भी है चाहे एक बार, दो बार या तीन बार मुख्य मंत्री बने लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया। उन्होंने कभी अनुसूचित जातियों, जनजातियों की चिन्ता नहीं की। आज हमें इस बात की चिन्ता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अनुसूचित जाति जनजाति तथा विमुक्त जातियों, का कल्याण, व्यक्तियों का कल्याण, शैक्षिक कार्यक्रम, आर्थिक सहायता के कार्यक्रम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं हैं। प्रशिक्षण योजनाएं हैं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में मकान व दुकान निर्माण की योजनाएं तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाएं हैं यह सुविधा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति की जनगणना के आधार पर होती हैं। लेकिन 1991 के बाद से आज तक कोई जनगणना नहीं हुई है। जनसंख्या बढ़ी है। हमारा जो आरक्षण 22.5 प्रतिशत था वह अभी भी पूरा नहीं है। डी0 पी0 सी0 कमेटी बनी थी लेकिन 1998 के बाद से कोई कमेटी नहीं बैठ पायी है और पांच वर्ष हो गये हैं। आज किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हो रहा है अतः आपसे अनुरोध है कि इनकी जनगणना करा लें और उसके आधार पर न्याय दिलायें।

मान्यवर, मैं इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जनगणना के आधार पर उन परिवारों को लाभ मिले। जैसा संविधान में प्राविधान किया गया था उसके आधार पर लाभ मिले। यह जनता तो भोली भाली जनता है और कुछ लोग उनकी भावनायें भड़का देते हैं और वोट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि

वह अनुसूचित जाति/जनजाति की भोली भाली जनता के साथ अन्याय न होने दें। मानवीय आधार पर उनको मुख्य धारा में लायें। अनुसूचित जाति/जनजाति की जनता भी यह देखे कि कौन उनके हित में हैं। वह नेताओं के भड़काऊ भाषण में न आये। राष्ट्रीयता से जुड़े आज नेताओं ने नक्सलवाद और अलगाववाद का वातावरण पैदा कर दिया है। आज प्रत्येक शहर में नफरत का वातवरण बना हुआ है। लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को हेय दृष्टि से देख रहे हैं और प्रतिशोध की भावना पैदा हो रही और घटनाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं न हों। जिसने पैसा लूटा है, जिसने खजाना लूटा है, अपना घर भरा है, अपने भाई, भाभी, मां, पिता, बहन के नाम से घर भ लिया है वह यही दण्ड भरे जिसने लूटा है। इस समाज का दोष क्या है ? यह समाज दोषी न बन पाये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनगणना करा ली जाय औरा जनगणना के आधार पर आरक्षण व अधिकार दिलाये जायें। आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, परिवहन विभाग के बजट से मैं अपने को प्रारम्भ करूंगा। उत्तर प्रदेश में जनता का प्रतिदिन का लगभग 70 प्रतिशत प्राइवेट बस आपरेटरों, मालिकों.....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जिन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया तो कम से कम उन्हें तो सदन में रहना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं और उठकर चले गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो विभागीय मंत्री हैं उन्हें उपस्थित रहना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि प्राइवेट बस आपरेटर्स को दुधारू गाय की तरह सरकार दुह रही है। लेकिन उनकी सुविधा की कोई चिन्ता नहीं कर रही हैं अध्यादेश, 19, 2002 जारी करके उत्तर प्रदेश मोटर कराधान (संशोधन) में संशोधन कर दिया। पहले यह स्लेब बनी थी कि 50 किलोमीटर पर इतना देना पड़ेगा, 50 से 100 पर इतना देना पड़ेगा और उसके ऊपर इतना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की पाँच स्लेब बनी थी लेकिन 1998 से पाँच बार इन स्लेबों में परिवर्तन किया गया और इनको दुहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इनको दुहने के चक्कर में थनों से खून न निकलने लगे और अन्ततोगत्वा वह विभाग जो परिवहन विभाग है, जिस पर 70 प्रतिशत जनता निर्भर करती है वह विभाग न चरमरा जाय। आखिर में मान्यवर, 19-2002 अध्यादेश जिसमें मोटर कराधान अधिनियम, 1997 में संशोधन किया गया था।

मान्यवर, पहले उसमें व्यवस्था यह थी कि जब पहले 4500 किमी0 जो गाड़ी चलती थी तीन माह में उससे 3500 रुपये टैक्स लिया जाता था और जब 5700 किमी0 चलती थी तो उससे 4000 रुपये लिया जाता था और 7200 से 9000 किमी0 तक जो गाड़ी चलती थी उसे 4800 रुपये टैक्स लिया जाता था आज वह नीचे के तीन स्लैब समाप्त कर दिये गये हैं, मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश की अगर कोई गाड़ी उत्तरांचल प्रदेश में जाती है तो उत्तरांचल सरकार उससे तीन हजार रुपये टैक्स लेती

है और अगर उत्तरांचल से कोई गाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में आती है तो यहां हम उससे मात्र 287 रुपये टैक्स लेते हैं, चाहे हमारे यहां की गाड़ी उनके यहां सिर्फ एक घण्टे के लिये ही जाये तब भी वह तीन हजार रुपये ले लेंगे। मान्यवर, हमें यह तो देखना चाहिए कि हम तो उत्तरांचल की गाड़ियों से टैक्स लेने में इतनी उदारता बरतते हैं लेकिन उत्तरांचल सरकार हमारे यहां की गाड़ियों से कोई उदारता नहीं करती है, तो फिर हम क्यों न उनसे भी उतना ही टैक्स ले जितना वह हमसे लेते हैं। मान्यवर, अब मैं यहां की परिवहन व्यवस्था के बारे में बताना चाहूंगा।

मान्यवर, हमारे यहां रोड़वेज बसों की सकल आय से 1600 रुपये टैक्स लिया जाता है चाहे गाड़ी चले या न चले, सवारियां उसमें बैठें या न बैठें और ऊपर से यह भी फिक्स है कि इतने किमी0 पर इतना किराया देना ही पड़ेगा। मान्यवर, अगर हमें राजस्व उनसे ज्यादा चाहिए तो हम किराये को बड़ा दें, किराया बढ़ेगा तो टैक्स अपने आप बढ़ जायेगा। मान्यवर, इसमें जो व्यवस्था लागू है उसके कारण 14-14 माह का लोगों का टैक्स बकाया है, उनकी आर0 सी0 जारी हो रही है, लेकिन वह वसूल नहीं हो पायेगा क्योंकि इसकी राशि इतनी ज्यादा है कि अगर उनकी बसें भी खींच ली जाय तो भी देनदारी बाकी रह जायेगी। मान्यवर, आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन यात्री किराये में बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है, न ही उसे बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है। मान्यवर, हम गोल्डेन टोकन व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, लेकिन जब अन्य राज्यों की ट्रकें हमारे यहां ओवर लोडिंग कर रही हैं तो उनसे जुर्माना लेना ही चाहिए, हमारे यहां इस सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था नहीं है मैं इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, दिनांक 04-03-2003 को जो मेरे द्वारा पत्र सरकार को लिखा गया था उस पर भी जरा विचार कर लें और जनता के हित में, परिवहन के हित में इस पर कुछ विचार कर लें। मान्यवर, दिल्ली-सहारनपुर, मेरठ-चण्डीगढ़, सहारनपुर-करनाल मार्ग पर जिसमें दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर तीन परिवहन बसों के लिये परमिट बाकी दोनों के लिये 19-19 बसों के परमिट का माडीफिकेशन कल्याण सिंह सरकार में था बाद में राजनाथ सिंह सरकार ने वह कैन्सिल कर दिया। बाद में जब लोग हाईकोर्ट गये तो हाईकोर्ट ने राजनाथ सिंह के फैसले को बरकरार रखा अर्थात माडीफिकेशन निरस्त हो गया, फिर लोग उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गये जो पेण्डिंग है। अब सरकार पुनः माडीफिकेशन करने जा रही है, जो नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध है, उसको रोका जाना चाहिए।

मान्यवर, उद्योग विभाग के सम्बन्ध में भी दो लाइनें कहना चाहूंगा, लघु उद्योग विभिन्न कारणों से बन्द पड़े हैं, लघु उद्योग कर्जा का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। मान्यवर, मण्डल स्तर पर जो उद्योग बन्धु की व्यवस्था की गयी थी, उद्योग बन्धु की बैठक में जिन अधिकारियों को आना चाहिए था, कि फलां-फलां अधिकारी बैठक में आयेंगे, यह तय होता था, लेकिन आज उन अधिकारियों ने आना बन्द कर दिया है।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस सरकार से कि लघु उद्यमियों के हित में प्रदेश का औद्योगिक वातावरण ठीक रहे, औद्योगिक विकास होता रहे तो उस हित में जो मण्डल स्तर पर और जिला स्तर पर तथा प्रादेशिक स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठकें नियमित रूप से हों और जो निर्धारित अधिकारी उसे

बैठक में जाने के लिये नामित हैं वह उसमें उपस्थित रहे ताकि समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने में सुविधा रहे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना की घोषणा की गयी थी उसकी स्थापना के लिये मैं सदन के माध्यम से पुनः आग्रह कर रहा हूं।

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से हमें विधायक निधि मिलती है। उसमें यह प्रतिबन्धित है कि विधान सभा क्षेत्र में ही विधायक द्वारा उसका पैसा खर्च किया जायेगा। अब अगर हमारे जिले में कोई डिग्री कालेज है, जिला अस्पताल है और किसी दूसरे विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में आता है तो हम उसमें अपनी निधि से सहायता नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, क्या उस डिग्री कालेज में, दूसरी विधान सभा क्षेत्र का बच्चा नहीं पढ़ सकता है या हमारे निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में पड़ने वाले जिला अस्पताल में इलाज के लिये नहीं जाता है। मान्यवर, यह विधायक निधि हमें जनहित में और जन सुविधाओं में वृद्धि के लिये मिली है। मान्यवर, हमारे यहां मेरठ मेडिकल कालेज मेरठ कैंट विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, तो वहां तो सभी क्षेत्रों के लोग इलाज के लिये जायेंगे। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस व्यवस्था पर कृपया पुनर्विचार करने का कष्ट करें। कम से कम चिकित्सा और शिक्षा की जो सामूहिक व्यवस्थायें हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध न रहे इस तरह का।

मान्यवर, गृह विभाग के सम्बन्ध में पुलिस व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिन्ता सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य मिलकर करते हैं सदन में। मान्यवर, जब पुलिस के आधुनिकीकरण का सवाल आता है उसे आधुनिक हथियारों से लैस किये जाने का सवाल आता है, पुलिस की संख्या बल की कमी को दूर करने का जब सवाल आता है, और जब कांस्टेबिल, सिपाही या सी0 ओ0 की नियुक्तियों आदि का सवाल आता है तो उसमें कंजूसी बरती जाती है। आज अपराधियों के पास आधुनिक हथियार हैं आधुनिक वाहन हैं और पुलिस के पास वही घिसी पिटी जीप। अगर अपराधी अपने वाहन से भाग कर 10 किलोमीटर तक चला जाता है उतने समय में हमारे पुलिस के लोग उसका पीछा करते हुए 10 गज तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज पुलिस के पास वायरलेस सेटों का अभाव हैं गांवों में जो छोटी-छोटी चौकियां बनी हुई हैं वहां 2-2- सिपाही बैठे हुए हैं अगर वहां कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाय तो वह जिला मुख्यालय को वायरलेस से सूचना देकर आवश्यक व्यवस्था करा सकता है। कम से कम गृह विभाग के बजट पर तो ध्यान रखा जाय कि पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण और उसे आधुनिक संसाधन मुहैय्या कराये जायें पुलिस बल की कमी को दूर किया जाये।

मान्यवर, आज जगह-जगह पर पुलिस की चौकियां किराये के भवनों में या कब्जे के भवनों में चल रही है उनको देखने की जरूरत है। इसके अलावा जो बैरक बने हुए हैं उनमें कितनी दुर्व्यवस्था है न नहाने की सुविधा है न शौचालय हैं और जब उनको बदनाम करने की बात आती है तो हम जरा भी देरी नहीं करते हैं। आज पुलिस बल के लोग किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जब वह बैरक में लौटते हैं तो कभी-कभी तुरन्त फिर कॉल आ जाती है और ड्यूटी पर जाना पड़ता है। मान्यवर, कल्याण सिंह जी की सरकार में एस0 टी0 एफ0 की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ल का इनकाउन्टर का कार्य किया था। उसमें आउट आफ टर्न प्रमोशन देने की बात तय हुई

थी। एक व्यक्ति की उसमें आउट आफ टर्न प्रमोशन की प्रक्रिया जारी हुई थी आज उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। वह रोक ही नहीं दिया गया, उसमें मेहनत करके तीन-तीन मुख्यमंत्रियों तक पत्रावली भिजवायी गयी और यह बताया गया कि इस पर मुख्य मंत्री जी का सदन में आश्वासन है। लेकिन अधिकारियों के सामने उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं है। उनका कहना है कि हमारे हिसाब से नियमों में नहीं आता है, हम नहीं देते हैं। जब उसमें पुनः कोशिश की गयी कि विधान सभा के उस आश्वासन की पूर्ति की जाय जो उसे लागू होने में देरी हो रही है उसे जल्दी लागू किया जाय तो प्रक्रिया ही उलट दी गयी है। तो पलट आप गये और पलटे इसलिये कि नियमों में नहीं आता। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है इसको लागू करने के लिये वह तैयार नहीं हैं। इससे उन पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरेगा। मान्यवर, आपकी पीठ का संरक्षण मिले। इस पर ये विचार करे और इसमें जो छोड़ा गया सिपाही है, जिसका आउट आफ टर्न प्रमोशन का सदन में आश्वासन है वह प्रमोशन उसको मिले, धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो अनुदान प्रस्तुत हुए हैं उसी पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं सबसे पहले परिवहन विभाग से शुरू करता हूं बाकी तो डा0 बाजपेयी ने काफी कुछ कहा है। मान्यवर, पिछले 10-15 वर्ष के अन्दर विभिन्न निधियों से, विभिन्न स्रोतों से सड़कों का काफी निर्माण हुआ। जो हमारा परम्परागत तरीका था परिवहन का, घोड़ा, तांगा, बैलगाड़ी थी वह सारे समाप्त हो गये और उनकी जगह जीप आ गयी और साधन आ गये और वह जीप बराबर जितनी भी गांव की सड़के हैं उन पर चलती हैं लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि जो जीप चला रहा है, गांव का बच्चा चला रहा है, 15-20 सवारी भी भरकर आता है लेकिन उसका फायदा उसको कितना मिल रहा है उसका आधा पैसा पुलिस विभाग के लोग ले रहे हैं परिवहन विभाग के लोग पैसा ले रहे हैं। जब कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में सर्वे कराया गया था कितनी सड़कें ऐसी हैं जो नवनिर्मित हैं और कितने पर निर्माण की आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुरूप उनको प्राथकिता देने की बात थी अगर वह पत्रावली मंगा लें तो वहां पर उन्हीं बच्चों को रोजगार भी मिल जायेगा और जो पुलिस व अन्य अधिकारियों के शोषण के शिकार बने हुए हैं वह दूर होगा और आपके यहां भी कुछ पैसा आ जायेगा, मेरा सुझाव यह है। पुलिस में अपनी पोस्टिंग को लेकर ऐसे थानों के लिये मारामारी मचती है जहां ज्यादा जीपें चलती हैं।

मान्यवर, पर्यावरण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग के द्वारा पर्यावरण का तो कुछ हुआ नहीं, हां, इस प्रदेश को पछाड़ने में काफी योगदान इस विभाग का रहा। योगदान क्या रहा वनों की कटान का रहा। पर्यावरण बना रहे इसके लिये वृक्षों की कटान को लेकर एक निर्णय ऐसा दे दिया जिसमें सरासर गलती यहां के वन विभाग के अधिकारी की थी कि उत्तर प्रदेश में कोई नया लाइसेंस आरा मशीन का नहीं दिया जायेगा और जो लाइसेंस दिये गये उनका परीक्षण किया जायेगा। इससे हरियाणा और पंजाब को मुक्त कर दिया क्योंकि वहां पर वन क्षेत्र 4.5 प्रतिशत है। हमारे यहां उत्तरांचल था तब यह 16 प्रतिशत था अब यह घटकर 4 प्रतिशत रह गया है लेकिन स्थिति क्या है, यहां पर जो व्यवसायिक वनीकरण हो भी रहा है किसान लोग यूकेलिप्टस का पेड़ या पापुलर के पेड़

लगा रहे हैं उसकी लकड़ी कटकर सारी की सारी हरियाणा को जाती है। जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलने के बजाय वहां के लोग पैसा कमा रहे हैं। लाखों उद्योग यमुनानगर से लेकर करनाल में लगे हैं जिससे वहां के लाखों बच्चों को रोजगार मिला है, लेकिन हमारे यहां कोई कार्य नहीं है। यह भी प्रश्न पूर्ववर्ती सरकारों में उठाया गया, वन विभाग में बार-बार आदेश दिया गया, मैं चाहता हूं कि जो काम नहीं हो सका, अधूरा रह गया उस काम को इसी नीयत के साथ आगे बढ़ाया जाय। पर्यावरण की आड़ में उस बात का निर्णय हुआ। मान्यवर, गृह विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा, केवल सुझाव के रूप में। गृह विभाग में खासतौर से पुलिस को लेकर, पता नहीं वर्तमान सरकार की यह सोच थी कि पुराने सारे रिकार्ड तोड़ दिये जायें। जितने ट्रांसफर, पोस्टिंग आई0 पी0 एस0 और उसके नीचे के अधिकारियों के आपने कर दिये, इतने किसी ने नहीं किये, यह आपकी उपलब्धि हैं जब कोई बात आपसे पूछी जाती है तो आप लोगों का जवाब होता है कि अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन आप स्थानान्तरण को ले लें तो शायद कोई पूर्ववर्ती सरकार आपके सामने टिक नहीं पायेगी। चाहे वह 3 साल वाली हो, 6 महीने वाली हो या एक साल वाली हो। अपराध जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आज यह बात किसी से छिपी नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि शान्ति से कोई आदमी अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लूट की घटना हो, अपहरण की घटना हो, हत्याओं की घटना हो, सारे के सारे रिकार्ड आप तोड़ते जा रहे हैं, यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि कोई एकाउन्टेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी आप किसी की तय कर नहीं पाते। आज एक आई0 पी0 एस0 अधिकारी है, कल दूसरा है और उसके बाद तीसरा आ रहा है। जब तक एक जम पाता है, उसको उखाड़ कर भगा दिया जाता है। इसका कारण कुछ भी हो। पुलिस विभाग में सबसे छोटा कर्मचारी कौन है, एक सिपाही, एक कांस्टेबिल। जो पीड़ा बाजपेयी जी ने व्यक्त की, वह अपनी जगह है, यह सरकार इस बात का दम भरती है कि पक्षपात कोई नहीं है, मैं अपने जनपद का उदाहरण देना चाहता हूँ। आपकी सरकार के एक राज्य मंत्री द्वारा एक वर्ग विशेष के 15 सिपाहियों को एक थाने से हटाने के लिये सूची दी गयी और कहा गया कि इनको हटा दिया जाय। मेरा तो सिर शर्म से झुक गया, जब पंचम तल से इसके आदेश किये गये और कहा गया इन 15 सिपाहियों को हटाकर वहां सूचित किया जाय। उस आदेश पर उन सिपाहियों को हटाया गया। मान्यवर, यह सरकार सबकी है, लेकिन अगर ऐसी करतूत करेंगे तो फिर किसी की सरकार नहीं रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष आदेश पारित करके इस स्थानान्तरण आदेश को रोका, तब वह सिपाही वहां रुक पाये। यदि पुलिस कर्मियों के लिये इस तरह से पंचम तल से आदेश होंगे तो फिर कैसे उनका विश्वास रह पायेगा, यह बातें इतने हल्केपन से नहीं ली जानी चाहिए। कैबिनेट स्तर के मंत्री ने आग्रह कर लिया, वह दूसरे दल के आपके साथी हैं, उनकी चलती है नहीं, किसी ने उनको पूछा नहीं। राज्य मंत्री आपकी पार्टी के हैं, कैबिनेट मंत्री लोकदल से सम्बन्धित हैं। कम से कम आप इतना ध्यान तो कर लेते।

अब मैं सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। आपकी सारी ताकत ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रही, कभी कोई समीक्षा बैठक तक नहीं हुई। इतने अपराध हो रहे हैं, कभी एक-दो महीने में शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ आपने कोई बैठक की कि क्या कमी कहां रही है। मैं अपने जनपद की बात कहना चाहूंगा वहां हम जब भी पूछते हैं तो बताया जाता है कि थाने में सिपाही नहीं हैं। अगर

40 होने चाहिए तो 12 हैं, 12 में से 4 छूट्टी पर हैं तो अब 8 आदमी क्या कन्ट्रोल कर लेंगे। आपसे यह अपेक्षा जरूर की जाती थी कि कम से कम आप एक समीक्षा बैठक तो जरूर कर लेते। यह मेरा आपसे आग्रह है। सहकारिता की बात आप कर रहे थे, सहकारिता राज्यमंत्री यहां बैठे हैं। पता नहीं कहां से आपके पास फीगर्स आती है, मिलें चली नहीं और कह दिया गया कि पहले की अपेक्षा 4 गुना 6 गुना गन्ना पेर दिया, जितनी खाद पिछली सरकार ने बांटी थी, उससे 6 गुना ज्यादा हमने बांट दिया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज रबी की बुवाई चल रही है। डी0 ए0 पी0 खाद नहीं मिल रही है किसान ब्लैक से खरीद रहा है। इनके पास आंकड़े है कि पिछली सरकार ने जितना बांटा था उससे ज्यादा बांट दिया गया है। जो बात हम कह रहे हैं उसका संज्ञान लें, अधिकारियों से पूछें कि कितनी डी0 ए0 पी0 बांटी गयी, यह तुलना करने की बात नहीं है। कारागार अपराधियों का अय्याशीगाह बन गया है। अपराधी वहां पर जिस प्रकार की सुविधा पा रहे हैं शायद 5 स्टार होटल में भी वह सुविधा नहीं मिलती। अभी आपके सामने आ गया जिस के जेलर ने लगाम कसी उसको सस्पेंड किया गया फिर बहाल किया गया। जो सामान्य कैदी हैं उनको जहां 50 की जगह है वहां पर 250-300 लोगों को बन्द किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जितने बिन्दु मैंने उठाये हैं उनमें से कुछ बिन्दुओं पर सरकार विचार कर ले।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

अधिष्टाता महोदय, मैं विद्वान सदस्य और बहुत पुराने सदस्य श्री हुकुम सिंह का भाषण सुन रहा था। यह उस कुर्सी पर बैठे हैं और इधर भी उन्होंने शोभा बढ़ाई है, विभिन्न सरकारों में। इनको बहुत गहरा अनुभव है शासन चलाने का और प्रतिपक्ष में बैठने का भी। मैं श्री हुकुम सिंह जी का दर्द समझ सकता हूं। जब इन्होंने कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी तो मान्यवर, यह प्रजातंत्र है सरकारें आती जाती रहती हैं इसमें कोई कभी इधर बैठता है और कभी उधर बैठता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार एक मजबूत सरकार है और पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और प्रभावी ढंग से यह सरकार चल रही है तथा इस सरकार में पारदर्शिता भी है। मैं जानता हूं कि सरकार में आप मंत्री थे, ट्रांसफर की लिस्ट कभी अखबारों में प्रकाशित नहीं हुई। केवल दो-चार अधिकारियों का नाम कभी आ जाता था। मैं भी 30 साल से इस सदन में सेवक के रूप में बैठ रहा हूं। मैंने देखा कि किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसफर सैकड़ों में हों और अखबार में दो-चार अधिकारियों के नाम छपें यह मुलायम सिंह यादव की सरकार में कतई नहीं होगा। जिसका ट्रांसफर होगा उसको अखबार के माध्यम से प्रकाशित किया जायेगा। और स्थानान्तरण करना हर सरकार का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि रिकार्ड तोड़ दिया, मैंने देखा कि सुबह कोई ट्रांसफर, शाम को कोई ट्रांसफर, दूसरे दिन कोई ट्रांसफर, इतने रिकार्ड टूटे हैं, आपकी सरकार में, भले ही आपने न किये हों लेकिन उस सरकार में आप मंत्री के रूप में, सहयोगी मंत्री के रूप में थे। खाद की बात उठायी है मैं अपने जिले की बात करूं तो मेरे जिले में खाद की कमी नहीं है, सोसाइटी में कमी हो सकती है। अगर डी0 ए0 पी0 की बात कही है तो सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं इन्होंने सदन में बयान भी दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात की पूरी व्यवस्था की जायेगी। यह जरूर है कि सोसाइटीज इस समय निष्क्रिय हो गयी हैं, काम नहीं कर रही हैं, उन सोसाइटीज के माध्यम से भले ही खाद का वितरण न हो रहा हो लेकिन जहां तक मैं मानता हूं.....

श्री जगदीश नारायण राय-

मैं दावे के साथ कहता हूं कि जौनपुर में कहीं खाद नहीं है। सहकारिता मंत्री जी जाँच करा लें। कहीं भी खाद मिल जायेगी तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

सदस्यगण सीधे बात न करें, पीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहें।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आज ही इस बात को सुनिश्चित करा लेंगे कि प्रदेश में कहीं भी डी0ए0पी0 खाद की कमी न हो। कहीं भी डी0 ए0 पी0 की कमी नहीं होने दी जायेगी। आज ही इसकी व्यवस्था करा देंगे। कल तो सदन है नहीं, नहीं तो मंत्री जी कल सदन में एक बयान दे देते। मैं यह चाहूंगा कि पूरा सर्वे कराकर अखबार के माध्यम से पूरे प्रदेश को सूचित करा दें कि डी0ए0 पी0 खाद की कमी नहीं होने दी जायेगी और कहीं कमी होगी तो वहां के अधिकारी दण्डित किये जायेंगे। (श्री सुखदेव राजभर द्वारा यह कहने पर कि क्या फरवरी तक व्यवस्था करायेंगे) राजभर जी मैंने अभी की बात कही है। मान्यवर, मैंने माननीय नेता विपक्ष और उप नेता भारतीय जनता पार्टी को गन्ने पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए सुना। मुझे बड़ा दुःख हुआ। जब सरकार में थे तो गन्ना खेतों में जलाया गया, गन्ना किसानों पर लाठियां चलायी गयीं, गोलियां चलायी गयीं और रामकोला में एक किसान शहीद भी हुआ। आप ऐसी बात क्यों करते हैं ? टण्डन जी कह रहे थे कि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन करा दें। माननीय टण्डन जी से और पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि महाराष्ट्र नम्बर-1 का गन्ना उत्पादक प्रदेश है और वहां चीनी मिलें ज्यादा गन्ना पेराई करती हैं लेकिन मान्यवर, अगर परम्परा बनती रहेंगी कि आपके जमाने में गन्ना किसानों को एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ, गन्ना किसान दौड़ते रह गये। आपको तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देनी चाहिए कि उनके समय में गन्ना किसानों का भुगतान प्रारम्भ हो गया है। आपने चीनी मिलों की बात कही।

श्री अधिष्ठाता-

कुँवर साहब आप पीठ की तरफ देखकर अपनी बात कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि बरबस उधर नजर चली जाती है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मैं दावे के साथ कहता हूं कि गन्ना किसानों का भुगतान हो गया है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि गन्ना किसानों का भुगतान लगातार होता रहे। जो महाराष्ट्र का पैटर्न है उसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार वहां के गन्ना किसानों के लिये मूल्य तय करती है, उस पद्धति को अगर उत्तर प्रदेश में भी अपना लें तो मिलें भी चलेंगी और गन्ना किसानों का गन्ना खरीद भी हो जायेगा, पेराई भी हो जायेगी और गन्ना किसानों का उसका मूल्य भी मिल जायेगा। मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि

अगर एक तरफा निर्णय कर देंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जो मूल्य बढ़े उसका भुगतान भी होना चाहिए यह नहीं कि देखने के लिये 5 रुपया या 10 रुपया बढ़ा दिया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 105 और 110 रु0 के दर से गन्ने का मूल्य दिया जायेगा जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री मुलायम सिंह ने की थी और दूसरी तरफ 95 और 100 देना है तो हाईकोर्ट ने कहा है आप उस पर अपना भाषण कर रहे हैं।

कुँ0 रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि उस घोषणा का पालन होगा और किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि पालन नहीं हो रहा है। मैंने महाराष्ट्र की पद्धति की बात कही है उसको भी सदन में विचार करना चाहिए कि चीनी मिलें चलें यह सोचना है और चीनी मिलों को बकाया का भुगतान हो, आज का भी भुगतान हो और गन्ने की पेराई ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब मा0 मुलायम सिंह यादव यहां पर 24 मिलों का प्रस्ताव लाये थे तो आप लोगों ने समर्थन किया था। उन मिलों का आधुनिकीकरण किया जा सके और उन मिलों को आधुनिक बनाकर तीन साल के अन्दर 3 गुना ज्यादा पेराई हो। मान्यवर, हमें भी प्रदेश की चिन्ता है। मा0 टण्डन जी आपकी सरकार पिछले 2 दशक, एक दशक में 8 साल प्रदेश में रही है, कभी गठबन्धन में, कभी अकेले। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के नाम पर एक पैसा कहीं पूंजी निवेश हुआ हो। मान्यवर, हमारा प्रदेश बिहार, उड़ीसा को छोड़कर सबसे नीचे खड़ा हुआ है। प्रदेश की जो हालत है किसने यहां तक पहुंचायी है। मान्यवर, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गयी है परन्तु एक भी पावर हाऊस लगाया नहीं है। मान्यवर, जो पावर हाऊस हमने लगाया था टांण्डा को उनको बेच दिया गया। प्रदेश की जर्जर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। जो आपका कलंक है वह कलंक हमारी सरकार पर बांधना चाहते हैं। प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए आपने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक महीने, दो महीने के अन्दर अनपरा-सी का शिलान्यास मा0 मुलायम सिंह करेंगे। सारा दोष आपका है और मढ़ना चाहते हैं हमारे ऊपर यह कैसे हो सकता है। स्वस्थ परम्परा यह है कि है कि जो यथार्थ स्थिति है उस पर विचार किया जाँय और सरकार को पूरा समर्थन दीजिए और एक साल के बाद इस सरकार का लेखा-जोखा इस विधान सभा में ले लीजियेगा। कम से कम एक साल का समय नहीं देना चाहते।

मान्यवर, मैं बहुत विनम्र शब्दों में इस सदन से अपील करूंगा और नेता विरोधी दल से भी कि 'वह बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इनका प्रदेश की राजनीतिक में बड़ा योगदान है गठबन्धन की सरकार बनाने में भी योगदान था। इन्होंने तो राखी बंधवाकर ताज दे दिया था। उसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की हालत क्या हो गयी है। मा0 नेता विरोधी दल आप जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति कैसे इस प्रदेश को इन हालातों में पहुंचा दिया है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अकेले किसी को दी जाय यह बात ठीक नहीं है। मान्यवर, आप जानते हैं और सदन में उपस्थित सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, भले ही आप हमारी बात को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार न करें लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप जरूर हमारी बात से सहमत होंगे। मान्यवर, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार कृतसंकल्प है। मान्यवर, आज इसका रेट 2.7 प्रतिशत है।

मान्यवर, आज दुनिया के जो विकसित मुल्क हैं, मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में यह 6.6 प्रतिशत थी और आज कितना है 4.4 प्रतिशत। आप कह रहे हैं कि यह 7 प्रतिशत हो जाएगी। मान्यवर, देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आप मुझे यह बता दें कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या एक भी पावर हाऊस बनवाया है। मान्यवर, आप मुझे बता दें कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक भी पावर हाऊस बनवाया हो, किसी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में मदद की हो।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे कृपया उन्हीं मदों के बारे में बात करें जिनके लिए कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है तो ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 1991 में पावर मिनिस्टर था तो मैंने कहा था अनपरा सी पावर हाउस चालू हो जायगा लेकिन आपकी सरकार आते ही उस इकाई को हुण्डई को बेच दिया गया और तबसे आज तक 12 साल से आप प्रदेश की जनता को बिजली के लिए तरसा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, कृपया आप उन्हीं मदों पर चर्चा करें जिनके कटौती का प्रस्ताव आज पेश हुआ है, दूसरी बातों पर चर्चा न करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी कह रहे हैं कि जब मैं 1991 में पावर मिनिस्टर था तो मैंने अनपरा सी. की स्थापना कर दी थी और 1992 में हमारी सरकार ने उसे हुण्डई के हाथों बेच दिया तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस इकाई को मैंने नहीं बेचा था उसे जब माननीय श्री टण्डन जी की सरकार 1996 में थी, उन्होंने ही हुण्डई को बेच दिया था। मान्यवर, उसे हमारी सरकार ने नहीं बेचा था।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हमारी किसी भी सरकार में अनपरा सी को हुण्डई के हाथों नहीं बेचा गया। अगर कोई यह साबित कर दें कि उसे हमारी सरकार ने बेचा था तो मैं सारी जिम्मेदारी ओढ़ने के लिए तैयार हूँ। मान्यवर, उसे माननीय कुँवर जी की सरकार में ही बेचा गया था।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, उसे 1996 में माननीय टण्डन जी की सरकार में ही बेचा गया था, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद कुमार जी, अभी माननीय मंत्री जी का भाषण चल रहा है, बिजली की बात चल रही है इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहाँ से आ गया ? कृप्या आप बैठ जायें।

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप मुझे बोलने तो दें, मैं अभी बताऊंगा कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया है ?

श्री अधिष्ठाता-

नहीं-नहीं अभी माननीय मंत्री जी का भाषण चल रहा है कृपया आप बैठ जाइये।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, अभी परिवहन विभाग पर, जिसका उल्लेख माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने किया है, जैसा श्री हुकुम सिंह जी ने कहा है, उस पर भी कुछ बातें कहूंगा। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के जन-जीवन को प्रभावित करने का काम यातायात द्वारा होता है। जैसा कि माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने कहा है कि पहले बैलगाड़ी, इक्के और तांगे चलते थे लेकिन आज इनका अभाव हो गया है। मान्यवर, क्योंकि आज के युग में इन साधनों का प्रयोग कोई भी करना नहीं चाहता है।

मान्यवर, आज लोग विद्युत गति से तेज यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं। माननीय बाजपेयी जी ने परिवहन निगम की बसों के बारे में कहा। परिवहन निगम की बसें 19 हजार किलोमीटर जो नेशनलाइज रूट हैं उन पर चल रही हैं। आपने यह भी कहा कि जीपें जो चल रही हैं वह टैक्स की चोरी कर रही हैं। यह सही है इसके लिये हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मैक्सी कैब को हमने परमिट दिये हैं। इसका सर्वे करा लिया जायेगा और जिन्होंने परमिट नहीं लिये हैं वह बाध्य किये जायेंगे कि वह परमिट लें और टैक्स चोरी न करें। माननीय बाजपेयी जी ने स्लेब की बात कही है। मान्यवर, परीक्षण होने के बाद इस पर सम्यक् रूप से निर्णय किया जायगा और सदन को अवगत कराया जायगा ; मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि परिवहन विभाग के लिये 985.89 करोड़ रुपये का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, ट्रकों की ओवरलोडिंग के बारे में शिकायत मिली है। हमने गोल्डेन कार्ड योजना को बन्द किया है। पहले 18-20-24 टन तक सामान ट्रक में लाद कर ले जाते थे जिसके कारण सड़कें खराब होती थीं। भारत सरकार से जो हमें रोड ग्रांट मिलती थी वह पिछले 2 सालों से बन्द हैं। इसके कारण तमाम सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। ट्रकों को चेक पोस्ट पर बहुत समय लग रहा है ऐसी शिकायत आयी है। इसके लिये हमने आदेश दिया है और हमारे जो अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट हैं उनका कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा और कैमरे भी लगाये जायेंगे ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि कम से कम समय लगे और राजस्व की भी हानि न हो। ऐसी व्यवस्था गुजरात ने किया है हमारे प्रदेश में एक नौबतपुर जगह पर इसके लिए काम चल रहा है।

मान्यवर, सड़कों का रख-रखाव ठीक से हो सके इसलिये 204 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पी0 डब्लू0 डी0 ने केन्द्र सरकार को भेजा है। इससे सड़कों में जो टूट-फूट है उसकी मरम्मत होगी। इसी तरह से परिवहन आयुक्त संगठन के विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है जिसके लिये इस साल 70 लाख का प्राविधान किया गया है।

मेरा मानना यह है कि जितने भी आर0टी0ओ0 के दफ्तर हैं सबको कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाए जिससे एक ही विन्डो से काम हो व आदमी को जो जगह-जगह भटकना पड़ता है वह भटकना न

पड़े। बनारस में कम्प्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है उसका उद्घाटन इसी महीने हो जाएगा बाकी के बारे में भी मेरी कोशिश होगी कि पूरे प्रदेश के आर0टी0ओ0 दफ्तरों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाए जिससे एक ही जगह आदमी के सब काम हो जाएं। इसी के साथ-साथ जनपदीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 109.77 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है इससे जनता को सहूलियत मिलेगी। मैंने सघन चेकिंग की भी व्यवस्था कराई है। इसमें आपका सहयोग चाहिए अभी आपको घर बैठे लाइसेन्स मिल जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

वाहन चलाना तो जानता होगा।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मैंने सख्त हिदायत दे रखी है बाजपेयी जी जानते हैं कि विदेशों में लाइसेन्स लेना कितना दुर्लभ काम है जल्दी लाइसेन्स नहीं मिलता लेकिन यहां सबसे ज्यादा सुलभ काम है। मैंने हिदायत दे रखी है कि ठीक से गाड़ी चलवाकर देखें तब लाइसेन्स दी जाए। इसमें मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी कभी जिले में जाकर व्यवस्था को देखें। ऐसा करेंगे तो मैं अनुग्रहीत हूंगा। आप देखें कि यह हो रहा है कि नहीं। वाहन चलवाया जा रहा है कि नहीं जहां नहीं चलवाया जा रहा होगा वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। मेडिकल चेक अप भी होना चाहिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर एल्कोहलिक हो गए हैं। बिना सेवन के वह गाड़ी नहीं चलाते हैं इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके लिए ट्रामा सेंटर खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि वहां से अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते व्यक्ति मर तक जाता है इसलिए यह व्यवस्था करेंगे। इस साल इलाहाबाद और बनारस के बीच गोपीगंज में एक ट्रामा सेन्टर खुलवायेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक खुलवा दें।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

बाद में पूरे प्रदेश में हाइवे पर ट्रामा सेंटर खुलवाए जाएंगे। केन्द्र सरकार ने इसके लिए पैसा दिया लेकिन उस धन का दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया कहीं भी ट्रामा सेंटर नहीं खोला गया। पहली बार प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। के0जी0एम0सी0 में एक ट्रामा सेंटर जरूर है जहां कोई जरूरत नहीं है। हाई वे पर ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। बस दुर्घटना में आर्थिक सहायता के लिए 7 लाख रुपए तथा सुरक्षा योजना के लिए 12.50 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है। परिवहन बस बेड़े में इस साल एक हजार नई बसें शामिल करने का प्राविधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका समर्थन करेंगे। बस पुरानी और जर्जर हालत में हैं। इस बस बेड़े को अत्याधुनिक करने के लिये मैंने यह कदम उठवाया है। इसी तरह से मान्यवर, 100 वातानुकूलित बसों की व्यवस्था हम इस प्रदेश में करने जा रहे हैं जिससे आम जनता को सुविधा मिल सके और वह आराम से सफर कर सकें । इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह बसें अनुबंधित हैं और छोटी हैं। मैंने देखा है कि इनकी सीटें आरामदायक नहीं है। मैंने आदेश कर दिया है कि जो नई बसें ली जायेंगी, उनकी सीटें आरामदायक बनाई जायं। इसी के साथ-साथ हम फरवरी माह से यहां से इन्दौर के बीच में, कानपुर से इन्दौर के बीच में चार नई बड़ी ए0 सी0 बसें

चलाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे लोगों को दूर का सफर करने में आराम मिल सके। बसें नई रहेंगी और उसमें आरामदायक सीट रहेंगी तो लोगों को सफर करने में आराम हो जायेगा। इसी के साथ-साथ पुरानी बसों के रेनोवेशन के लिये 104.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें 10.25 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। 93 प्रतिशत बसें आन रोड करने के लिये प्राविधान किया गया है। इसके साथ-साथ जनवरी में मैं आगरा का जो अन्तर्राज्यीय बस अड्डा है उसका भी उदघाटन करूंगा। इस साल गाजियाबाद में, बाजपेयी जी चले गये हैं मैं बता रहा हूं कि गाजियाबाद और इलाहाबाद में सिविल लाइन्स में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बनाने का काम इस साल प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

इसी के साथ-साथ 250 और 275 कि0मी0 की दूरी के लिये पवन सेवा इस वर्ष से प्रारम्भ करने जा रहे हैं अभी हम 15 जिलों में करने जा रहे हैं और धीरे-धीरे आगे भी बढ़ाया जायेगा। अभी जिस तरह से बनारस जाने में 6-6.15 घंटे लग जाते हैं इसलिये हम पवन सेवा लागू कर रहे हैं और उसका टाइम भी फिक्स कर दिया है। जिस तरह से बनारस जाने वाले वरूणा से रात के पौने बारह बज जाते हैं और इलाहाबाद जाने वालों को गंगा गोमती से सवा दस बजे पहुंच पाते थे इसीलिये यह पवन सेवा का आरम्भ करके हमने सफर को कम समय में पूरा करने के लिये यह योजना बनाई है। इनके रूकने के लिये सारस में व्यवस्था की गयी है, जो कि टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट का होटल है। यह रायबरेली में बना हुआ है। यहां पर बसें रुकेंगी और 15-20 मिनट के अन्दर वहां पर यात्रियों को सस्ते में नाश्ते की व्यवस्था हो जायेगी और लोगों को आराम भी मिल जायेगा। टायलेट वगैरह की सफाई का भी इंतजाम किया गया है क्योंकि महिलाएं भी बसों से सफर करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका समर्थन करेंगे और जहां कहीं भी कोई त्रुटि है तो उसके बारे में आप सुझाव दें मैं उसका स्वागत करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन-

इस निगम को आप कब बेचेंगे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय टण्डन जी यह बेचने का काम तो आपने प्रारम्भ किया है और आप ही कर रहे हैं। कुछ बच नहीं पा रहा है। परिवहन निगम जनता की सेवा के लिए है। इसको आशीर्वाद दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में प्रश्न उठाना चाहता हूं। व्यवस्था के प्रश्न पर नई व्यवस्था दे दी कि जब तक पूरा भाषण समाप्त न हो बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, व्यवस्था का प्रश्न तो तत्काल होता है.....

श्री अधिष्ठाता-

जब तक आपका विद्वता पूर्ण भाषण सदन में नहीं होता है सदन खाली-खाली रहता है कुछ बोलेंगे तो मार्गदर्शन होगा।

*श्री प्रमोद कुमार-

कोई माननीय मंत्री जी कार्यकाल के दौरान शपथ लेते हैं तो उसकी गोपनीयता भंग नहीं कर सकते हैं टण्डन जी ने कहा कि आनपारा सी इनकी सरकार में आया। जहां तक मुझे मालूम है आलू

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तैयार होने में भी चार-पांच महीने लगते हैं टमाटर तैयार होने में भी चार-पांच महीने लग जाते हैं एक पावर प्लान्ट बनने में साढ़े चार साल, पांच साल का समय लगता है इससे कम का समय नहीं लगता है। माननीय टण्डन जी ने लगभग नौ महीने में इतनी बड़ी चीज कैसे पैदा की है यह मैं जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं टण्डन जी की प्रेगनेन्ट क्षमता पर संदेह नहीं करता हूं।

(हँसी)

कोई नियम पालिसी किया यह तो आए बदल दिया गया, रेवती रमण सिंह जी कह रहे थे आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1991 से 2003 तक का समय निरर्थक रहा बीच का कुछ कार्यकाल छोड़ दें कोई पावर प्लान्ट का नाम बतायेंगे जो आपके समय में आया मान लीजिए 1990 में प्रस्तावित था उसके बाद 12 साल तक यह आनपारा सी क्यों नहीं आया, मंत्री जी ने जो गोपनीयता भंग करते हुए गलत सूचना दी है इसमें व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कोई व्यवस्था नहीं बनती है ?

श्री लालजी टण्डन-

क्या कोई गलत बात का भी जवाब देना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता-

गलत बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है ?

श्री प्रमोद कुमार-

गलत आदमी गलत बात बोल नहीं सकता है इसलिए मैं जानता हूं आप नहीं बोल सकते हैं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं पर्यावरण पर अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं। पर्यावरण का बजट प्रस्तुत किया गया है 'सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्' कहां है सुजलाम्। कहां गई वह नदियों की निर्मलता, नदियों की जो स्थिति है मुझसे पूर्व में वाजपेयी जी ने इस पर चर्चा की, मैं भी इसमें दो-तीन बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहता हूं, हमारे अग्रज लोग बैठे हैं वह कह रहे थे शैशवकाल की सरकार है। श्रीमन् मैं कहना चाहूंगा कि कानपुर में गंगा नदी है वहां पर क्रोमियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है...

क्रोमियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी देख लें, यमुना नदी में यदि आप नहाने के लिए जायें तो दुर्गन्ध तो आती ही है, चर्म रोग भी हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन है ? इस पर भी पर्यावरण मंत्री जी चिन्ता करें। क्रोमियम कन्टेन्ट ज्यादा होने से महिलाओं में बांझपन बढ़ता है। यह रिफाइनरी से आ रहा है या अन्य किसी जगह से आ रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है, इसको चेक करने के लिए प्लांट लगाने की आवश्यकता है। कल ही लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ है, इसमें यह बात निकल कर आयी है कि प्रदूषण से नपुंसकता और बाझंपन बढ़ता है। यह डाक्टरों ने पढ़कर निकाला है, इस पर भी पर्यावरण मंत्री ध्यान दें। मैं धुएं की बात करना चाहता हूं, वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का हानिकारक कंटेक्ट इतना बढ़ गया है, आप प्रदेश भर का सर्वे

कराकर देख लें, दमा और सांस के मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गयी है और इससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इसे भी प्रदूषण विभाग को देखना है। हम लोग विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है। नतीजा यह है कि जब हम अपने बच्चे को डाक्टर के पास ले जाते हैं तो वह कहते हैं कि आगरा, कानपुर से दूर प्रदूषण रहित वातावरण में, गांवों में ले जाओ।

आज इस पर पूरे सदन को निर्णय करने की आवश्यकता है। मैं तापमान के विषय में भी कहना चाहता हूं गर्मियों में पहले अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री तक होता था लेकिन पिछले वर्षों में यह 50 डिग्री तक पहुंच गया। यह कैसे बढ़ा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, इससे 2020 तक यह तापमान 55 से 60 डिग्री तक पहुंच जायेगा, इससे सारे पशु और चिड़ियां ही नहीं वनस्पतियां भी नष्ट हो जायेंगी। इसका क्या दुष्परिणाम होगा यह आप सोच सकते हैं। 50 डिग्री तापमान गर्मियों में पहुंचने पर होने वाले दुष्परिणाम को आप देख ही रहे हैं। अगर इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रकृति का संतुलन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जायेगा। यह कुछ बिन्दु थे जिनकी तरफ मैं माननीय पर्यावरण मंत्री और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याएं भी हैं, अभी परिवहन मंत्री जी मौजूद थे और परिवहन मंत्री जी ने नेशनलाइज्ड रोड पर परिवहन बसें चलाने की बात कही है। हमारे यहां कालपी, हमीरपुर रूट पर मुश्किल से 2-3 बसें चलती हैं। जब मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी चाही तो रोडवेज झांसी के रीजनल मैनेजर ने लिखकर दिया कि यह मार्ग अत्यधिक टूटा हुआ है, पहले इस मार्ग को बनवायें। विधायक होने के नाते उन्होंने मुझे लिख दिया बल्कि उन्हें शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। यह मार्ग बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, इसकी मरम्मत करायी जाये। स्टेट रोड-91 की तरफ मै शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 21 जुलाई, 2003 को इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है लेकिन अभी यह मुख्य मंत्री और नियोजन विभाग के बीच लम्बित है। रोड खराब होने के कारण रोडवेज विभाग भी बसें चलाने में असमर्थ है। मान्यवर, इसकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी शीघ्र मरम्मत कराकर इसको आवागमन योग्य बनाया जाये। एक बात और यह कहना चाहता हूं कि ट्रामा सेन्टर की [illegible] गयी थी।

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेन्टर बनाने का पहले से ही प्राविधान है। जो ट्रामा सेन्टर की बात मंत्री जी ने कही है कि राज्य में ट्रामा सेंटर बनाये जा रहे हैं। इसमें मेरी मांग है कि यह राजमार्ग से हटकर बनाये जायें। ट्रक ड्राइवर्स के मेडिकल जांच की बात कही थी। इसमें सबसे गम्भीर बात यह है कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स में एच0 आई0 वी0 पाजिटिव की संख्या सबसे ज्यादा है। जो रास्ते में रेस्ट हाउस, ढाबे होते हैं उसमें से एड्स जैसी बीमारियां निकल कर आ रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ट्रक ड्राइवर्स की मेडिकल जांच की व्यवस्था करेंगे ताकि इससे उनके परिवार प्रभावित न हों। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की विद्युत समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। एक बात पारीक्षा तापीय परियोजना के बारे में कही गयी थी। बुन्देलखण्ड को विद्युत देने की बात कही गयी थी। उसे उच्चीकृत करने की बात कही गयी थी। इससे उम्मीद बढ़ी थी कि विद्युत की स्थिति ठीक होगी। उसी विषय में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पारीक्षा तापीय परियोजना को उच्चीकृत करेंगे ? कृपया इसे उच्चीकृत कराने का कष्ट करें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, कृपया सदन को व्यवस्थित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया व्यवस्थित रहें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन होगा।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में लिखित वक्तव्य दिया कि बुन्देलखण्ड को 15 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण अंचल में 7-8 घण्टे बिजली आती है। वहां पर रात्रि में मेरा दस्यु प्रभावित जनपद है इसलिये ग्रामीण रात में पानी नहीं लगा सकते भूमि विकास और जल संसाधन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कालपी क्षेत्र में बीहड़ की स्थिति सबसे अधिक है और इसी कारण यहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। भूमि एवं जल संसाधन का समुचित विकास न होने से किसानों की स्थिति दयनीय है। यह स्थिति दस्युओं की जनक भी है। इससे यहां कृषि उत्पादन कम होने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसमें विकास के लिये 2-3 कार्यक्रम लिये गये हैं मान्यवर, उन कार्यक्रमों को लागू किया जाये। इसमें डी0 पी0 ई0 पी0 कार्यक्रम को लागू करें और नाबार्ड के आई0 आर0 डी0 एफ0-8 को भी कालपी क्षेत्र में लागू करें। बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत बीहड़ सुधार कार्यक्रम को कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं महोदय माननीय परिवहन मंत्री बहुत योग्य मंत्री हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी योग्यता के अनुसार विभाग उनको नहीं मिला है। परिवहन मंत्री जी का उपयोग जितना बिजली में हो सकता था उतना परिवहन में नही कर पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका चौधरी जी कृपया सदन को व्यवस्थित रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, माननीय राम इकबाल जी के एक-एक शब्द को पूरी गम्भीरता से और धैर्यपूर्वक, चाहे उनके शब्द गम्भीर हों या न हों, पूरे मंत्रि-परिषद् के साथी मौजूद हैं, सुना जा रहा है और उनके शब्दों पर अमल किया जायेगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

यह परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि इसका भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जायेगा। परिवहन विभाग में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है। जो भी लड़के शिक्षित बेरोजगार होते हैं, जो कि प्रयास करते हैं एक छोटी गाड़ी निकाल कर सड़क में चलायें थोड़ी दूर यात्रा तय करते हैं, जो सम्पन्न लोग हैं, अपनी-अपनी बस चलाते हैं, तो यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई है और इस पर विचार भी होना चाहिये, पहले भी हो सकता है कि इसमें विचार हुआ हो लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ, जितना टैक्स अदा नहीं करता है उससे ज्यादा पुलिस वाले ले लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप जो रचनात्मक सुझाव हो वह दें।

श्री राम इकबाल सिंह-

इससे लाखों लोग सहमे हुये हैं। जो बस मालिक है वह दस लाख की बस चलाता है लेकिन होमगार्ड का जो सिपाही होता है वह कालर पकड़कर कहता है कि कल तुमको दरोगा जी बुलाये थे क्यों नहीं आये और थाने ले जाता है। सरकार ने यह कहा है कि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलायेंगे लेकिन पहले आप इन पुलिस वालों से तो मुक्ति दिलायें। अगर इनसे आप मुक्ति दिला दें तो लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। हर स्वाभिमानी युवक इसमें सहयोग करेगा। दूसरा जो सड़ी गली बसें हैं वह सड़कों में चल रही हैं और इससे पर्यावरण खराब हो रहा है तथा लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दो ढाई सौ किलोमीटर बस चलाने की सुविधा दी जाय। अगर दस बारह बेरोजगार युवकों को एक बस दिला दी जाय, उन्हें फाइनेन्शियल अधिकार व सस्ते रेट पर दे दें, जैसे भारी उद्योगों के लिये पच्चीस करोड़ की राशि को उपलब्ध कराने का फैसला किया है और वह राशि सात वर्ष के बाद वसूल होनी शुरू होगी। जहां तक उद्योग का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देख कर मान्यवर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही कृषि प्रधान है। इस प्रदेश का उत्थान उद्योग लगाकर नहीं किया जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि आज प्रदेश के उत्थान के लिये उद्योग लगाने की बात चल रही है, जो सिर्फ काल्पनिक ही साबित होगी। हमारे देश की 75-80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है जो कि किसान हैं और खेती का कार्य करते हैं। मान्यवर, जब तक छोटे उद्योगों को बढ़ावा और उन्हें सरकारी प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तब तक छोटे उद्योग फल-फूल नहीं सकेंगे, नहीं तो बड़े उद्योग रूपी मछली, इन छोटे उद्योग रूपी मछली को खा जायेंगे। जहां उद्योग खोलने के लिये लाइसेन्स के द्वार खुले हुये हैं वहां छोटे उद्योग कहां टिकेंगे। जब तक यह चीज तय नहीं होगी कि रोजगारों का वर्गीकरण हो, तब तक कुछ सम्भव नहीं होगा हम आलपिन भी बना सकते हैं लेकिन अगर इसको बनाने के लिये भी टाटा की जरूरत पड़े तो यह उचित नहीं है, आज गांवों में कहीं भी दुग्ध विकास के लिये किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है,

(व्यवधान)

आज गुजरात की इकोनामी, हिन्दुस्तान में अपना एक स्थान बनाये हुये है। प्रदेश के विकास से पहले गांवों का विकास करना होगा, उनका विकास तभी होगा जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इसके लिये जो आय के साधन हैं जैसे डेरी व्यवसाय, मुर्गीपालन व्यवसाय आदि कई तरह के व्यवसाय हैं, जब तक इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक गांवों का विकास सम्भव नहीं है, उद्योग लगा देने भर से उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती है, आप गांवों को रोजगार परक बनायें। श्रीमन् हाईटेक शहर बनाने

की बात हो रही है, जिसमें करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है, मान्यवर, आज हर तीन बच्चा चेस्ट का रोगी है, हर तीन बच्चा दमा का रोगी है, इस हाईटेक सिटी के स्थान पर मान्यवर हाईटेक विलेज बनाने की बात क्यों नहीं हो रही है, गांव की उन्नति की बात अगर सरकार करती तो मैं समझता हूं अच्छा होता। आज हमारे देश में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बजट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, जब तक जनसंख्या कन्ट्रोल में नहीं होगी तब तक पर्यावरण संतुलित नहीं होगा, और जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये ऐसे निर्देश या आदेश जब तक नहीं दिये जायेंगे कि जिनके दो या तीन बच्चों से अधिक बच्चे होंगे उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जायेगा, राशन कार्ड नहीं बनाया जायेगा, इस तरह की कुछ व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, तभी यह सम्भव हो गा। मान्यवर, एच0 आई0 वी0 टेस्ट की हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात समाप्त करें, आपका समय हो रहा है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास वनों की कमी हो गयी है। यह पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं, गांव की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत सहयोग रहता है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है और उनकी लड़की या बहन की शादी होती है तो वह पेड़ काट कर उससे काम चला लिया करते थे, लेकिन आज हम पेड़ भी नहीं काट सकते हैं, सरकार ने उन्हें रोक रखा है। मान्यवर, मेरा तो सुझाव है यह है कि इसके लिये एक आकर्षक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये कि गांव में जो बेरोजगार सौ पेड़ लगायेगा उसको सरकारी नौकरी में चतुर्थ क्लास में स्थाई पद दिया जायेगा। मान्यवर, इससे निश्चित तौर पर ही युद्ध स्तर पर गांवों में पेड़ लग जायेंगे और उत्तर प्रदेश को पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। आज मान्यवर, नदियों में मलमूत्र जाकर मिल रहा है, आज गंगा जमुना मैली हो रही हैं गोमती नदी के पानी में बदबू बढ़ रही है। इस वृक्षारोपण आदि से इन सब समस्या से मुक्ति हो सकती है। आज नदियों की सफाई कराने की बहुत जरूरत है। मान्यवर, अगर आज पर्यावरण को नहीं बचाया गया तो इंसान की जिन्दगी मुश्किल हो जायेगी। मान्यवर, आज ओजोन परत में छेद होने से त्वचा का कैंसर हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रमेश कान्त लवानिया को मैंने बुला लिया है। आप बैठें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज पर्यावरण को बचाने के लिये वृक्षारोपण बढ़ाया जाय ताकि ओजोन परत को बचाया जा सके।

*श्री रमेशकान्त लवानिया-

मान्यवर, मैं आगरा जनपद के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। यह राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। इसमें अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी है और जंगली भी है। इसी तरह से जगनेर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील है उसमें थोड़ा हिस्सा पहाड़ी है और जंगली है। मान्यवर, जगनेर ब्लाक में पानी का अभाव है और सिंचाई के पानी का भी अभाव है इस कारण वहां गरीबी बढ़ती जा रही है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान सीमा से लगे होने के कारण और वहां पर अनेक कमियां व्याप्त होने के कारण उधर के लोग हमारे यहां आकर अपहरण, लूटपाट और डकैती की घटनायें करते हैं और फिर वापस राजस्थान चले जाते हैं। यहां पर मान्यवर, तत्कालीन शासन के समय के चार-पांच डैम बने हुये हैं वहां पर अभी कुछ और चेक डैम बनाने की आवश्यकता है। वहां के पुराने बने चेक डैम आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जगनेर ब्लाक और खैरागढ़ ब्लाक में इन चेक डैमों की व्यवस्था करायी जाय, नये चेक डैमों की स्थापना कराई जाए तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े चेक डैमों को व्यवस्थित कराया जाय। इसी के साथ वहां रिचार्ज वैलों को व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है ताकि लोगों को सिंचाई का पानी सुलभ हो सके और किसानों को राहत मिल सके।

मान्यवर, मैं इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड इलाके को वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो सुविधायें दी गयी हैं, वह जगनेर तहसील को भी दी जाएं। मान्यवर, मैं विद्युत के संबंध में कहना चाहता हूं कि खैरागढ़ में एक विद्युत सबस्टेशन मंजूर हुआ था लेकिन तत्कालीन हमारे यहां के विधायक साथी ने उसे अपने निवास स्थान सठया पर लगवा लिया, इन्हीं कारणों से आज खैरागढ़ ब्लाक और जगनेर ब्लाक में बिल्कुल अंधेरा रहता है और बिजली की आंख-मिचौली होती रहती है। मान्यवर, बिजली न रहने के कारण सिंचाई के पानी का भी अभाव रहता है और अंधेरा भी इलाके में व्याप्त रहता है। इसी का फायदा उठाकर अपहरण, लूट और डकैती की घटनायें बढ़ती हैं और राजस्थान से लोग आकर यहां घटनायें करके वापस भाग जाते हैं। पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है तो इस समस्याओं पर शासन को तुरन्त ध्यान देना चाहिये और वहां पर तुरन्त विद्युत सब स्टेशन लगाने का ओदश दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, तीसरी समस्या है जगनेर ब्लाक में फायर स्टेशन खुलना चाहिये। वहां पर खैरागढ़ से जायेंगे आगरा जनपद से रास्ता है नहीं। पहाड़ी क्षेत्र है इस कारण से बहुत देर से फायर ब्रिगेड आ पाती है तब तक पूरा गांव स्वाहा हो जाता है जिससे काफी जनधन की हानि हो जाती है। इससे जनता में बहुत बड़ा असंतोष है। इस कारण मेरा कहना है कि एक फायर स्टेशन की स्थापना जगनेर में की जाय। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि सइयां में राजकीय दीक्षा विद्यालय का कई वर्ष से विद्यालय भवन खाली पड़ा हुआ है जो की बांधे में है। वहां लैब है, रहने के लिये छात्रावास है, स्टाफ के लिये मकान भी है वहां पर एक राजकीय डिग्री कालेज खोला जाय। वहां पर पर्याप्त जगह है। शासन का कोई पैसा भवन बनाने में नहीं लगेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं यह बड़ी खुशी की बात है वह खासतौर से हमारी बात पर ध्यान देंगे।

मान्यवर, वहां के बच्चे मुरैना और ग्वालियर पढ़ने के लिये जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर जाते हैं नतीजा यह होता है कि आये दिन दुर्घटनायें हो जाती हैं और उन लोगों के अपहरण हो जाते हैं और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं खैरागढ़ के लोग राजकीय डिग्री कालेज न होने के कारण उनमें असंतोष है। वहां काफी आन्दोलन भी हो चुके हैं । मेरा अनुरोध है कि सइयां में जो राजकीय दीक्षा विद्यालय का भवन है वहां राजकीय डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय मुख्य मंत्री जी जानना चाहते हैं। आप उस स्थान का नाम बता दीजिये कहां है।

श्री रमेशकान्त लवानिया-

मान्यवर, यह सइयां में है बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

लवानियां जी मुख्य मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा।

श्री रमेशकान्त लवानिया-

मान्यवर, पांचवीं बात यह कहना चाहता हूं कि एक जल त्रासदी हुई थी जब मैं वहां मेयर था तो एक जल त्रासदी हुई थी उस समय एक बहुत ईमानदार आफिसर थे राधेश्याम तिवारी, जल त्रासदी में प्रशासन ने उनको शिकार बना दिया उनको दोषी करार दिया लेकिन सी0आई0डी0 जांच में वह निर्दोष पाये गये। उनकी पोस्टिंग महाप्रबन्धक पद पर थी कानपुर में उनको इक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाकर भेज दिया गया जबकि उनसे 15 वर्ष जूनियर अधिकारी महाप्रबन्धक बना दिये गये। वह अब रिटायरमेंट की स्थिति में हैं। मैं चाहूंगा कि उनके साथ न्याय किया जाय और सी0आई0डी0 की रिपोर्ट की जानकारी करते हुए उनको उसी स्थान पर महाप्रबन्धक बनाया जाय और जो उनके ड्यूज हैं उनका भुगतान किया जाय। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जियाउद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था कि एक माननीय सदस्य पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के हैं या नहीं, अभी विधान परिषद् चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगने का काम किया। सरकार की प्राथमिकता की बात कर रहे थे, सरकार की प्राथमिकता पर्यावरण के प्रति है। मैं माननीय रेवती रमण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलती किया था, उसमें उन्होंने सुधार किया है और पवन सेवा तथा नई बसों का संचालन करके, समय-सारिणी निर्धारित करके अच्छा काम किया है। उसके बावजूद भी हम लोगों पर 3 महीने का कार्यकाल कहकर आरोप लगाया जा रहा है, यह आरोप बिल्कुल निराधार है और माननीय सदस्य का पर्यावरण खुद खराब हो गया है। घूरा राम उनका इलाज कर देंगे, इसके अलावा बलिया के एक ठेकेदार हैं, वह उनको शुद्ध कर देंगे, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय सदन का और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस प्रकार राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में कक्षा 6 से 8 तक की व्यवस्था कर दी गयी है, उसी तरह से असेवित कन्या इण्टर कालेज जो विकास खण्डों में खोले गये हैं, उसमें भी इस तरह कक्षा 6, 7 और 8 की व्यवस्था कर दी जाय, जिससे वह कन्या इण्टर कालेज पूरे प्रदेश में सही तरीके से संचालित किये जा सकें। कक्षा 6, 7 व 8 के बिना कक्षा 9 व 10 के क्लास नहीं चल पाते हैं, इसलिये मैं आपसे अनुरोध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं कि इस बात को भी बजट में जोड़ लिया जाय। पूर्व में राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में कक्षा 6, 7 व 8 की मान्यता का प्रावधान कर दिया गया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आगरा में मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में एक थाना है, वहां के इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह को एक घटना में दोषी पाया गया था, यहां सदन में बता दिया गया कि उनको लाइनहाजिर कर दिया गया है और निलम्बित करने की कार्यवाही उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन आज भी वह वहां पर अभी भी कार्यरत हैं और ऐसी सूचना देकर सदन को गुमराह किया गया है। आज तक उनको वहां से हटाया नहीं गया है। इस तरह की स्थिति सदन के अन्दर बनी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल ऐसे दोषी अधिकारी को हटाने की यह सरकार कृपा करे, अन्यथा पूरे प्रदेश में एक अच्छी सरकार का गलत मैसेज जायेगा।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ जल का स्तर काफी गिरता चला जा रहा है। वर्षा कम होने के कारण पेयजल की स्थिति भी गम्भीर है। आगरा क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, वहां का भू-गर्भ जलस्तर काफी नीचे चला गया है, वहां पर यमुना, धारी, चंबल, उटंगन नदियों में पानी का अभाव है। इन नदियों के पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरा अनुरोध है कि इन नदियों के पानी को भू-गर्भ जलस्तर बढ़ाने के लिये रोका जाय। पानी के अभाव में किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है, केवल खेती योग्य जमीन 20 प्रतिशत रह गयी है जलस्तर नीचे चला जाने के कारण वहां पर आयल इंजन काम नहीं कर रहे हैं। किसानों का मसीहा होने के नाते इस बजट सत्र में कोई भी घोषणा ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिये नहीं की गयी है। मेरा अनुरोध है कि किसानों के लिये सब्सिडी देकर ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने के लिये प्राविधान किया जाय जिससे किसानों के हित की सरकार किसानों के लिये लाभकारी हो सके। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई भी ट्यूबवेल बिना बिजली के नहीं चल पा रहा है। मैं अपने फतेहाबाद की स्थिति बताना चाहता हूं, वहां पूरा ऊबड़-खाबड़ जंगल है और कोई भी 33 के0 वी0 का सब-स्टेशन नहीं है। वहां पर सब-स्टेशन पर 5 और 3 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर 132 के0 वी0 का सब-स्टेशन नया खोला जाय जिससे कि किसानों को बिजली मिल सके। शंकर फतेहाबाद, फिरोजाबाद रोड पर यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है और यह जनता की मांग भी है। आपने पांच पुलों की बात की है मैं चाहता हूं कि यह छठा पुल भी बना दिया जाय और आप इसकी घोषणा करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये योजनाएं कागजों पर बनायी गयीं लेकिन उनकी जो हालत है वह आज भी बद से बदतर होती चली जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने अनुसूचित जातियों का आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया। लेकिन अफसोस यह है कि जिन सरकारों ने दलितों के नाम पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजनीति की उन्होंने इसके लिये कुछ नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कड़ाके की सर्दी में जब गरीब अपनी झोपड़ी में दम तोड़ रहा था उस समय महारानी लखनऊ में जन्मदिन सरकारी खजाने से मना रही थीं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने दलितों के नाम पर राजनीति की है उन्होंने कुछ भी दलितों के लिये नहीं किया।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हमारे नेता ने आरक्षण जो 18 से बढ़ाकर 21 परसेंट किया था यदि वह यही आरक्षण पूरा कर देते तो इससे दलितों का कुछ उत्थान होता। मैं अपने नेता का ध्यान माध्यमिक विद्यालयों, इण्टर कालेजों, महाविद्यालयों की ओर दिलाना चाहता हूं। चाहे इण्टर कालेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो, वहां अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के आरक्षण का कोटा किसी भी कीमत पर पूरा नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालयों की जांच करायी जाय जहां पर कोटे को पूरा करने का काम नहीं किया गया है। तमाम सरकारी दफ्तरों में पद रिक्त हैं रोस्टर कागजों पर ही बनाया जाता है और 3 साल बाद कैरी-फारवर्ड करके बदल दिया जाता है। यह अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग माननीय मुलायम सिंह यादव के भरोसे पर हैं, जो दलित आज झोपड़ी में जीवन बिता रहा है जिनको पिछली सरकारों ने ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है उनके लिये माननीय मुलायम सिंह यादव जी निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयास अवश्य करेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं तो मुख्य मंत्री जी के विनियोग विधेयक पेश करने के पहले कुछ कहना चाहता हूं। अगर औरों को समय देना चाहते हैं तो मैं बैठूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये। मैंने आपको अवसर दिया है।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी व भरत सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब समय नहीं है। अभी 13 से 15 मिनट अनुदान की मांगें पारित कराने में लग जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, केवल एक मिनट का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक मिनट में अपनी बात रख दीजिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में अपना लोभ संवरण नहीं कर सका। इसलिये मैं एक मिनट में अपनी बात पूरा करना चाहता हूं। जहां से मैं चुनकर आता हूं वह एक धार्मिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है और जो हमारा क्षेत्र है वह नगर का हृदय है। वहां एक पुराना पावर हाउस था, जिसके पास विशाल भूखण्ड है। पावर हाउस बन्द हो चुका है। वहां पर एक नया 132 के0 वी0 ए0

का पावर सब-स्टेशन खोला जाना चाहिए। मैं कई बार इस विधान सभा में इस प्रश्न को उठाता रहा हूं और पिछले दिनों जो सरकार थी उसने इस विधान सभा में आश्वासन दिया था कि उस स्थान पर एक 132 के0 वी0 का सब-स्टेशन खोला जायेगा। मेरा मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवदेन है कि वह आश्वासन अगर आप पूरा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। दूसरी बात यह है कि मेरे यहां श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय है जहां पर पूर्वांचल के बहुत दूर-दूर के इलाके से गरीब मरीज आते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होता है। मैंने महसूस किया है कि इस राजकीय अस्पताल में ऐसे मरीज एक डायलसिस मशीन नहीं है कभी थी लेकिन बहुत वर्षों से बन्द पड़ी है। ऐसी स्थिति में जिनको डायलसिस देना होता है, वह नहीं दे पाते और बाहर से 4 से 6 हजार में करवाना पड़ता है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय में एक डायलसिस की मशीन लगवा देंगे। इससे गरीब जनता को फायदा होगा। इन्हीं दो विनम्र निवेदन के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि मेरी सिर्फ दो मांगों पर ध्यान देंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।

प्रदेश में ऊर्जा नीति, चीनी मिलों की नीतियों के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा का समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल नियम-300 में रखा था और जो ऊर्जा नीति, चीनी मिलों के सम्बन्ध में नीतियां हैं उसके लिये निर्देश हुआ था कि चर्चा के लिये एक घण्टे का समय निर्धारित करा दें। दूसरा मेरठ में एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा पिटाई का मामला उठाया था उस पर निर्देश हुआ था कि सरकार जानकारी करके सदन को अवगत करायेगी।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम 51 की सूचना लेंगे उस समय स्मरण दिला दीजियेगा।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग । (क्रमागत)

(श्री भरत सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए।

*श्री भरत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बलिया जनपद के उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां लोकनायक जय प्रकाश जी ने जन्म लिया था और जय प्रकाश जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर पिछले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साल शासन द्वारा शासनादेश जारी हुआ था कि लोक नायक जय प्रकाश जी की पत्नी जयप्रभा जी के नाम पर सोनबरसा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा परन्तु अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लोक नायक जय प्रकाश जी की पत्नी जयप्रभा जी के नाम पर लड़कियों का कन्या महाविद्यालय खोला जाय। दूसरी चीज मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जनेश्वर मिश्र जी जब रेल मंत्री थे तब वर्ष 1990 में एक 33 के0 वी0 ए0 पावर स्टेशन का हमारे विधान सभा क्षेत्र में शिलान्यास किया था, उसे 13 वर्ष हो गये। मान्यवर, श्री चन्द्रशेखर ऐज ए प्रधान मंत्री ने अध्यक्षता की थी। एक करोड़ 8 लाख रुपये की स्वीकृति पिछला है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। तीसरी चीज मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

कितनी चीजें हैं अब आप समाप्त करें।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, हम भाषण नहीं सुझाव देना चाहते हैं। मान्यवर, बलिया में मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार अपने को कहती है और पूरे उत्तर प्रदेश में अरबों रुपया ट्यूबवेल का इनवेस्ट हुआ, पूरे प्रदेश के ट्यूबवेल बन्द हैं और ट्येबवेलों, नलकूपों का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है हम आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि बलिया जनपद में द्वाबा विधान सभा क्षेत्र के सारे ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं उसको चालू किया जाय। मान्यवर, बलिया एक ऐतिहासिक जिला है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया था।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिये। लिखा नहीं जायेगा। यह जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है मैंने मना कर दिया है।

श्री परागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा के विकास कार्य की तरफ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड जनपद के झांसी से विधायक हूं। मान्यवर, यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। किसान लोग रहते हैं। वहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जो छोटी-छोटी नदियां हैं उस पर चेक डैम बनवाकर छोटे-छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाय। मान्यवर, सुखनई नदी पर चेक डैम बनाया जाय, सपरार बांध का पानी लहतूरा बांध में चला जाता है। अगर वहां पर चेक डैम बनाया जाय तो लहतूरा बांध में नहीं जायेगा और किसानों को मिल जायेगा। मान्यवर, किसानों के हित में दो-चार ट्यूबवेल लगे हुए हैं वहां पर 5 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगाना है।

*श्री अक्षयवर लाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्य मंत्री का ध्यान नागरिक सुरक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा गृह विभाग के आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया भेजा जाता है। मान्यवर, होमगार्ड जो हैं उनको पैसा नहीं मिला। मेरे पास भी यह विभाग था। मैंने मा0 गृह मंत्री जी से होमगार्ड विभाग के लिये अलग से एक प्रस्ताव तैयार करवाकर भेजा था और 6 करोड़ रुपया देने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये सहमति प्रदान कर दी थी। यह जो 6 करोड़ रुपया होमगार्ड विभाग के लिये स्वीकृत हुआ था उसको गृह विभाग को न देकर इस विभाग को दिया जाय। मान्यवर, थाने तो हैं लेकिन उनके अन्दर कोई कार्यालय नहीं है, वहां के रख-रखाव का कोई जिम्मेदार नहीं है, कमाण्डेंट के पास रिवाल्वर नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से गृह विभाग को पैसा दिया जाता है उसमें से जो होमगार्ड्स के लिये छः करोड़ रुपये की धनराशि है वह सीधे होमगार्ड्स विभाग को दी जानी चाहिए। मान्यवर, वहां पर जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका जो तेरह करोड़ रुपया बकाया है उनको दे दिया जाय। मान्यवर, दैनिक वेतन भोगी जिसे पूर्व सरकार में साठ रुपये से बढ़ाकर 85.95 पैसे करा गया था उसे केन्द्र सरकार के होमगार्ड्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति बढ़ाकर 115 रुपये कर दिया जाय।

डा0 सुशील चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहारनपुर के कस्बा गढ़ तहसील बेहट के पश्चिम में हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की भूमि है, यमुना नदी के बीचों बीच में छः सौ मीटर का एक बांध बना रही है जिससे ग्राम वरथा, ननौली, भूपड़ी, ननियारी आदि चालीस गांव हैं जो बरसात के दिनों में बाढ़ से पूरी तरह से डूब जायेंगे उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बांध को न सिर्फ बनने से रोका जाय बल्कि उसे तुड़वाने का काम किया जाय।

प्रदेश की चीनी मिलों की नयी नीतियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा

(क्रमागत)

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

वर्तमान गन्ना पेराई सत्र 2003-04 में अब तक प्रदेश की कुल 83 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई प्रारम्भ की जा चुकी है, जिसमें चीनी मिल संघ की 16, चीनी निगम की 12 तथा निजी क्षेत्र की 52 चीनी मिलें शामिल हैं। मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यगण द्वारा चीनी मिलों द्वारा वर्तमान गन्ना पेराई सत्र 2003-04 में दिये जाने वाले गन्ना मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गन्ना मूल्य निर्धारण किये जाने का वाद पूर्व में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी प्राप्त हुए हैं कि वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में गत वर्ष की भांति गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाये।

अतः मैं इस सम्मानित सदन में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकारी चीनी मिल संघ तथा उत्तर प्रदेश चीनी निगम की चीनी मिलों द्वारा पेराई किये जाने वाले गन्ने का मूल्य गत वर्ष की भांति, शीघ्र पकने वाली जातियों के लिये 100 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य जाति के लिये 95 रुपये प्रति क्विंटल, अस्वीकृत जातियों के लिये 92.50 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जायेगा। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई किये जाने वाले गन्ने का मूल्य भुगतान गत वर्ष की भांति, सांविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, के अनुसार किया जायेगा। मान्यवर, गत पेराई सत्र का अब तक कुल गन्ना मूल्य अवशेष 252 करोड़ रुपये हैं जिसमें चीनी मिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संघ की 118 करोड़ रुपये, चीनी निगम का 64 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का 70 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है। मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उक्त समस्त गन्ना मूल्य भुगतान प्रत्येक दशा में 15 जनवरी, 2004 से पूर्व कर दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि निजी क्षेत्र की जो चीनी मिलें हैं वह भी केन्द्र सरकार की तरह ही गन्ने का भुगतान करेंगी और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सहकारी समितियों का मैनेजमेंट है दोनों में समझौता कराकर बकाये धन का भुगतान किया जायेगा। मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई प्रयास किया है ? मान्यवर, यहां मिल मालिकों पर दबाव बनवायें। सहकारी समितियों से समझौता करके एक समान दर रहे, और यह दर निजी क्षेत्र और सहाकारी क्षेत्र के लिये समान रहे। ऐसा प्रयास किया गया है या नहीं, अगर नहीं किया गया है तो करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं कि चीनी मिल मालिक जो निजी क्षेत्र के हैं वह निगम की मिलों और सहकारी संघ की मिलों के समान देने को तैयार नहीं हैं इसीलिये वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। जहां तक सरकार के बातचीत करने का सवाल है बातचीत होती रहती है। अधिकारी स्तर पर 2 मीटिंग हो चुकी हैं। हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं, लेकिन हम उनकी मानसिकता जानते हैं कि वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का सहारा इसलिये लेते हैं कि वह सरकारी दर पर देने के लिये तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर माननीय नेता विरोधी दल और हुकुम सिंह जी केन्द्र सरकार पर दबाव डालें और केन्द्र सरकार तय कर सके तो स्थिति साफ हो जायेगी। हमने तो ज्यों का त्यों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है।

केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार को अपना निर्णय किसानों के हित में लेने में आसानी होगी। जहां तक निजी क्षेत्र के चीनी मिल मालिकों और अधिकारियों के स्तर पर बात का प्रश्न है वह होती है। जहां तक मेरी बातचीत का प्रश्न है, हम कोशिश करेंगे। जो सरकार भुगतान दे रही है यदि बीच में कोई तालमेल हो जाय तो ठीक रहेगा। जो अभी हम दे रहे हैं उसे वह कम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र को गन्ना जा रहा है उन किसानों को घाटा हो रहा है उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जो चीनी मिलें चीनी निगम और सहकारी संघ की हैं वह साढ़े 92 रुपये से 100 रुपये तक दे रही हैं। पिछले साल 40 रुपये से 73 रुपये तक मिला है यह चिन्ता का विषय है। किसानों को कैसे बचाया जा सके इस सम्बन्ध में हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं।

अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के उपरान्त उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 को प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप एक प्रस्ताव कर दें। आज 4 बजे विनियोग विधेयक पुरःस्थापित होना था। मद सं0-14 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के अनुदानों की जो मांगें हैं उन पर

मतदान के पश्चात् यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाय। चूंकि सदन ने समय निर्धारित किया है इसलिये सदन को ही समय में संशोधन का प्रस्ताव पारित करना है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मद 14 के अन्तर्गत जितनी मतदान की मांगें हैं उनके बाद ही विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मद संख्या-14 (अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान) के उपरान्त उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश की चीनी मिलों की नयी नीतियों के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी ने पिछले पेराई सत्र में गन्ना मूल्य में 5 रुपये अतिरिक्त बढ़ोत्तरी की थी। उत्तर प्रदेश की कुछ चीनी मिलों ने माना कुछ ने नहीं माना। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि चीनी मिलों ने पिछले वर्ष जो भुगतान किया है जब तक दूसरा आदेश न आये पिछले वर्ष की दर से ही भुगतान करें। 17 तारीख को सुनवाई है उस दिन शायद कुछ निर्णय हो जाय। मेरा अनुरोध है कि मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह व्यवस्था हो जाय कि पिछले वर्ष चीनी मिलों ने जो भुगतान किया है वही भुगतान कांटीन्यू रहेगा।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, सभी लोग तो इनको माननीया सदस्य कहते हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य कहूंगा कामन जेंडर में दोनों आ जाते हैं। यह सही है कि प्रधान मंत्री ने पांच रुपया दिया था और यह भी सही है कि इसमें हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। लोक सभा के अन्दर कई दिन तक मैंने यह मांग उठायी। कुछ चीनी मिलों ने पालन किया है कुछ ने पालन नहीं किया। यह सही है कि उनको पालन करना चाहिए पांच रुपया बढ़ाकर लेकिन वह पालन नहीं कर रही हैं हमारे सामने दिक्कत यह आ रही है अगर हम सख्ती करेंगे तो तत्काल संकट पैदा हो जायेगा। इसलिये हमारी कोशिश है कि पालन भी करवा लें और चीनी मिल भी चलें। किसी तरह से गन्ने की पहले पेराई हो जाए जिससे खेत खाली हो जाए फिर दबाव बनाकर भुगतान करा दिया जाएगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, किसी ने कहा है कि उधर क्यों देखते हैं। तो मैं अच्छे चेहरे की तरफ मुंह रखना चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

इसलिये यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं देख रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मैं बाईं ओर नहीं देख रहा हूं। मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उस पर मैं अपनी बात रख दूं उसके बाद सामान्य प्रशासन पर बोलूंगा। पिछली बार गन्ना मिल मालिकों को जितनी सुविधाएं

दी गई हैं इतिहास में कभी नहीं दी गई। चार रुपया प्रवेश शुल्क चीनी पर माफ कर दिया गया शीरे को फ्री कर दिया गया इसको एक्सपोर्ट करने के आदेश दिये गये जिससे मिल मालिकों को बड़ा फायदा पहुंचा। बैगास भी इस बार बिका, शीरे से जो मैली निकलती है जो नदियों में बहा दी जाती है वह भी बिक रही है इतना सब होने के बाद भी कैसे मिल मालिकों को हानि हो रही है। पांच रुपया प्रधान मंत्री जी ने दिये जैसा कि बताया गया एस0 एल0 पी0 बढ़ा दी गई अगर टोटल देखें तो कितना मिल मालिकों को फायदा पहुंचा। उसके मुकाबले किसानों को क्या दे रहे हैं ? आप सक्षम हैं या तो छूट वापस करें या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने दीजिए। जब हाई कोर्ट ने भी यह कर दिया कि अन्तिम निर्णय होने तक उनको वही मूल्य दिया जायेगा जो पिछली बार दिया गया था अर्थात् 95 और 100 रुपये तो फिर इसमें न्यायालय की आड़ कहां से आती है। अन्तिम निर्णय जो हाई कोर्ट करेगी उसको मानने के लिये हम भी तैयार हैं और आप भी लेकिन तो अंतरिम आदेश हुआ उसके हिसाब से किसानों को राहत तो दिला सकें। अगर इस बार आप किसान को यह मूल्य दिला पायें। यह बात सबके सामने है और किसान भी समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगी वही फैसला होगा। इसमें भारत सरकार भी नहीं कर सकती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अन्तिम फैसला नहीं होता है कहा जा रहा है कि जल्दी ही फैसला हो जायेगा इसके बाद भी उन्हें बिना ब्रेक के जो कर्ज लेने की बात कही कि आप ले लीजिये वह भी लेने को तैयार नहीं हैं कि हम नहीं लेंगे यानि हम देंगे ही नहीं। यह एक बार जो मोनोपोली निजीकरण का दुष्प्रभाव सामने दिखाई दे रहा है और उनको लग रहा है कि कोई सरकार, मैं पिछली सरकारों को भी इसके लिये माफ करने को तैयार नहीं हूं, हालांकि उन्होंने इतनी कठोरता नहीं दिखाई। जब हम प्रोफिट में दे रहे थे तो इस वर्ष ऐसा क्या आ गया नीति परिवर्तन करने की। मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बार-बार सरकार दबाव डलवाकर मूल्य बढ़ा देती है। इस बार तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। इतनी सुविधायें दी गई और इतनी सुविधायें मिलने के बाद चीनी का मूल्य कम हुआ था। इस समय बढ़ा है। अगर सारा जोड़ दिया जाय तो जो मूल्य देना चाहते हैं ईमानदारी के साथ हिसाब से जोड़ लिया जाय तो वह 90-92 तक आयेगा। इस हिसाब से कितना फासला रह जायेगा। आप इस बारे में बात करें और प्रभाव का इस्तेमाल करें कि अगर उन्हें प्रदेश में काम करना होगा, लाभ कमाना होगा, सरकार से सुविधायें आगे भी लेनी होंगी तो वह आपकी बात मानेंगे। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह आपकी घोषणा थी, हमारी भी घोषणा थी। आप तो और अधिक देने की बात कर रहे थे। हमने कहा कि जितना पिछली बार मिला उतना इस बार भी मिले। अब रही बात सामान्य प्रशासन की, तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि इधर कुछ वर्षों से एक परम्परा सी बन गई है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जितना गन्ने से सम्बन्धित सवाल पूछे गये हैं उसके सम्बन्ध में जवाब हम दे दें बाकी जवाब संसदीय कार्य मंत्री देंगे। मैं बैठा हूं यदि आवश्यक होगा तो मैं जवाब दूंगा जो बातें कही गयी हैं सब ठीक है और हम उससे सहमत हैं। अगर दबाव नहीं डाला गया होता तो भुगतान बाकी था वह न दिया गया होता। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय से बंधी हुई है लेकिन एक बात को देखा होगा केन्द्र सरकार की घोषणा में कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया है उसका भुगतान करें और उसकी गारन्टी ले सरकार। इसमें से यह हटवा दिया जाय। हम आप मिलकर चलें गन्ना किसानों के हित की बात हो। यह एक शर्त उनकी है उसको हटवा दिया जाय तो किसानों का कल्याण होगा। आपको भी और केन्द्र सरकार को भी देखना होगा कि जो बकाया है

उसके लिये कैसे मान लें कि वह बकाया दे देंगे और प्रदेश सरकार उसकी गारन्टी ले। यह कैसे पासिबिल हो सकता है। यह क्या व्यावहारिक है ? प्राइवेट हैं वह भाग गयीं तो हम उनके पीछे कहां जायेंगे ? यह रुपया कहां से दिया जायेगा ? कहां से सरकार धन देगी ? मैंने आज ही मीटिंग की है, हम जायेंगे केन्द्र सरकार के पास। अच्छा होगा नेता विरोधी दल भी हमारे साथ चलें।

श्री लालजी टण्डन-

भारत सरकार ने यह पेशकश की थी कि वह राज्य सरकार की मदद करेगी।

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था राज्य सरकार को ऋण नहीं दिया जायेगा मिल मालिकों को ऋण दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

भुगतान देंगे यह तो ठीक है लेकिन जो केन्द्र सरकार सहायता दे रही है उसमें यह शर्त है कि गारन्टी राज्य सरकार लेगी यह केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं किया है हरियाणा आदि प्रदेश के लिये भी किया है तो यह जो कठिनाई है इसको हटा दिया जाये।

(व्यवधान)

हम चाहते हैं यह जो शर्त रखी है इसको हटा दिया जाए यह जो कठिनाई है यह गम्भीर है कि गारन्टी हम लें ।

श्री लालजी टण्डन-

आप कर्जा लेते हैं तो गारन्टी पर कर्जा लेते हैं वही आप लेंगे जिनको दिया जा रहा है वह आपके अधिकार में है राज्य सरकार के अधिकार में है केन्द्र सरकार के अधिकार में नहीं है अगर वह समय पर अदा नहीं करेंगे, सात साल के लिये कर्जा दिया जा रहा है, सात साल में अपनी सुविधा के अनुसार अदा करना है अगर अदा नहीं कर रहे हैं तो उसकी आर0 सी0 तो राज्य सरकार जारी करेगी। इसमें बड़ी भारी कठिनाई नहीं है अगर समझेंगे तो ऐसा नहीं है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पांच रुपये की एस0 एम0 डी0 कराई यह प्रस्ताव कराया उनसे कर सकते हैं। प्रदेश के किसानों के हित की बात है इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है अगर कोई कठिनाई राज्य सरकार की है उसको दूर करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ऐसा न कहें भुगतान यह वसूल कर लेंगे। वर्तमान में गन्ने का भुगतान बकाया है कई बैठकें कीं और चीनी मिल मालिकों की जो स्थिति हो रही है कितना रुपया लिये हैं वह तो हम जानते हैं या हमारी बहन जी जानती हैं, मैंने गन्ना मंत्री जी को खुद फोन किया वह बचा ले गईं, पहले से काफी रुपया बकाया है घोटाला बन जाता, प्रदेश के हित के लिये सचेत किया हमारी बात गन्ना मंत्री जी ने मानी, चीनी मिल मालिकों ने कई जगह अदालतों में स्टे ले रखा है हम गारन्टी ले लें फिर कोई स्टे ले जाये आप उनका इतना पक्ष ले रहे हैं तो सीधे कहें गारन्टी वहीं लें वही भुगतान करें यह कौन सी बात है कि भुगतान वह करें और गारन्टी हम लें।

श्री लालजी टण्डन-

गारन्टी भी न लें पैसा भी न लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय हुकुम सिंह जी समझ गये, इससे प्रदेश का भी हित हो जायेगा, किसानों का भी हित हो जायेगा। वह गन्ना किसान हैं, अच्छी तरह जानते हैं।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग।

श्री लालजी टण्डन-

अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से यहां की जो कुर्सी है उसको जिस तरह से चौपट किया गया है, व्यक्तिगत इशारों के ऊपर उनसे धौंस से काम कराया गया है। वह इतना डिमोलाईज हो गये हैं अगर अभी इसको न रोका गया डिमोलाईज होने से तो यह मशीनरी बेकाबू हो जायेगी, बेकार हो जायेगी। चुनाव कराना है तो आज ब्यूरोक्रेसी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है। मैंने तो ऐसे-ऐसे दृश्य देखे हैं, अभी इस पर दस्तखत करो नहीं तो अपना सस्पेंशन लेटर लेकर जाओ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

यह किसने कहा ?

श्री लालजी टण्डन-

मैंने ऐसा समय भी देखा है कि पंचम तल पर बुलाया गया और कहा गया है कि यह कागज रखा है इस पर दस्तखत करो। अगर वह कहता था कि इस पर विचार कर लें तो उससे कहा जाता था कि सस्पेंशन लेटर लेकर जाओ। मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी का कोई चेहरा नहीं होता। समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी, बसपा की सरकार है तो बसपाई और भाजपा की सरकार है तो भाजपायी चेहरा हो जाता है। उनको यह स्वतंत्रता रहे कि वह जिस पद पर हैं, वहां विवेक से कोई निर्णय ले सकते हैं। आज यह निर्णय लेने की प्रथा बन्द हो गयी है। यह निर्णय कहीं और से होता है चाहे वह सहमत हों या असहमत हों। आप सब विभागों के मुखिया हैं, आपको इस गलत परम्परा को कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं न कहीं इस ब्यूरोक्रेसी के मनोबल को ऊंचा उठाना पड़ेगा। एक समय था कि कलेक्टर शहर के अन्दर शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए जो उसका दायित्व था, वह सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय ....

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्य जोर से बोलने लगे-व्यवधान)

टण्डन जी, सत्तापक्ष की चाटुकारिता कर रहे हैं जो इस बात को जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है। यह इनकी मिलीभगत का खुलासा करता है। इसके विरोध में मैं और मेरी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों की टोकाटाकी के बीच बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री लालजी टण्डन-

अगर सत्य कहें, सत्य कहने से कोई नाखुश होता है तो वह कायर है। मैं जिस आसन से बोल रहा हूं, प्रदेश की जनता की तरफ से मैं बोल रहा हूं और जो आपके होंगे तो मैं आपको भी बख्शने वाला नहीं हूं। मैं देख रहा हं कि आप कब हमारी गिरफ्त में आते हैं, लेकिन यह सही है कि दिशा आपकी भी वही जा रही है। जगह-जगह अधिकारी अभी भी बेगुनाहों को फंसा रहे हैं। अभी बिजनौर जनपद में शिवारा में एक विद्यालय में एक कार्यक्रम हो रहा था। एक थानेदार आ गया और उसने कह दिया कि यहां कार्य नहीं होगा। उसके बाद उसने बच्चों, टीचरों को बन्द कर दिया। हमारे संगठन मंत्री ने कहा कि यह सही नहीं है तो उसने कहा कि जाओ नहीं तो तुम्हें भी बन्द कर दूंगा। अगर इसी रास्ते पर प्रशासन की दिशा जा रही है तो मैं समझता हूं कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर ब्यूरोक्रेसी चल रही थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वह हो रही है ? जितनी घटनाएं हो रहीं हैं उनकी आप समीक्षा करें।

मैंने श्री शिवपाल सिंह जी से कहा था कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें एक महिला चुनाव में खड़ी थी उनके मुख्य संयोजक का घर से अपहरण कर लिया गया। क्यों किया, मार डाला गया कि जिन्दा है, अपहरण हुआ है कि मार डाला गया है, लाश मिली कि नहीं मिली पता नहीं। उनके बच्चे रो रहे हैं उनका नाम नन्द लाल है। अगर इस तरह का काम होगा तो गलत होगा। मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश के विकास के लिए स्थायित्व की जरूरत है मगर दिशा सही नहीं होगी तो हमें नहीं रोक पायेंगे जब बहुत जल्दी ही नजारा बदला हुआ दिखायी देगा। इसलिए हमारी कोई रुचि इस सरकार को बदनाम करने में नहीं है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं अगर उनकी तरफ सचेत नहीं होते हैं तो महाभारत युद्ध में जैसे-भीष्म पितामह से लेकर अन्य नीतिवान लोग बैठकर देखते रहे और सब कुछ होता रहा। उसके ऊपर क्या हुआ। श्री दिनकर ने कहा है-"हर युग में एक महाभारत होता है।" वही घटनाएं बार-बार आती हैं अगर हम उससे सबक लेते हैं तो सही रास्ते पर चलते हैं। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो कहीं भटक जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कितनी जगहों पर लूट की घटनाओं में पुलिस शामिल है। जहां पुलिस लूट में शामिल हो उससे बड़ा अपराध क्या होगा ? अगर रक्षक ही लूटने वाला हो जाये तो क्या होगा। उसकी तरफ आपका रुख कड़ा होना चाहिए। जो लोग हैं मैं यह नहीं कहता कि सत्ताधारी दल की ओर काम करें कि न करें। स्वाभाविक है जिसकी सरकार है उसकी ओर प्रभाव होता है। लेकिन अगर किसी के कहने से किसी पर संकट पड़ जाये, उसकी हिम्मत टूट जाये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने कुछ कहा तो हम क्या मुंह दिखायेंगे।

यह शंकाएं खत्म होनी चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किसी के हित में नहीं होते हैं। इससे राज्य के खजाने पर बोझ पड़ता है क्योंकि खर्चा ज्यादा होता। लेकिन जैसे राजनीतिक स्थिरता

चाहिए वैसे ही प्रशासनिक स्थिरता भी चाहिए। लोगों की समझ में यह आये कि हम काम कर रहे हैं। अगर ठीक-ठाक कर रहे हैं तो सरकार का दबाव नहीं पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो इसका परिणाम सुखद नहीं होगा। जो राज्य के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उससे प्रदेश का विकास हो क्योंकि निजीकरण से बहुत कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो भारत सरकार कहेगी वही राज्य सरकार करेगी। इसलिए अब जो विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है वह अपनी जगह पर है लेकिन उसके अन्दर पारदर्शिता होनी चाहिए। उसमें कमी नहीं आनी चाहिए राज्य का हित जरूर देखना चाहिए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो कई बार यह होगा कि हम कह देंगे हमने कर लिया लेकिन उसका परिणाम कभी उल्टा निकल आता है। मान्यवर, इस सदन में चाहे आप छोटे नेता हों, मुख्य मंत्री हों अगर कोई घोषणा करें और वह लागू न हो तो यह शासन के इकबाल की कमी है। कल यह प्रकरण आया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको बताया होगा। आपने बयान दिया आगरा में एक अधिकारी को हटाने का, थानाध्यक्ष, फतेहाबाद, उदय प्रताप सिंह को।

आपने अपने वक्तव्य में लिखा है कि उसको हटा दिया है और माननीय सदस्य ने कहा है कल कि आज तक काम कर रहा है। अगर इसी तरह घोषणाओं का मखौल उड़ेगा तो एक विश्वास खत्म हो जायेगा। आज जनता और नेताओं के बीच में एक अविश्वास की खाई हो रही है। यह तो हो कि जो कहा है वह हो जायेगा। यह विवश नहीं कर सकते लेकिन जो आप कहें इसके लिए विवश कर सकते हैं। यदि आपने कहा है तो करिये। कल इसमें देर तक बहस होती रही। केवल संसदीय कार्य मंत्री जी को इतना कहना था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है उसका पालन हो जायेगा। लेकिन इतनी सी बात कहने में दो बार हाऊस को स्थगित कराना पड़ा। थोड़ा इनका डर निकालें। मेरठ के बारे में कहा गया था। हमारे एक कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया उसे मारा गया। पुलिस वालों ने उसे मारा। उसके बारे में यह कहा गया था कि आज सदन में सूचित कर देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। आज सत्र समाप्त होने जा रहा है। जो मंत्री कहें उसकी कुछ अहमियत है कि नहीं। अभी भी वह आई0सी0यू0 में भर्ती है। उसका नाम शोभित मिश्रा है। अगर कोई ऐसी घटना करे दलीय निष्ठा के कारण उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो तो यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है। जिन्दा रहने का सबको अधिकार है। किसी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वह चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको मारे।

श्री लालजी टण्डन-

ऐसी स्थिति अगर होती है तो आपको अपने प्रशासन के ऊपर नियंत्रण करना होगा, मैं समझता हूं कि काफी विलम्ब हो रहा है आपको अपनी बात रखने के लिए जो मुख्य बाते हैं वह मैंने कह दी हैं, मैंने तो यह कहा है, पहले भी कहा है, "अन्धों की बस्ती में आइना दिखा रहा हूं", यह एक शायर ने कहा है तो मैं शीशा दिखा रहा हूं कोई देखे या न देखे जो देख लेंगे तो आप ठीक हो जायेंगे। कल यहां पर एक और प्रकरण आया था शायद शहर मथुरा में, उसके ऊपर कोई कमेण्ट भी किया था,

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अंधी सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपस में आमने-सामने बात न करें।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने तो एक शायर की बात कही है, शायद आपको इसका अन्दाजा नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता, उसका मुखिया जो है, वह उत्तरदायी होता है। उसके मंत्री या पदाधिकारी जो एक क्षेत्र में जाकर कुछ करते हैं उसका जवाब आप पर होता है मैं चाहता हूं कि आपको बहुत बड़े मंत्रि-मण्डल को कभी न कभी छोटा करना पड़ेगा, शुरुआत करिये, जिनका आचरण ऐसा हो रहा है उनमें से कुछ को अलग करते जायें, तो सफाई होती जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

वैसे आम तौर पर बजट के उत्तर का प्रारम्भ माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था तो परम्परा तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ही उत्तर दें, या ऐसा हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रारम्भ कर दें और बाकी पर उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी आप दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा है वही होगा। मान्यवर, अभी नेता विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाये हैं, अभी आपने कई घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। अभी आपने जो इन्सपेक्टर वाली घटना का जिक्र किया है तो हम पूरी छान-बीन कर लेंगे, वैसे अभी तक जो तथ्य बताये गये हैं उसके अनुसार यह सही है कि इन्सपेक्टर किसी जांच के लिए गए थे, उसके बाद लौट रहे थे और रास्ते में गाड़ी की थोड़ी बहुत टक्कर हो गयी, कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ होगा, गुस्से में आकर के जो अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, उन्होंने गाली दे दी कि सिर्फ इन्सपेक्टर ही तो है यही सोचा होगा कुछ न कुछ और कहा है वह हम बताना नहीं चाहते हैं तो उसने भी इन्सपेक्टर को अपमानित किया और मार-पीट की है। जहां तक इस घटना का सवाल है मुझे जैसे ही इसकी खबर हुयी हमने तत्काल एक घण्टे के अन्दर उसकी जांच कर ली थी, अब जो आपके सामने सच्चाई आयी है, उसकी भी हम जांच कर लेंगे, जो आपने बिजनौर की घटना बताई थी तो मुझे आपके नेता ने भी उसकी जानकारी दी थी, तो स्वयं उस प्रकरण में आई0जी0 गए थे, उसी वक्त दो-तीन घण्टे के अन्दर सारी रिपोर्ट मौखिक रूप से आई थी, उसके बाद हम कल सामाजिक कार्यक्रम में दिल्ली चले गये थे, अब मैं जाकर यह तथ्य दिखवा लूंगा जो सच्चाई है वह सामने आ जायेगी।

नेता प्रतिपक्ष जो आपने अभी अपहरण की घटना बताई, उसको मैं दिखवा लूंगा, लाबी में बैठे अधिकारी से भी कहूंगा कि जो तथ्य यहां आते हैं वह नोट किये जायें और उसका पालन किया जाय तो दूसरी बात यह है कि आपका कहना है कि जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, लखनऊ के बारे में बताया गया कि चार पुलिस कर्मियों ने लूट की घटना की है उन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। मान्यवर, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हो अगर वही लोग व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मान्यवर, अब अधिकारीगण ऐसे ही किसी निर्णय पर हस्ताक्षर करा लें यह सम्भव नहीं है। हमने कहा है कि अधिकारियों को खुले तौर पर अपनी राय रखनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे

अधिकारी हमारे सामने अपनी राय रखते हैं और जो-जो उचित राय होती है उसे हम मान लेते हैं और अगर उचित नहीं है तो उसे नहीं भी मानते हैं। लेकिन छूट है राय रखने के लिए। आप के ही एक साथी ने मुझसे कहा था कि आपने कुछ ज्यादा लोकतंत्र चला दिया है इससे आपके सामने समस्याएं आयेंगी। मान्यवर, हम लोकतांत्रिक हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो जो हमारे आपके बीच लोकतांत्रिक परम्पराएं हैं वहां हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे। अधिकारियों से काम करायेंगे। एक कदम होगा, वह अधिकारीगण अपने आप सुधरेंगे, और दूसरा यह है कि नहीं सुधरेंगे तो कड़ुवा कदम भी उठाने में यह सरकार नहीं हिचकेगी।

मान्यवर, अभी यह बात आयी कि कुछ अधिकारियों को ज्यादा छूट हो गयी है। अभी माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने भी कहा कि कुछ ढिलाई आ रही है। वह ढिलाई जरूर आयी है लेकिन पहले जैसा एक आतंक अधिकारियों पर नहीं है। वह आतंक था और उस आतंक के बाद लूट भी होती थी। पहले मुअत्तल कर दिया नहीं पैसा देने पर और फिर पैसा लिया और बहाल किया और फिर नियुक्ति की भी नीलामी हो गयी और ज्यादा दे दिया तो ठीक-ठाक मिल गयी। इसको हम नहीं करने देंगे। आपने हमारे कुछ मंत्रियों पर उंगलियां उठाई हैं, अगर हमें अपने मंत्रियों और अधिकारियों के बारे में पता चलेगा कि पैसा दिया जा रहा है तो वह अधिकारी नहीं बचेंगे और अगर मंत्री के बारे में पता चलेगा तो मंत्री भी नहीं बच पायेंगे। अब यह तो नहीं होगा कि हम अपने 40 मंत्रियों को हटाकर आपको दे दें। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं नेता विरोधी दल को और पूरे विपक्ष को भी कि पारदर्शिता भी होगी। मैं तो निष्पक्ष कहता हूं, अब आप पता नहीं कहां से पारदर्शिता शब्द कहते हैं। लेकिन प्रमोद तिवारी जी, हमारी पारदर्शिता के बारे में भी जानते हैं। तो पारदर्शिता का पूरा पालन किया जायेगा। आपके, शब्दों और भावनाओं के अनुरूप सामान्य प्रशासन से लेकर जहां भी आपको लगता है, हम कार्य करेंगे और जो आपने बताया है कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ज्यादती हुई है तो हमें आप और आप सब मिल कर बता देंगे किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ ज्यादती हुई है तो ज्यादती करने वालों को सजा देंगे और उनको न्याय भी देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने दृढ़तापूर्वक अपनी बात कही। चाहे संविधान का पालन करने की बात हो या अधिकारियों, मंत्रियों की बात हो। मैं विशेष रूप से आपको बधाई दूंगा जो आपने कुछ घोषणाएं की हैं, हैण्डपम्पों के बारे में, विधायक निधि में बढ़ोत्तरी के बारे में, बिजली की व्यवस्था के बारे में, मान्यवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रियों के ऊपर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त लागू होता है कि नहीं। मान्यवर, माननीय टण्डन जी, कह रहे थे कि हमारे सामने पंचम तल पर बैठकर अधिकारियों से कहा जाता था कि गलत काम करो वरना सस्पेंड हो जाओगे तो उस समय टण्डन जी ने सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आप कहते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप टण्डन जी से पूछ रहे हैं या माननीय मुख्य मंत्री जी से ?

श्री प्रमोद कुमार-

तो मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो टण्डन जी ने किया कि अपने सामने उत्तर प्रदेश को लुट जाने दिया सिर्फ एक राखी के एवज में पूरा उत्तर प्रदेश बेच दिया आपके जमाने में ऐसा नहीं करेंगे क्या आश्वासन दे पायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रमोद तिवारी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है और जहां तक माननीय नेता विरोधी दल का सवाल है सामूहिक जिम्मेदारी क्यों नहीं निभायी है, वह खुद स्पष्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी, कह देंगे कि मैंने उस जिम्मेदारी की जानकारी देने के लिए कुछ लोगों को उस तरफ भेज दिया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस सदन में बजट रखा गया है और इस पर पक्ष और विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने अपनी राय रखी है। सदन के सभी साथी और प्रदेश में रहने वाले 17 करोड़ लोग इस सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह से देख रहे है, पढ़ रहे हैं। नेता विरोधी दल जिसका बड़ा सम्मानजनक पद हैं, इस सदन में और प्रदेश की जनता में भी मान्यता है। लोकतंत्र में इस देश के लोकतंत्र को जो मानने वाले हैं वह इन दो पदों की महत्ता से वाकिफ हैं। मेरा सौभाग्य रहा है मैं नेता विरोधी दल भी रहा और नेता विरोधी दल की हैसियत से 15 माह में खट्टे और कड़ुवे तजुर्बे हुए और उसके बाद आज हम सत्ता में हैं। मैंने खट्टा और कड़ुवा तजुर्बा कहा और मीठे का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह तजुर्बा हो ही नहीं सका। लेकिन जैसे ही यह सत्ता परिवर्तन हुआ माननीय नेता सदन के रूप में मुलायम सिंह यादव जी सदन के नेता हुए और प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए तो वह सारी टूटी हुई मान्यतायें बहाल हुई जिनके लिए यह सदन वर्षों से तरस रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 माह में ही, बल्कि लोकतंत्र आहिस्ता-आहिस्ता कमजोर हुआ।

मान्यवर, आप विधि विशेषज्ञ हैं, इतिहास पर भी आपकी नजर है। लोकतंत्र को मजबूत होने के लिए एक लम्बा अर्सा चाहिए लेकिन लोकतंत्र को तोड़ने के लिए सिर्फ एक झटके की जरूरत होती है। कोई तानाशाह ज्यादा लम्बे अर्से में मेहनत करके नहीं होता बल्कि एक ही झटके से होता है और वह तानाशाह हो जाता है और उस तानाशाह की तानाशाही को हटाने के लिए जनता को कुर्बानी देनी पड़ती है, और एक लम्बा अर्सा जाता है : जहां-जहां इन्कलाब आया खून के बदले में आया, इंसानों की लाश के बदले में आया तो यह इन्क्लाब पूरा हुआ, एक लम्बा इतिहास रचा गया इसलिए मान्यवर, दुःख है और उस इतिहास को दुःख की शक्ल में इजहार करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार संवेदनशील सरकार है और उन्होंने अपने भाषण में उन तमाम लोगों की तकलीफों का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखा है जिनका ख्याल बहुत पहले रखा जाना चाहिए था। बहुत छोटी सी बात थी। अस्पताल का पर्चा एक रुपया हो गया आज सरकार के सामने यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि धन कहां से आयेगा। नेता सदन ने कई बार कहा है कि संसाधन की कमी की बात कहकर हम अपनी

जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वह व्यक्ति प्रदेश का जो खेत की मेढ़ी पर बैठा हुआ है और सपना देख रहा है शहर जाने का, हमारा गरीब मजदूर जिसकी जवान बेटी है उसे ब्याहनी है और पैसा नहीं है। खेत में काम करने वाला किसान अपनी फसल लिये खड़ा है और दाम नहीं हैं। ट्यूबवेल लगा है और बिजली नहीं है। शहर जाना चाहता है, लेकिन सड़क नहीं है। यह जरूरतें कौन पूरी करेगा ? जिसने अपने बड़ों से 1947 में सुना और देखा था वह यह था कि आजाद भारत होगा और वह खुशहाल होगा। न कोई छोटा-बड़ा होगा, न अमीर-गरीब होगा। उस सबकी यह पहल का बजट है। मैं यह नहीं कहता कि नेता सदन ने यह घोषणा की है कि मैं यह सब कर दूंगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने का यह पहला कदम है। हम इसे पहला कदम ही मानते हैं। बुलन्दबान वह थे, जिन्होंने अपना जन्मदिन सरकारी खजाने से मनाया था और हीरे जवाहरात के लिबास पहने थे। आज वह इतिहास से गायब हैं, टेलीविजन से गायब हैं। जिन्दा वही लोग रहते हैं, जिनके दिलों के अन्दर जिन्दा अहसास होता है।

इस सरकार ने और नेता सदन ने जिन्दा अहसास का बजट पेश किया है। अस्पतालों में एक रुपये का पर्चा इस सरकार की पूरी मानसिकता को दर्शाता है, इस सरकार की सोच को दर्शाता है। यह एक रुपये का पर्चा इस प्रदेश में करोड़ों लोग जो अस्पताल की दहलीज तक नहीं जा सके थे, अब उनकी गिनती 5 गुना बढ़ गयी है, इससे जाहिर होता है कि समाज बीमार था लेकिन अस्पताल जाने की व्यवस्था और अधिकार नहीं था। इसलिये यह बजट गरीबों के लिये है, विकास के लिये है और यह बजट हर शख्स की दहलीज तक पहुंचने का बजट है। इस बजट पर जिन साथियों ने अपने ख्यालात रखे हैं, उनमें विपक्ष के साथियों, नेता विरोधी दल ने भी विचार रखे हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने विरोध तो यकीनन किया है, इसलिये विरोध किया है। इसमें बहुत सी कमियां होंगी। यह सरकार कोई आसमान की सरकार नहीं है। इन्सान हैं तो कमियां अवश्य होंगी, जरूर इस बजट में कमियां होंगी, लेकिन जिस तरह से बजट की कमियों की तरफ इंगित किया गया है, उस तरफ बैठे चंद लोगों के द्वारा, जिनके बात कहने में भी कड़ुवाहट है, घृणा है, जिनके बात कहने में कुछ ऐसा अन्दाज है, जो दिल को दुखाने वाला है। ऐसे लोग अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं और समाज के शरीर को भी नोचने का काम करते हैं। मैं उन सभी साथियों को, जिन्होंने इस बजट पर अपनी राय रखी है, पक्ष और विपक्ष के उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो घोषणायें इस बजट के माध्यम से की गयी हैं, वह पूरी होने वाली घोषणायें हैं। गन्ने का भुगतान हुआ। पिछली सरकार में 15 महीने बार-बार यह मांग आती थी कि विधायकों के अधिकार बढ़ने चाहिये। अधिकार का यह मतलब नहीं होता कि खजाने का कोई पैसा किसी की जेब में आ जायेगा। विधायक की दौलत क्या है ? हमारा वह समाज जिसमें हम रहकर काम करते हैं। मान्यवर, मन को संतोष होता है, जब कोई आदमी दुआ देकर जाता है, जब किसी का खत आता है कि आपने जो सिफारिश की थी, वह काम हो गया। उसे खुशी होती है, जब वह अपनी बनवाई हुयी सड़क पर गुजरता है और 5 साल बाद लोगों से यह कहता है कि 5 वर्ष के बाद भी इसकी एक ईंट भी बाहर नहीं निकली है। उसी की झलक इस बजट में नजर आती है। सरकार का राजधर्म क्या है, राजधर्म वह नहीं है जो सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़े। बल्कि जिसे सरकार स्वयं स्वीकार करे, खुद सरकार माने और लागू करे।

नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि सरकार अपने फैसलों पर दृढ़ विश्वास रखे। प्रमोद तिवारी जी ने भी यह कहा, अगर कोई अधिकारी या मंत्री भ्रष्ट हो तो उसे सरकार से निकाल दिया जाय, उस भिखारी को पद से हटा दिया जाय। मान्यवर, यह बात सिर्फ कही ही नहीं गयी बल्कि बगैर नाम लिए कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के किसी मंत्री ने हदों से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे निकाल दिया गया वह मंत्री नहीं रहा। यह सरकार अपने फैसलों पर जमने वाली सरकार है। इसलिए जो भी घोषणाएं हुई हैं, विधायकों को अपने ग्रामों में बिजली लगवाने का अधिकार, हैण्डपम्प लगवाने का अधिकार, एक शिकवा जरूर किया था, मैं सबको गवाह बनाना चाहता हूं, जब माननीय नेता सदन गन्ना की नीति, बिजली की नीति और प्रदेश में उद्योग लगाने की नीति की घोषणा कर रहे थे उस वक्त शहरी योजनाओं के सम्बन्ध में, विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में भी आपने घोषणा की थी। तब मैंने कहा था कि विभाग का नाम तो बहुत अच्छा है, माननीय लालजी टण्डन को यहां बैठे देखता था तो सोचता था कि उनके चेहरे पर यह सुर्खी ऐसे ही नहीं है उनके चेहरे पर विभाग की भी सुर्खी होगी लेकिन आज जब मैं यहां हूं तो देखता हूं कि जितना सोचता था उतना नहीं मिला तो मैंने कहा कि इस विभाग का नाम शहरी विकास विभाग होना चाहिए क्योंकि इसमें रोकड़ नहीं है तो इस विभाग का नाम बदल दीजिए इन चन्द महीनों में कुछ फर्क जरूर महसूस हुआ होगा। यह कभी नहीं कहा गया कि यह सरकार छप्पर को बदल करके इमारत बना देगी, तकदीर बदल देगी। उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, इलाज करे, वह लोगों के मकान खड़े करे, पैदा होने वाले बच्चे को बेखौफ जिन्दा रहने का अधिकार दे, शिक्षा का इन्तजाम करे, जब शिक्षित हो जायं तो रोजगार दे।

कोई सरकार चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो केवल नौकरियां देकर किसी को जिन्दा नहीं रख सकते हैं, सरकार ऐसे प्रोग्राम लाये जिससे रोजगार मिलें, लोगों की जरूरतें पूरी हों। ऐसी योजनाएं भी सरकार ने पूरी की हैं चूंकि बजट छोटी मुद्दत के लिए है हम जब-जब भी विपक्ष में रहे हैं, खुद मांग की है कि 90 दिन का सदन चलना चाहिए। पिछले दिनों चुनावों के मद्देनजर यह चाहा गया था कि सदन को छोटा कर लिया जाय। कुछ मंजर ऐसे होते हैं जो कि भूले नहीं जाते, एक दिन वह भी मुझे याद है जब हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा था और हमें यह सुनने को मिला कि हो गया, हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज के दिन इस सरकार और नेता सदन की तरफ से मैं पूरे सदन को, प्रदेश की 17 करोड़ जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार उनकी है, उनके द्वारा है और उनके लिए है। नीतिगत घोषणाएं पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुई हैं, यह ऐतिहासिक मौका था जब इस तरह की घोषणाएं किसी मुख्य मंत्री ने की हों। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह घोषणाएं जनता की जबानी और जनता के लिए हैं। मैं घोषणाओं का स्वागत करते हुए जो कुछ कहा गया है उस पर अपने जज़बात का इज़हार करते हुए कहना चाहता हूं कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, कह कर कभी न टलना सीखा उसका नाम मुलायम है।

मैं आज ही किसी से कह रहा था कि नेता जी के दिल को समझने की जरूरत है। नेता जी को याद हो या न हो। एक साथी से नाराज हुये और उसकी टिकट काट दी। उसने जाकर हमारे वरिष्ठ साथी से कहा कि हमारा टिकट कट गया है। हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर कुछ कहूं बावजूद हम उनके गुरू हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें टिकट दे दें। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं और तुम उनसे जाकर यही कहना। चुनांचे वह साहब गये और नेताजी से मिले, नेता जी ने कहा कि चल भाग, कट गया तेरा टिकट। उसने कहा कि टिकट-विकट क्या चीज

है, आप मेरा गला भी काट दें तो भी साथ नहीं छोड़ूंगा। जब नेता जी ने यह सुना तो कहा कि बुलाओ उसे। उसे बुलाया और कहा कि जाओ तैयारी करो। जिस शख्स का मन और दिल ऐसा हो उसे एक दर्दमंद इंसान कहते हैं। बड़ी भीड़ है दुनिया में, बहुत से लोग रहते हैं। दुनिया पर बड़ा बोझ है। इंसानों का बोझ नहीं है। यह बोझ है हाथ-पैर वालों, सिर वालों का है। यह दुनिया इंसानों की दुनिया हो जाय तो इंसानों की समस्या खत्म हो जाय। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए सभी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आप जो कटौती का प्रस्ताव लाये थे उसे वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने जो एक दर्जन कटौती के प्रस्ताव रखे थे अगर एक भी बात मान ली होती कि किसानों को रु0 95 से 100 रुपये का रेट दिलवा देंगे तो जरूर वापस ले लेता। सदन के आग्रह करने के बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने अपने आपको मजबूर सिद्ध कर दिया और यह कह दिया कि यह कहने की स्थिति में नहीं हैं। प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा, मा0 प्रधान मंत्री जी द्वारा रु0 95 से 100 के हिसाब से पैसा देने के बावजूद लेने में भी मजबूरी जाहिर कर दी तो ऐसी सरकार एक रुपये के काबिल भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,13,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,18,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,22,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,93,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्य-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,75,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,90,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,54,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,64,94,67,000 रुपंये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,44,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह• विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,68,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,97,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,52,45,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,05,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,25,41,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दी जायं।

(प्रतियां बांटे जाने के उपरान्त)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

(किसी सदस्य द्वारा न बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2004 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2003-2004 के लिए 75952,04,01,000 रुपये का निकाला जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 2003) तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 2003 (जैसा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6 सन् 2003) प्रत्येक की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 75952,04,01,000 रुपये (रुपये पचहत्तर हजार नौ सौ बावन करोड़ चार लाख एक हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	310707	310	311017
		पूंजी :	--	--	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	1034439	450000	1484439
		पूंजी :	250000	450000	700000
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	453556	400	453956
		पूंजी :	--	--	0
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	181270	50	181320
		पूंजी :	--	--	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	298038	--	298038
		पूंजी :	--	--	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	429714	40	429754
		पूंजी :	466800	--	466800
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	10002	--	10002
		पूंजी :	890003	--	890003
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	553501	--	553501
		पूंजी :	7500	--	7500
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	15043011	2500	15045511
		पूंजी :	66624450		66624450
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	650834	3964	654798
		पूंजी :	24570	3500	28070
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	8090996	24510	8115506
		पूंजी :	2379152	--	2379152
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	688305	--	688305
		पूंजी :	--	--	0

1	2			3		
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	:	10856988	1298	10858286
		पूंजी	:	14789240	--	14789240
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	:	8908495	21	8908516
		पूंजी	:	13295	--	13295
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	:	2063404	250	2063654
		पूंजी	:	60862	--	60862
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	:	177017	20	177037
		पूंजी	:	20000	--	20000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	:	270841	--	270841
		पूंजी	:	--	--	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	:	473143	105166	578309
		पूंजी	:	429874	151000	580874
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	18110	--	18110
		पूंजी	:	--	--	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	:	8599	126820	135419
		पूंजी		--	--	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	:	1238920	2000085	3239005
		पूंजी	:	33686046	9000050	42686096
22	खेल विभाग	राजस्व	:	172793	--	172793
		पूंजी	:	103936	--	103936
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	:	530038	1900	531938
		पूंजी	:	123748	2043	125791
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	:	1207667	18206	1225873
		पूंजी	:	5000000	50418	5050418
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	:	1140993	800	1141793
		पूंजी	:	929153	--	929153
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	:	23067759	5659	230673418
		पूंजी	:	1365002	2733	1367735
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	:	1095169	--	1095169
		पूंजी	:	398	--	398

1	2			3		
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	606524	--	606524
		पूंजी	:	--	--	0
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	:	--	31015	31015
		पूंजी	:	--	--	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	12469	--	12469
		पूंजी	:	--	--	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	:	2103463	25	2103488
		पूंजी	:	19085	--	19085
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	:	8934494	500	8934994
		पूंजी	:	736121	--	736121
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	:	1320127	--	1320127
		पूंजी	:	7000	--	7000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	:	585296	25	585321
		पूंजी	:	50000	--	50000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	:	5649384	78	5649462
		पूंजी	:	33500	--	33500
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	:	1827315	700	1828015
		पूंजी	:	--		0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	:	2332480	--	2332480
		पूंजी	:	1196601	--	1196601
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	:	71455	--	71455
		पूंजी	:	315372	--	315372
39	भाषा विभाग	राजस्व	:	36198	--	36198
		पूंजी	:	--	--	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व	:	416014	--	416014
		पूंजी	:	2883600	--	2883600
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	:	254863	--	254863
		पूंजी	:	--	--	0
42	न्याय विभाग	राजस्व	:	3063054	518111	3581165
		पूंजी	:	367578	--	367578

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
43	परिवहन विभाग	राजस्व	:	341636	--	341636
		पूंजी	:	34648	--	34648
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	:	78660	--	78660
		पूंजी	:	218139	--	218139
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	:	1225222	--	1225222
		पूंजी	:	1300000	--	1300000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	:	11070	--	11070
		पूंजी	:	--	--	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	:	1395181	102	1395283
		पूंजी	:	53679	--	53679
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	:	1733965	205	1734170
		पूंजी	:	62501	--	62501
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	:	4110374	--	4110374
		पूंजी	:	5525	--	5525
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			1895287	350	1895637
				294500	---	294500
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	:	1694200	1693301	3387501
		पूंजी	:	1	1	2
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	5862124	13599	5875723
		पूंजी	:	3112	1052	4164
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	:	1563	--	1563
		पूंजी	:	100	--	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	:	5085127	400	5085527
		पूंजी	:	--	--	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	:	422385	14295	436680
		पूंजी	:	229309	9721	239030
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व	:	40000	--	40000
		पूंजी	:	2250923	--	2250923
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व	:	7284093	500	7284593
		पूंजी	:	10574033	55000	10629033

1	2			3		
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	:	218198	--	218198
		पूंजी	:	14400	--	14400
60	वन विभाग	राजस्व	:	1173776	370	1174146
		पूंजी	:	434275	--	434275
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	:	18772462	122668594	141441056
		पूंजी	:	580001	165447843	166027844
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	:	27168197	34937	27203134
		पूंजी	:	1000000	--	1000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	:	594153	650	594803
		पूंजी	:	--	--	0
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	:	7582	--	7582
		पूंजी	:	--	--	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	:	599072	--	599072
		पूंजी	:	--	--	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	:	8776	1122446	1131222
		पूंजी	:	--	--	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	:	98661	2968	101629
		पूंजी	:	22684	--	22684
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	:	250445	5297	255742
		पूंजी	:	14417	--	14417
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	:	--	--	0
		पूंजी	:	10000	--	10000
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	:	282681	--	282681
		पूंजी	:	2500	--	2500
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	:	41107318	--	41107318
		पूंजी	:	18809	--	18809
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	:	20906265	270	20906535
		पूंजी	:	173037	--	173037
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	:	5235188	25	5235213
		पूंजी	:	65000	--	65000

1	2			3		
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व पूंजी :	: 	395265 88931	-- --	395265 88931
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व पूंजी :	:	758289 --	-- --	758289 0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व पूंजी :	:	836743 36717	-- --	836743 36717
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व पूंजी :	:	1474325 --	-- --	1474325 0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व पूंजी :	:	926457 73397	-- --	926457 73397
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व पूंजी :	:	5983453 --	-- --	5983453 0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व पूंजी :	:	83872 37256	10 --	83882 37256
82	सतर्कता विभाग	राजस्व पूंजी :	:	112328 --	7812	120140 0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व पूंजी :	:	9598661 4826217	-- --	9598661 4826217
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व पूंजी :	:	4022 --	-- --	4022 0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व पूंजी :	:	13631 --	-- --	13631 0
86	सूचना विभाग	राजस्व पूंजी :	:	503411 --		503411 0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी :	:	163788 8189	5 --	163793 8189

1	2			3		
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	:	16035	--	16035
	(निदेशालय)	पूंजी	:	--	--	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	:	1958255	1002	1959257
	(व्यापार कर)	पूंजी	:	73878	--	73878
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	:	117345	--	117345
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	:	--	--	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प	राजस्व	:	420016	12	420028
	एवं पंजीकरण)	पूंजी	:	--	--	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	:	129065	5	129070
		पूंजी	:	20208	--	20208
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	:	5942365	2001	5944366
		पूंजी	:	770566	--	770566
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	:	2431391	3819278	6250669
		पूंजी	:	9896492	40000	9936492
	योग	राजस्व	:	285659823	132680887	418340710
		पूंजी	:	165966330	175213361	341179691
	कुल योग			451626153	307894248	759520401

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक,, खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद सं0-20 के लिये)

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

मेरठ की घटना के सम्बन्ध में सदन को जानकारी दिये जाने का निर्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जरा रुक जाएं। मेरठ की घटना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे कि कल उस पर जानकारी दी जायेगी आज जानकारी दे दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मेरठ की घटना के बारे मे नेता सदन ने यह घोषणा की है, आपने खुद मानीटरिंग की है। आई0 जी0 मौके पर गये थे और उन्होंने मौके पर अवगत कराया था। नेता सदन ने घोषणा की है अभी इसकी जानकारी लेकर कार्यवाही करेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10-12-2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :--

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	की	जनपद मेरठ के बीमार मेडिकल कालेज अस्पताल की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
डा0 विनोद तिवारी	की	जनपद पीलीभीत के गन्ना किसानों को पलिया चीनी मिल के स्थान पर बजाज चीनी मिल गोला को गन्ना आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :--

श्री छोटेलाल वर्मा तथा डा0 राम बाबू हरित	की	जनपद आगरा में सरकारी जमीनों, सार्वजनिक पार्कों एवं मुस्लिम वक्फ की सम्पत्तियों पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राकेश सचान .	की	जनपद कानपुर नगर की चौकी साढ़ को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में।
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं (सिविल जज) में से अंग्रेजी प्रश्न पत्र न हटाने के सम्बन्ध में।
श्री अनिल पासवान	की	स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के रिक्त पदों को न भरे जाने के सम्बन्ध में।
श्री बाबूलाल कुशवाहा	की	बांदा नगर में जहीर क्लब, रोडवेज बस स्टैण्ड तथा बाबूलाल चौराहा के पास पटरी दुकानदारों के साथ किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में।

श्री कालीचरण राजभर	की	जनपद गाजीपुर के जहूराबाद सिधगर घाट से होते हुए तिराहीपुर के घाट तक की क्षतिग्रस्त सड़क को बनाये जाने के सम्बन्ध में।
डा0 कौशल किशोर	की	जनपद लखीमपुर में लखीमपुर अमृतागंज जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क को बनाये जाने के सम्बन्ध में।
श्री सुन्दर सिंह	की	पी0 जी0 आई, लखनऊ में नवसृजित हीमेट्रोलाजी विभाग में रिक्त डाक्टरों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
श्री लल्लू सिंह	की	अयोध्या, फैजाबाद में विद्युत आपूर्ति चौबीस घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"	की	जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी क्षेत्र में स्वीकृत 6 मार्गों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री अमरजीत सिंह जनसेवक	की	जनपद फतेहपुर में पहुर से खजुहा मार्ग के लम्बित निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री मुन्शी लाल गौतम	की	जनपद बुलन्दशहर के ग्राम पौडरी के वीरगति को प्राप्त स्व0 किरनपाल राठी के परिवार को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में।
श्री घनश्याम शुक्ला	की	जनपद गोण्डा के श्री रामचन्द्र पाण्डेय की अपहृत 16 वर्षीय लड़की की बरामदगी के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री सुरेश कुमार खन्ना	की	शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री बैजनाथ दुबे	की	जनपद गोण्डा में बन्द पड़ी चीनी मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में।
श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया	की	जनपद गाजियाबाद के जिला कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
श्री राजेश कुमार	की	जनपद खीरी के बिजूआ में एस0 आर0 वाई0 से कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री छोटेलाल वर्मा तथा डा0 राम बाबू हरित	की	ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज सिस्टम का कार्य पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री आर0 एस0 कुशवाहा	की	जनपद लखीमपुर में घाघरा नदी के कटान से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।
डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	की	प्रदेश में लगाये गये हैण्ड पम्पों को मानक के अनुसार न लगाये जाने की जांच के सम्बन्ध में।

श्रीमती विद्या चौधरी	की	जनपद आजमगढ़ में 3 सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री विश्राम सिंह यादव	की	जनपद हरदोई में गर्रा नदी, नीलम नदी एवं कुण्डा नाले पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री जगन प्रसाद गर्ग	की	जनपद आगरा के ताज हेरीटेज कारीडोर के निर्माण हेतु डाली गयी रेत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री अब्दुल कलाम तथा श्री मो0 इरशाद खां	की	जनपद बाराबंकी के ग्रामसभा जियनपुर में अराजक तत्वों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री रमेश कान्त लवानिया	की	जनपद आगरा के जगनेर कस्बा में फायर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राम नरेश यादव	की	जनपद कुशीनगर की रामकोला शुगर मिल के मजदूरों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में तथा
श्री प्रागी लाल अहिरवार	की	चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम हैं :--श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री आर0 एस0 कुशवाहा तथा डा0 विनोद तिवारी।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

। माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना प्रस्तुत करते हुए निम्नवत् उल्लेख किया गया है कि :-

"उत्तर प्रदेश में संविधान का 73वां, 74वां संविधान संशोधन विधेयक लागू होने के बाद से प्रदेश के नगर निगमों सहित सभी स्थानीय निकाय पूर्णतः स्वायत्त शासी हो गये हैं। लेकिन शासन ने इन स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक को अभी तक नहीं हटाया है। यदि कोई स्थानीय निकाय या नगर निगम अपने संसाधनों से वेतन भत्ते का व्यय भार उठा सकता है तथा कोई अतिरिक्त भार शासन पर नहीं आयेगा तो शासन के इस प्रतिबन्ध के साथ भर्ती पर लगी रोक को हटाना चाहिए।

प्रत्येक स्थानीय निकाय में नगरीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आबादी का दबाव बढ़ रहा है तथा सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर शासन ने रोक लगा रखी है, यदि शासन पर अतिरिक्त व्यय भार नहीं संविधान के आधार पर स्वायत्तशासी स्थानीय निकाय हो तो रोक हटनी ही चाहिए। परिणाम सफाई

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यवस्था चरामरा गयी, जनरोष बढ़ रहा है, जनस्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। नगर प्रमुख, चेयरमैन शासन के प्रतिबन्ध को आधार बनाकर शासन पर इनका दोष मढ़ रहा है। अतएव सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक हटनी ही चाहिए। शासन को विचार करना चाहिए, यह निर्णय भी शासन के राजनैतिक नेतृत्व को करना चाहिये। ब्यूरोक्रेसी कभी इसे करने नहीं देगी। भर्ती के लिये भी यह स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। सार्वजनिक विज्ञापन करके प्रार्थना-पत्र मांग करके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति बनाकर जिन परिवारों का एक भी व्यक्ति अभी तक नगर निगम में नहीं है को प्राथमिकता देने पर विचार करके पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया की जा सकती है।

मेरठ नगर निगम से यह प्रतिबन्ध तत्काल हटाया जाना चाहिए क्योंकि यहां मानक के अनुसार तीन हजार सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। दैनिक वेतन, मेनडेज के नाम पर लाखों रुपया प्रति वर्ष का दुरुपयोग हो रहा है। मेरठ नगर निगम में एक वर्ष में जितना मेनडेज का भुगतान हो रहा है, उतने में लगभग छः सौ सफाई कर्मचारी स्थायी हो सकते हैं। भ्रष्टाचार से भी बचा जा सकता है।"

इस सम्बन्ध में यह सूचनीय है कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार प्रदेश के सभी स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी हो गये हैं लेकिन निकायों की वर्तमान में आर्थिक स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं है जिसके कारण वे वेतन आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने पर भी सक्षम नहीं हो पा रही है तथा राज्य वित्त आयोग/ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा जो धनराशि स्थानीय निकायों को उनकी क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में संक्रमित की जा रही है उसमें से प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों के वेतन पर कार्य करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं। यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि उसमें से अधिकतम धनराशि अधिष्ठान मद हेतु पर्याप्त नहीं हो पा रही है। स्थानीय निकाय अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करने में सक्षम नहीं है। यदि निकायों में उनकी स्वायत्तता के आधार पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटा कर भर्ती करने के आदेश दे भी दिये जायं तो उनके वेतन आदि पर आने वाले व्यय भार का वहन सम्बन्धित निकाय नहीं कर पायेगी और अन्ततोगत्वा निकाय की आर्थिक स्थिति खराब होने पर या संसाधनों के उपलब्ध न होने पर उसका व्यय भार शासन पर ही पड़ेगा और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय एक-रूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों की आर्थिक दशा को दृष्टिगत रख कर ही लिया जा सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों में सफाई का कार्य नई नियुक्ति न कर संविदा पर कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1783/9-1-2002-66 सा/2001, दिनांक 22-6-2002 जारी किया गया है।

उक्त वर्णित परिस्थिति में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों की भर्ती की अनुमति शासन द्वारा वर्तमान में दिया जाना सम्भव नहीं है और नगरीय निकायों का सफाई का कार्य उक्त संदर्भित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही कराया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित एवं जनहित में है।]

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, नगरों की सफाई ठीक से हो सके यह सरकार का दायित्व बनता है। इलाहाबाद महानगर निगम में बहुत कम सफाई कर्मी हैं उनको वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। मैं

आग्रह करना चाहता हूं कि उनका वेतन दिया जाये और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बहुत गम्भीर समस्या है, बहरहाल यह कोशिश रहेगी कि कहीं भी एक दिन का वेतन बकाया न रहे। सरकार की मंशा है कि सभी सफाई कर्मचारियों को वेतन मिले। सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे संसाधन नहीं हैं। थोड़ी व्यवस्था बदलकर एक नई नीति लागू करने पर विचार चल रहा है। तीन महीना लगेगा। उस नीति से फायदा होगा तो नई व्यवस्था लागू करेंगे अन्यथा पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे। मंशा सफाई करने की है कुछ आपने सफाई कर दी बाकी हम कर देंगे।

जनपद चन्दौली के खुरहट में प्रदूषित पानी से हुई मौत तथा परिवार को सहायता देने एवं स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री (श्री राजवीर सिंह)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री राम किशन.....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ब्लाक बरहनी मौजा खुरहट जनपद चन्दौली में दिनांक 01-12-2003 को प्रदूषित पानी पीने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहनी में मौजूद डाक्टर की लापरवाही के कारण 04 बच्चों की आकस्मिक/तत्काल मृत्यु हो गयी है तथा डायरिया का प्रकोप पूरे गांव में फैल गया है। जनपद चन्दौली को सुनिश्चित जलनिधि योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है लेकिन आज तक इस कार्य योजना का विधिवत् प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम खुरहट ब्लाक बरहनी, जनपद चन्दौली की जनसंख्या 1,000 है। इस ग्राम में 04 कुएं एवं 04 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प हैं। घटना के पूर्व 02 हैण्ड पम्प क्रियाशील न होने के कारण अप्रयोज्य कुएं का प्रदूषित पानी पीने के कारण दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 से 03 दिसम्बर, 2003 के मध्य डायरिया के 15 रोगी एवं 04 बच्चे मृतक हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि जलनिधि परियोजना ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित हैं। जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा ग्राम का भ्रमण कर खराब पड़े हैण्डपम्पों को तत्काल क्रियाशील करवाया गया है।

ग्राम में रोग प्रसार की सूचना दिनांक 03-12-2003 को प्रातः स्वास्थ्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहनी से प्राप्त होते ही तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र के दल तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ग्राम में निरोधात्मक/उपचारात्मक कार्यवाहियां की गयी। ग्राम में चिकित्सा दलों द्वारा कैम्प

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगाकर सेवायें उपलब्ध करायी गयीं। दिनांक 07 दिसम्बर, 2003 को राज्य मुख्यालय से निदेशक, संक्रामक रोग ने प्रभावित ग्राम का भ्रमण कर रोग की स्थिति एवं प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। ग्राम में 04 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प क्रियाशील पाये गये एवं कुओं का विसंक्रमण किया गया है। रोग पर नियंत्रण हेतु क्लोरीन गोलियां, ओ0 आर0 एस0 पैकेट एवं औषधियां वितरित की गयी हैं। संक्रामक रोग से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार किया गया हैं वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है एवं 04 दिसम्बर, 2003 के बाद कोई नया रोगी नहीं पाया गया है।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात में भितरी-सैदपुर के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराने के लिए श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र, सादात के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[सैदपुर भितरी मार्ग पर गांगी नदी पर 70 मीटर के सेतु निर्माण हेतु रु0 163.99 लाख का आगणन आर0 आई0 डी0 एफ0-5 योजना के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा सेतु के वित्त पोषण की सहमति प्रदान की गयी थीं सेतु का आगणन लागत रु0 124.45 लाख, आर0 आई0 डी0 एफ0-5 योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। कतिपय कारणों से प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी।

प्रश्नगत सेतु निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2003-04 का सामान्य आय-व्ययक पारित होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।]

प्रदेश की जल सम्पूर्ति एवं सीवर कार्य जल निगम से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव मा0 सदस्य, विधान सभा प्रदेश.....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[के सभी जल सम्पूर्ति एवं सीवर कार्य जल निगम से कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 8-12-2003 को निम्न तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है :-

---

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश के नगरों एवं महानगरों में पेयजल की सम्पूर्ति जल संस्थान के द्वारा तथा जलोत्सारण व्यवस्था जल निगम के अधीन है, हैण्ड पम्प लगाने का कार्य जल निगम तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से कराये जाते हैं किन्तु इनके खराब हो जाने के बाद इनकी देख-रेख, रख-रखाव तथा मरम्मत की जिम्मेदारी जल संस्थान पर होती है, सीवर डालने का कार्य जल निगम करता है किन्तु इसकी सफाई का कार्य जल संस्थान के अधीन है। प्रतिदिन इस दोहरी व्यवस्था के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को ठीक करने के लिये आवश्यक हो गया है कि इसका नियोजन पूरे नगरीय एवं महानगरीय क्षेत्र में एक मास्टर प्लान के अन्तर्गत किया जाय। जल सम्पूर्ति एवं सीवर संवरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप प्रदेश के सभी जल सम्पूर्ति एवं सीवर कार्य जल निगम से कराये जायें तथा हैण्ड पम्पों को लगाने तथा रख-रखाव का भी कार्य जल निगम से कराया जाय।

2-उपरोक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि प्रदेश की जलापूर्ति व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन जल निगम तथा जल संस्थानों का गठन किया गया, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जल निगम तथा जल संस्था के अलग-अलग कृत्य निर्धारित किये गये। अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के नियोजन एवं उसके निष्पादन का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया तथा धारा 24 के अन्तर्गत उक्त के संचालन का दायित्व जल संस्थान को सौंपा गया जिन नगरों में जल संस्थान गठित नहीं हैं उन नगरों में उसके संचालन का दायित्व उ0 प्र0 पालिका अधिनियम, 1916 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित निकायों को सौंपा गया है।

उल्लेखनीय है कि पेयजल, सीवर तथा हैण्ड पम्पों के रख-रखाव हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है। स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को उक्त के संचालन हेतु अधिनियम में आवश्यक कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया हैं 74वें संविधान संशोधन के उपरान्त राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के फलस्वरूप निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी हैं वर्तमान में राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत धनराशि एक मुश्त संक्रमित की जाती है, जिसके द्वारा विकास कार्यों के अतिरिक्त पेयजल/सीवर योजनाओं तथा हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण का कार्य भी सम्पादित करती है।

अतः पेयजल/सीवर तथा हैण्ड पम्पों के नियोजन, उसके निष्पादन एवं संचालन के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था अधिक सुविधाजनक एवं औचित्यपूर्ण है।]

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत अधूरे मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 ....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

। के अन्तर्गत दी गई सूचना में निम्नलिखित मार्गों के अपूर्ण होने का उल्लेख किया गया है :-

(1) पेसारा मार्ग से जमुहारी।

(2) केराकत मार्ग से कदहरा।

(3) जलालपुर ताला मंझवारा मार्ग।

2-इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से सूचना प्राप्त की जा रही है।]

शाहजहांपुर में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू न होने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य विधानसभा .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[ने दिनांक 9-12-2003 को नगर के मुख्य मार्गों पर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू न होने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना के संबंध में यह अवगत कराया है कि नगरपालिका अधिनियम, 1916 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत नागरिकों को जन सुविधायें उपलब्ध कराना संबंधित निकाय का दायित्व है। अतः शाहजहांपुर में नगर के मुख्य मार्गों पर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू किये जाने का दायित्व नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर का है।

74वें संविधान के उपरान्त नगर निकायों को अप्रैल, 1997 से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। वर्तमान में राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत धनराशि संक्रमित कर निकायों को सीधे अवमुक्त की जाती है। उक्त संक्रमित धनराशि से ही निकायों द्वारा जलोत्सारण तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा है।

इसके अतिरिक्त शाहजहांपुर नगर की सीवर व्यवस्था हेतु वर्ष 1981-82 में रु0 214.19 लाख की योजना स्वीकृत की गयी थी, जो वर्ष 2001-2002 में पुनर्रीक्षित होकर रु0 1537.80 लाख पर आंकलित की गयी है। पूर्व स्वीकृत योजना के अन्तर्गत रु0 152.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी धनराशि से ही योजना के संबंधित कार्य जो पूर्ण हो सकते हैं, उन्हें पूर्ण करते हुये क्रियाशील किये जाने हेतु उ0 प्र0 जल निगम को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त योजना की अवशेष धनराशि प्रदेश की वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यहां पर 152 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है सीवर लाइन पर लेकिन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न होने की वजह से पूरा रुपया बेकार जा रहा है। वर्ष 1981-82 में यह योजना स्वीकृत हुई थी उसका आज तक उपसंहार नहीं हुआ है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि डेढ़ करोड़ रुपये बचाने के लिये सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू करवा दें। अन्यथा जो पैसा खर्च हो चुका है उसकी उपयोगिता नहीं है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण गम्भीरता बनाये रखें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, सदस्यों को नियंत्रित करना आपका ही काम है।

श्री अध्यक्ष-

अगले सत्र में नियंत्रित करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। मैं रोज कहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट की बात है। मुख्य मंत्री जी उपलब्ध हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें कठिनाई तो है बड़े धन की व्यवस्था करने की जरूरत है संसाधन जुटाने की जरूरत है। तभी इसके लिये जल निगम को निर्देशित किया कि इसकी व्यवस्था की जाय उन्होंने अपनी कठिनाई बताई है कुछ मामलों में उन्होंने इन्कार कर दिया था। जाहिर है इसमें काफी रकम लग चुकी है। उस रकम को बरबाद नहीं होने दिया जाएगा। धन की व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है। मैं सीधे आश्वासन नहीं देता लेकिन जो धन लग गया है उसको बरबाद नहीं होने दिया जाएगा।

मेरठ नगर निगम में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की जर्जर स्थिति के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0, सदस्य, विधान सभा द्वारा मेरठ नगर निगम ....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के निम्नांकित सड़कों के सुधार का अनुरोध किया गया :-

1-हापुड़ अड्डे से बागपत गेट तक तथा सी0 ओ0 आफिस से शारदा रोड होकर पुरानी दिल्ली चुंगी तक,

2-गढ़ रोड से रुड़की रोड चुंगी तक,

3-मेरठ परीक्षतगढ़ आसिफाबाद मार्ग,

4-मेरठ गढ़ मार्ग किठौर।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से सुचना एकत्रित की जा रही है।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" की सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पट्टी तहसील में 33/11 के0 वी0 2.5 एम0 वी0 ए0 का उपकेन्द्र ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[पहले से निर्मित है। प्रतापगढ़ जनपद में निम्नलिखित 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है :-

(1) ढकवा	1x5 एम0वी0ए0	106.63 लाख	नियामक आयोग के प0-7422/ रेस्पों, दिनांक 26-12-02 द्वारा कार्य पर प्रतिबन्ध। प्रकरण नियामक आयोग को पुनः 25-4-03 को प्रस्तुत किया गया है।
(2) आमापुर	1x5 एम0वी0ए0	97.45 लाख	23-05-03 को ऊर्जीकृत। 11 के0 वी0 फीडर निर्माण कार्य प्रगति पर।
(3) नरहरपुर	1x5 एम0वी0ए0	103.17 लाख	30-11-03 को ऊर्जीकृत। 11 के0 वी0 फीडर बनाने का कार्य प्रगति पर।

विद्युत उपकेन्द्रों सदहा, हरीपुर बरदयता, करेला, नरहरपुर, साल्हीपुर कंजास, आमापुर, पट्टी, भगरौरा इत्यादि उपकेन्द्रों की खराब ओ0 सी0 वी0 को ठीक कराने के निदेश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये जा रहे हैं।

प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में वहां की बढ़ती विद्युत की मांग को दृष्टिगत रखते हुये एक नया 132 के0 वी0 1x20 एम0वी0ए0 बनाया जा रहा है।]

जरौली पम्प नहर परियोजना के गलत निर्माण कार्य पर नये निर्माण कार्य कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज की जमीन को दूसरे के नाम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 और 29 के स्थगन के लिये अनुरोध किया गया है इसलिये मैं इनको स्थगित कर रहा हूं।

जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा औषधि खरीद में धांधली से उत्पन्न स्थिति पर श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा (श्री राजवीर सिंह)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री नरेन्द्र सिंह .....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद द्वारा औषधि खरीदने हेतु वर्ष 2003-2004 में आवंटित बजट पाँच लाख रुपये के विपरीत रुपया 40,00,000 (चालिस लाख) के क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा यूजर चार्जेज मद में जमा धनराशि को मानकों के विपरीत शतप्रतिशत व्यय कर दिया गया है। कार्यालय एवं आवास हेतु एयर कंडिशन, एयर कंडिशन गाड़ी, रंगीन टी0वी0 एवं फ्रिज का भुगतान सरकारी पद से किया गया है। सिफ्सा के धन से अवैध क्रय तथा अवैध धन लेकर स्वीपर, चौकीदारों की नियुक्ति की गयी है। सिफ्सा के द्वारा 04 एयर कंडिशन जिलाधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय कक्ष में लगाये गये हैं।

2-माननीय सदस्य विधान सभा श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा दी गयी सूचना पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल को शिकायतों की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि जाँच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करायें। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद आगरा की मलिन बस्तियों को अवैध रूप से गिराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रामबाबू हरित की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 09-12-03 में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि आगरा नगर के राजनगर बाल्मिकी बस्ती, लोहा मण्डी थाना, जनपद-आगरा में रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है और श्री प्रमोद उपाध्याय, सभासद के गोदाम को भी रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा ईर्ष्या एवं षड़यन्त्र के तहत बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया जबकि उक्त स्थान के लोग तहबाजारी दे रहे हैं और उक्त स्थान उन्हें आवंटित है।

उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संदर्भित स्थल से रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को उजाड़ा जा रहा है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है, फिर भी सूचना में उल्लिखित बिन्दुओं पर अविलम्ब सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा को निर्गत कर दिये गये हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य-मंत्री अब आप सदन के स्थगन का प्रस्ताव करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

इससे पहले कि हम अनिश्चित काल के लिये उठें हम सब खड़े होकर सामूहिक रूप से राष्ट्र-गान गायेंगें।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुंजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 10 दिसम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

संलग्नक

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	तैनाती का स्थान	तैनाती का दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री रिजाल अहमद, उर्दू-अनुवादक	जिला प्रोबेशन अधिकारी, सीतापुर	5-9-2002	9-9-2002
2	श्री अमर सिंह, कनिष्ठ लिपिक	राज्य महिला आयोग, उ0 प्र0	29-11-2002	30-11-2002
3	श्री महेश प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक	जिला प्रोबेशन कार्यालय, उन्नाव	21-2-2003	23-8-2003
4	श्री अम्बुज कुमार, कनिष्ठ लिपिक	राजकीय बाल गृह (शिशु), सीतापुर	28-2-2003	22-9-2003
5	श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	राजकीय बाल गृह (शिशु), लखनऊ	28-2-2003	15-9-2003
6	श्रीमती शीला निगम, कनिष्ठ लिपिक	जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर	28-2-2003	20-9-2003
7	श्री अरविन्द चित्रांशी, कनिष्ठ लिपिक	राजकीय बाल गृह (बालक), ललितपुर	28-2-2003	20-9-2003
8	श्रीमती अंशुल, कनिष्ठ लिपिक	राजकीय बाल गृह (बालक), फिरोजाबाद	28-2-2003	कार्यभार ग्रहण नहीं किया
9	श्रीमती शीला कनौजिया, कनिष्ठ लिपिक	राजकीय बाल गृह (बालक), कल्याणपुर, कानपुर-नगर	28-2-2003	--तदैव--
10	श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	जिला परिवीक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद	28-2-2003	--तदैव--
11	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, झांसी	28-2-2003	--तदैव--

पी0एस0यू0पी0-एल0 36 विधान सभा-(72)-3-6-04-800 (कम्प्यूटर)।